खण्ड–19, अंक–4
बुधवार, 13 आषाढ़, शक संवत्, 1929
(04 जुलाई, 2007 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)

(द्वितीय सत्र, 2007)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 19 में 8 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2009

मूल्य :

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	"क"
कतिपय सूचनाओं को नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग	1–8
प्रश्नोत्तर	9–26
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	27
जनपद उत्तरकाशी की इन्द्रावती नदी में आई बाढ़ व केलसू क्षेत्र में बादल फटने के कारण भू–स्खलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	27–28
जनपद टिहरी गढ़वाल के वि0स0 क्षेत्र प्रतापनगर के टिहरी जलाशय बनने के फलस्वरूप नागरिकों की सुविधा पानी, विद्युत, चिकित्सा, शिक्षा आदि की समुचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	28–29
विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा घोषित "एम्स" परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	29
गुप्तकाशी–नागजई मोटर मार्ग पर घुत्तु नामक स्थान के बार–बार भू–स्खलन से यातायात अवरूद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	29
वि0स0 क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत नया गाँव, भुडपुर, सिंहनीवाला, शेरपुर शेखोंवाला आदि गाँवों में रेशम कीट पालकों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	29–30
जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0ख0 एकेश्वर के अन्तर्गत मटियाना पुल से पिलखेरा मैणा, सगोड़ा होते हुए ईड़ाखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	30
जनपद पिथौरागढ़ के वि0स0 क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत स्थित अस्कोट कस्तूरा मृग विहार हटाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	30–31
वर्ष, 2007 के प्रथम सत्र में प्रस्तुत नियम–300 की सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	31
उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित)	31
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	31–41

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	41–87
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	88
प्रदेश के चिकित्सा विभाग द्वारा फार्मेसिस्टों के पदों को समाप्त करने की कोशिश के कारण फार्मेसिस्टों में उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में श्री मनोज तिवारी, स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	88–89
प्रदेश के उर्दू अनुवादक/सह कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति उर्दू अनुवादक/सह वरिष्ठ लिपिक के पद पर किये जाने के सम्बन्ध में हाजी तस्लीम अहमद, स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	89

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डे
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. श्री करन मेहरा
8. मि० कैरन हिल्टन
9. श्री किशोर उपाध्याय
10. श्री केदार सिंह
11. श्री केदार सिंह फोनिया
12. श्री खजान दास
13. श्री खड़क सिंह बोहरा
14. श्री गगन सिंह
15. श्री गणेश जोशी
16. श्री गोपाल सिंह राणा
17. श्री गोपाल सिंह रावत
18. श्री गोविन्द लाल
19. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21. श्री चन्दन राम दास
22. श्री जोगा राम टम्टा
23. श्री जोत सिंह गुनसोला
24. हाजी तस्लीम अहमद
25. श्री तिलक राज बेहड़
26. श्री दिनेश अग्रवाल
27. श्री दिवाकर भट्ट
28. श्री दिवान सिंह
29. श्री नारायण पाल
30. काजी मौ० निजामुद्दीन
31. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
32. श्री प्रकाश पन्त
33. श्री प्रणव सिंह
34. श्री प्रीतम सिंह
35. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
36. श्री प्रेमानन्द महाजन
37. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
38. श्री बलबीर सिंह नेगी
39. श्री बिशन सिंह चुफाल
40. श्री बंशीधर भगत
41. श्री बृज मोहन कोटवाल
42. श्री भगत सिंह कोश्यारी
43. श्री मदन कौशिक
44. श्री मनोज तिवारी
45. श्री मयूख सिंह
46. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"
47. श्री मातबर सिंह कण्डारी
48. श्री मुन्ना सिंह चौहान
49. श्री यशपाल आर्य
50. श्री यशपाल बेनाम
51. चौ० यशवीर सिंह
52. श्री रणजीत रावत
53. डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"
54. श्री राजकुमार
55. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
56. श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
57. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
58. श्री विजय सिंह (गुड्डू पवार)
59. श्रीमती वीना महराना
60. श्री शहजाद
61. डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
62. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
63. श्री सुरेन्द्र राकेश
64. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
65. श्री सुरेश चन्द जैन
66. डा० हरक सिंह रावत
67. श्री हरभजन सिंह चीमा
68. श्री हरिदास
69. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 04 जुलाई, 2007 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

कतिपय सूचनाओं को नियम-310 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग

श्री अध्यक्ष-

कृपया, आसन ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, आज नियम-310 के अन्तर्गत दो सूचनाएं हैं। मैं दूसरी सूचना जो प्रदेश के युवा बेरोजगारों के सम्बन्ध में है और नौजवान बेरोजगार जो आज हताशा की स्थिति से गुजर रहे हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि उस पर चर्चा करायी जाय।

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-310 के अन्तर्गत दो सूचनाएं हैं उनमें से पहली सूचना श्री दिनेश अग्रवाल, श्री केदार सिंह रावत, श्री करन मेहरा, श्री किशोर उपाध्याय, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री राजेश जुवांठा, डा0 हरक सिंह रावत, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्रीमती अमृता रावत, श्री प्रीतम सिंह, श्री तिलक राज बेहड़, श्री मनोज तिवारी, श्री यशपाल आर्य जी की है। यह सूचना परवल गाँव में बिना औपचारिकताओं के जमीन क्रय करने तथा करोड़ों रुपये की हेराफेरी की है किन्तु इसमें न तो जनपद का नाम है न विकास खण्ड का और न ही तिथि का उल्लेख किया गया है। यह सूचना स्पष्ट नहीं है कि जिस कारण मैं इसमें चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री राजेश जुवांठा, श्री करन मेहरा, श्री किशोर उपाध्याय, श्री प्रीतम सिंह और श्री केदार सिंह रावत जी की है। यह सूचना दिनांक 22-08-2006 को चतुर्थ श्रेणी के अनुसेवक और सफाई नायक के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार आहूत किया गया था किन्तु अचानक ही साक्षात्कार का स्थान टिहरी से बदल कर नरेन्द्र नगर कर दिया गया, जिससे अभ्यर्थियों को आर्थिक तथा मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ा किन्तु यह सूचना तात्कालिक नहीं है इसलिए मैं इस पर भी चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह सूचना अविलम्बनीय है और तात्कालिक है इस प्रकरण के बाद सदन अभी ही चल रहा है तो मैं इस सूचना को पहले कैसे दे सकता था।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, यह प्रकरण 2006 का है। सदन तो अप्रैल माह में भी चला था उस उक्त आपको इस सूचना को सदन में लाना चाहिए था। मान्यवर, सदन का उपवेशन तीन दिन से चल रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को अल्पसूचित प्रश्न या तारांकित प्रश्न के माध्यम से उठाया जा सकता था।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह मामला हजारों नौजवान बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्य "वेल" में आकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे जिस कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में खड़े होकर नारे लगाने लगे)

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय द्वारा "वेल" में खड़े होकर कुछ कहा गया)

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह जून, 2006 का मामला है उस समय किसकी सरकार थी ? तब से अब तक तीन बार सदन बैठ चुका है। मान्यवर, विपक्ष के पास चर्चा के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए विपक्ष सदन में हंगामा करना चाहता है। इनका उद्देश्य सदन चलने न देना है। (घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय द्वारा "वेल" में खड़े होकर कुछ कहा गया)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, विनिश्चय आने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री रणजीत रावत जी ने "वेल" में खड़े होकर कुछ कहा)

श्री अध्यक्ष–

यह मामला 2006 का है और तिथि तथा स्थान भी स्पष्ट नहीं है। कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब तक आप लोग आसन ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं सुना जायेगा। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह के "वेल" में खड़े होकर कुछ कहने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सरकार जिस की भी हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है।

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय के "वेल" में खड़े होकर कुछ कहने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह सूचना स्पष्ट प्रमाण है कि विपक्ष के पास कोई स्पष्ट सूचना नहीं है और यह पहले का मामला है और इसे आज सदन में ला रहे हैं। मान्यवर, इसके लिए तारांकित, अल्पसूचित प्रश्न का प्राविधान है।

(माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल के "वेल" में खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप नियमों के तहत अपनी बात कहें। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी की पीठ से लिया गया विनिश्चय अन्तिम माना जाता है। माननीय अध्यक्ष जी ने अपना विनिश्चय दे दिया है इसके बाद आप विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप पीठ की अवमानना कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री प्रीतम सिंह जी, आप मंत्री भी रह चुके हैं, यह उचित नहीं है। आप लोगों ने दो सूचनायें दी हैं, दूसरी अगस्त, 2006 से सम्बन्धित है, नियम–310 की बात नहीं है, आपके पास अन्य उपचार उपलब्ध हैं, आप किसी नियम के अन्तर्गत लायें, इस पर चर्चा होगी।

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय ने "वेल" में खड़े होकर कहा "आप इस पर चर्चा करा दें हम अपनी सीट पर चले जायेंगे।")

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर जी, यह उचित बात नही है। शर्तों और धमकी के आधार पर सदन नहीं चलेगा, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

मैं सदन को 11:45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 11:55 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11:55 बजे से पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम–310 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

नत्थी–क, माननीय प्रीतम सिंह जी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हमारी नियम–310 की सूचना है। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड वन विभाग में 40 करोड़ रुपये का भूमि खरीद घोटाला हुआ है। हमने उसके सम्बन्ध में सारे काम रोक कर इस पर चर्चा कराने के लिए आपसे अनुरोध किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर इस पर कल नियम–58 में सुनने के लिए सहमत हों, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप भी अगर इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मुझसे सहमत होंगे, सूचना स्पष्ट नहीं है और परवल गाँव जिसका उल्लेख किया गया है, उसके बारे में कहीं भी.......... (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, वन विकास निगम स्पष्ट है, यह एक ही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिए, मेरी पूरी बात आप आने दीजिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, दस गाँवों में तो जमीन खरीदी नहीं गयी है, एक ही गाँव में खरीदी गयी है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैं आपकी बात का जवाब दूँ, उचित नहीं लगता। एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सहसपुर में है और दूसरे सदस्य कह रहे हैं कि विकास नगर में है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, रिकॉर्ड दिखवा लीजिए। किसी ने भी सहसपुर नहीं कहा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हो सकता है कि भूलवश यह बात कह दी गयी हो।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि नियमों के तहत स्पष्ट सूचना देंगे तो निश्चित रूप से विचार करेंगे, विचार क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर इसीलिए है। यह सदन चन्द सदस्यों की [XXX] नहीं है। पूरे प्रदेश का है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह आक्षेप है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा है कि नियमों के तहत सुनूँगा।

टिप्पणी– [XXX] यह शब्द मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, वन विकास निगम ने कितने गाँवों में जमीन ली है, यह तो पता होगा (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमें पीठ से संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूँगा कि स्पष्ट सूचना लाएंगे तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा।

श्री प्रीतम सिंह –

मान्यवर, इससे स्पष्ट क्या हो सकता है ?

श्री प्रकाश पन्त –

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, ने कह दिया है कि विचार करेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय –

मान्यवर, क्या नियम–58 में सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष–

विचार करेंगे।

श्री रणजीत रावत –

मान्यवर, वन विकास निगम कितने हैं ?

श्री प्रकाश पन्त –

मान्यवर, इसमें स्थान का नाम स्पष्ट नहीं है। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, परवल गाँव में जो जमीन वन विकास निगम ने खरीदी है, यह तो सरकार के रिकार्ड में भी होगा कि वहाँ के परवल गाँव में निगम ने जमीन खरीदी है।..

श्री अध्यक्ष–

माननीय रावत जी, आप कृपया बैठें, इस पर कल विचार कर लेंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि यह सदन कुछ सदस्यों की [XXX] नहीं है, तो मान्यवर, इसे कार्यवाही से हटा दिया जाय।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टिप्पणी– [XXX] यह शब्द मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

हम भी इसी सदन के सदस्य हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हम अध्यक्ष पीठ का बहुत सम्मान करते हैं और संसदीय शब्दों की बात है तो मैंने जब असत्य शब्द कहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसे आप सत्य से परे कह सकते हैं तो मैंने बहुत ही सहजता से उसे मान लिया। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका बहुत आदर करते हैं, पीठ का आदर करते हैं, आप हमारे गार्जियन हैं।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों तो किसी और सदस्य को प्रश्न नहीं करना चाहिए।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, शायद माननीय चौहान जी को इसकी जानकारी नहीं है कि जब माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों तो उस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जब अध्यक्ष द्वारा कोई बात कह दी जाती है तो उसे कार्यवाही से निकालने की बात कहना बहुत गलत है, मान्यवर, यह भारत के संसदीय अध्याय का काला अध्याय होगा कि अध्यक्ष पीठ से कही गई बात का कार्यवाही से निकालने की माँग की जा रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो निर्णय आप पर है कि उन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाय या नहीं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की विधान सभा हो, संसद हो या राज्य सभा हो या पूरे राज्यों की विधान सभाओं की बात हो, इन सबकी एक महान संसदीय परम्परा रही है और कुछ बातें नियमों या परिनियमों से ही नहीं परम्पराओं से भी चलती हैं। [XXX] शब्द जो कहा गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैंने पहले ही कहा है कि हम पीठ का बहुत सम्मान करते हैं। आप हमारे संरक्षक हैं, गार्जियन हैं, आप हमें अपना संरक्षण दें। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि काला इतिहास है, जब यह शब्द

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टिप्पणी– [xxx] यह शब्द मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बना हुआ है तो कल आने वाली पीढ़ियां जब भविष्य में विधान सभा की कार्यवाही की अध्ययन करने और पीठ से दिये गये निर्देशों में [XXX] शब्द को पढेंगे तो मान्यवर, उन्हें बहुत कष्ट होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सम्भवतः आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि बार–बार 'वेल' में आ जाना और यह कहना कि मैं यहीं पर भूख हड़ताल कर दूँगा, यहीं पर बैठ जाऊँगा और हाथ उठाकर इधर इंगित करना यह भी ठीक नहीं है, माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं, उनको भी यह शोभा नही देता।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक है और यदि आप हमें संरक्षण देते हैं तो हमें डांटने का भी आपको अधिकार है, आप हमारे गार्जियन है, हमारी कोई गलत मंशा नहीं है, मैं आप पर या पीठ पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ।....

श्री किशोर उपाध्याय–

मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुझे आप इस सदन से निकाल दें। अध्यक्ष जी ने मुझ पर आक्षेप किया है, आज इस बात का फैसला हो जाना चाहिए, मुझे आप सदन से निकाल दीजियें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*सिचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले, यह जान बूझकर व्यवधान कर रहे हैं, मान्यवर, सदन इस विधान की कार्य संचालन नियमावली के अन्तर्गत चलता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आप इसे दूसरे नियमों के अन्तर्गत दुबारा दे दें और सूचना स्पष्ट होगी तो अवश्य सुनी जायेगी। भ्रष्टाचार का यदि यह मामला है तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और दूसरी सूचना के बारे में भी दोबारा कह रहा हूँ कि यह 2006 का मामला है और आप इसे देखेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे कि साक्षात्कार पहले एक स्थान पर होना था और फिर दूसरी जगह पर हुआ। यह ऐसी सूचना तो है नहीं कि इसकी जानकारी आज प्राप्त हुई हो। नियम–58 में भी स्पष्ट सूचना होगी, तात्कालिक होगी तो सुनी जायेगी। मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि दोनों सूचनाएं मेरे पास आई हैं। इसमें 19 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। मैंने बार–बार अनुरोध किया है कि एक माननीय सदस्य एक दिन में केवल एक सूचना पर ही हस्ताक्षर करें। भविष्य में इसका भी ध्यान रखा जाये।

नोट– [XXX] यह शब्द मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

जनपद देहरादून में एम0डी0डी0ए0 द्वारा अधिग्रहीत भूमि में से छः ग्रामों की कृषि भूमि छोड़ने पर विचार

**1–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में एम0डी0डी0ए0 द्वारा अधिग्रहीत भूमि में से छः ग्रामों की कृषि भूमि छोड़ने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो अधिग्रहीत भूमि कब तक छोड़ देंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी)–

जी हाँ।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा किस उद्देश्य से भूमि अधिग्रहीत की जा रही है ? दूसरा मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या भूमि पर सरकार का कब्जा है ? तीसरा सरकार अधिग्रहीत भूमि को किस कानून के तहत छोड़ने की कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, माननीय सदस्य चकराता द्वारा जो जिज्ञासा जाहिर की गयी है उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद देहरादून में आवासीय व्यवसायिक, सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं के निर्माण हेतु सुनियोजित विकास के दृष्टिगत 30 ग्रामों की 654.0608 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित था। प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की जा रही भूमि के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों द्वारा की गयी आपत्तियों के कारण (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, छः गाँवों की बात आ जाये।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जब यह अधिग्रहण किये जाने का प्रस्ताव किया गया तो उसके बाद कुछ जनप्रतिनिधियों और जनता ने शिकायत की जिसके आधार पर 24 गाँव इस परिधि से बाहर हो गये लेकिन छः गाँव जिसमें रायपुर की जिसका क्षेत्रफल 11.081 हे0

ब्राहमणवाला की क्षेत्रफल 49.613 हे0 , धौरण खास की क्षेत्रफल 15.909 हे0, तरला नागल की क्षेत्रफल 42.587 है0 माजरा की 61.208 हे0, कारगी ग्रांट की क्षेत्रफल 29.128 हे0 भूमि अधिग्रहण की सीमा में रह गयी है। इनमें से दो गाँवों को अवार्ड घोषित कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह तो कोई बात नहीं हुई। मैं तो स्पेसिफ़िक प्रश्न पूछ रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं मूल प्रश्न पर आ रहा हूँ। इसमें जो छः गाँव (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। मैंने सीधा–सीधा प्रश्न पूछा है, इसका जवाब आ जाये। मैंने पूछा था कि सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है ? दूसरा–क्या भूमि पर सरकार का कब्जा है ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वह मैं बता रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, तीसरा–सरकार किस कानून के तहत इसे छोड़ने की कार्यवाही कर रही हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय ससंदीय कार्यमंत्री जी, कृपया अपना उत्तर संक्षिप्त में रखें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय सदस्य ने पूछा कि वह भूमि किस उद्देश्य से ली गई है, दूसरा पूछा छः गाँव लिये गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

समय बहुत कम है, कृपया संक्षेप में उत्तर दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता का आग्रह है। इसमें प्राधिकरण के पक्ष में अवार्ड घोषित हो चुका है, इसको अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में परीक्षण किया जा रहा है। दो गाँवों के लिए अवार्ड घोषित हो चुका है। ये गाँव माजरा और कारगी हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भूमि पर सरकार का कब्जा है या नहीं है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सरकार का कब्जा दोनों पर है।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो 6 गाँवों की भूमि है नियमों के अधीन अधिग्रहीत की गई है या सिर्फ एम0डी0डी0ए0 ने दो गाँवों का अधिग्रहण किया है। दूसरा एम0डी0डी0ए0 ने जो 6 गाँवों में अधिग्रहण की कार्यवाही की है, माननीय मंत्री जी के उत्तर के अनुसार एम0डी0डी0ए0 ने अवार्ड घोषित किया है। सरकार आज जो छोड़ने की कार्यवाही कर रही है इसमें किस नियम के तहत कार्यवाही कर रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 6 गाँवों के नाम प्राधिकरण ने अवगत कराये थे। जनता के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों ने आग्रह किया । मान्यवर, इस सम्बन्ध में चूँकि कब्जा ऑन पेपर्स प्राधिकरण के नाम हो गया।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या बिना पैसे दिये अवार्ड घोषित हो गया है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 6 गाँवों की सूची है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त

मान्यवर, आप मुझे बोलने तो दीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, क्या 6 गाँवों की रजिस्ट्री हो चुकी है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, रायपुर, ब्राहमणवाला, धौरण खास, तरला नांगल, माजरा और कारगी ये 6 गाँव हैं, जिसमें कि दो गाँवों के किसानों ने अपना पैसा लिया है। मान्यवर, दो गाँवों क्रमशः माजरा के 253 किसानों में से दो को और कारगी ग्रांट के 366 किसानों में से 26 को पैसा मिल चुका है। 6 की दाखिल खारिज एम0डी0डी0ए0 के नाम पर हो गई है। इसका परीक्षण किया जा रहा है।

(कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जिन दो गाँवों का जिक्र मैंने किया है उन्हीं में छः गाँव भी सम्मिलित है। दो गाँव अवार्ड घोषित हुए है।

श्री अध्यक्ष–

आपने अवार्ड कहा है यह अंग्रेजी का शब्द है जिस कारण हो सकता है कोई भ्रांति उत्पन्न हो गई है। कृपया हिन्दी में स्पष्ट कर दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, दो गाँवों के किसानों द्वारा पैसा लिया गया है।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं है। कृपया इसे स्थगित कर दें। इस पर अलग से चर्चा करा ली जाए।

श्री अध्यक्ष–

इसकी चर्चा के लिए लिखित में सूचना दे दें। मैं इस पर विचार कर लूँगा।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, किस चीज के लिए मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। माननीय सदस्य पूरी बात तो सुन लें। मान्यवर, भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित 30 ग्रामों में से 06 ग्रामों क्रमशः माजरा फेज तृतीय की 60.96000 हेक्टेयर एवं कारगी ग्रान्ट की 26.0320 हे0 भूमि का अवार्ड घोषित हो चुका है तथा रायपुर की 8.9230 हेक्टेयर भूमि, ब्राहमणवाला की 43.6716 हेक्टेयर, धोरण खास की 11.390 हे0 तरला नागल की 40.7390 हे0 भूमि का प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, धारा–17 के अन्तर्गत तात्कालिकता के आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही हो चुकी है। श्रीमन्, धारा–17 के कारण बिना अवार्ड के भी कब्जा लिया जा सकता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपका उत्तर विरोधाभासी है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से विनिश्चय आ चुका है। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह पीठ का अपमान है।

प्रदेश में बन्दरों एवं सुअरों को नियंत्रित करने हेतु सरकार की नीति

**2–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या वन मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बन्दरों एवं सुअरों को नियंत्रित करने हेतु सरकार नीति का निर्माण करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

जी नहीं।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दरों तथा जंगली सुअर के चिन्हित समूहों को विनिर्दिष्ट क्षेत्र में नष्ट करने की अनुमति दिये जाने का प्राविधान है तथा इस हेतु प्रक्रिया निर्धारण की कार्यवाही मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आपने सीधे–सीधे अधिनियम की बात कर दी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि बन्दरों और सुअरों द्वारा किसानों की कितनी कृषि भूमि और फसल का नुकसान हुआ है और दूसरा प्रश्न यह है कि पिछले दो वर्षों में इस अधिनियम के तहत कितने बन्दर और सुअर मारे गये और इनको नियंत्रित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

*श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा कि प्रदेश में बन्दरों और सुअरों को नियंत्रित करने की नीति क्या है ?

किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं अनुपूरक प्रश्न की बात कर रहा हूँ।

नोट– अल्पसूचित प्रश्न संख्या–2 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, कुछ जानवर और पक्षी ऐसे भी हैं, जिनको मारने की अनुमति नहीं है और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें चिन्हित कर उन्हें नियंत्रित किया जाता है या फिर मार दिया जाता है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं अधिनियम की बात कर रहा हूँ कि पिछले दो सालों में कितने किसानों की कितनी हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है, जो सीमान्त किसान हैं ? कितने बन्दर और सुअर पकड़े गये और नियंत्रण के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

तारांकित प्रश्न

जनपद हरिद्वार ब्लाक भगवानपुर में राजाजी नेशनल पार्क से सटे हुए ग्राम वासियों एवं फसलों की सुरक्षा के उपाय

*1–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या वन मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद हरिद्वार ब्लाक भगवानपुर में राजाजी नेशनल पार्क से सटे हुए ग्रामों में प्रतिवर्ष जंगली हाथियों एवं अन्य जानवरों द्वारा जान–माल का भारी नुकसान किया जाता है ?

क्या यह सत्य है कि इस वर्ष फरवरी, 2007 में 2 व्यक्तियों को हाथियों ने मार गिराया था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन ग्रामों में रहने वाली आबादी एवं उनकी फसलों की सुरक्षा का कोई उपाय करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ। जनपद हरिद्वार में हरिद्वार वन प्रभाग के अन्तर्गत भगवानपुर ब्लॉक में जंगली हाथियों द्वारा जान–माल की क्षति की घटनायें प्रकाश में आती रहती हैं।

जी हाँ।

जी हाँ। इस सम्बन्ध में निम्न उपाय किये जा रहे हैं :–

(1) राजाजी राष्ट्रीय पार्क की सीमा से लगी आबादी व उनकी फसलों की सुरक्षा हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि नियोजन एवं प्रबन्धन अभिकरण (कैम्पा) के अन्तर्गत पार्क की लगभग 50 कि0मी0 लम्बाई की सीमा पर सौर ऊर्जा चालित विद्युत तारबाड़ स्थापित किये जाने के प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदन हेतु भेजे गये हैं।

(2) हाथियों द्वारा जान–माल की क्षति की घटना होने पर शासनादेशानुसार अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है।

(3) हाथियों की क्षति से प्रभावित ग्रामों में सुरक्षा हेतु हाथी भगाने वाले दलों का गठन किया जाता है तथा उन्हें उपलब्धता के अनुसार बन्दूक पटाखे आदि वितरित किये जाते हैं।

(4) प्रभावित क्षेत्रों के आस–पास वन कर्मियों द्वारा समय–समय पर गश्त की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरिद्वार की सिकरोढ़ा पेयजल निर्माण कार्य योजना

*2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या पेयजल मंत्री की जानकारी में है कि क्या सरकार द्वारा हरिद्वार जनपद की सिकरोढ़ा पेयजल योजना हेतु 86 लाख रुपये स्वीकृत कर योजना हेतु धन अवमुक्त कर दिया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि धन अवमुक्त हो जाने के उपरान्त भी योजना पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया ?

क्या मंत्री जी प्रकरण की जाँच कराकर योजना को शीघ्र पूरा करायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

वर्ष 2001–02 में रु0 20.00 लाख धनराशि अवमुक्त की गई।

जी हाँ, कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की सहमति के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*3–श्री सुरेन्द्र राकेश–

स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।

प्रदेश में राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण/मरम्मत कार्य पुनः नलकूप खण्ड सिंचाई विभाग को सौंपने की मांग

*4–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा राजकीय नलकूपों का अनुरक्षण/मरम्मत कार्य ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि खराब नलकूपों को ठीक कराने के लिए ग्राम पंचायतों के पास अनुरक्षण/मरम्मत के मद में बजट राशि न होने के कारण ग्राम पंचायतें खराब नलकूपों को ठीक कराने में असमर्थ हैं ?

यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने ग्राम पंचायतों द्वारा अपने स्तर से कितने नलकूपों को ठीक कराया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों के हित के लिए राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण/मरम्मत कार्य पुनः नलकूप खण्ड सिंचाई विभाग को सौंपेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ। प्रदेश में निर्मित कुल 782 नलकूपों में से मात्र 59 नलकूपों को ग्राम पंचायतों को अनुरक्षण एवं मरम्मत करने हेतु सौंपा गया था परन्तु ग्राम पंचायतों द्वारा इनका ठीक प्रकार से अनुरक्षण/मरम्मत न किये जाने के कारण कुमायूँ मण्डल के 42 नलकूपों को सिंचाई विभाग के अधीन ही अनुरक्षण/मरम्मत हेतु वापस ले लिये गये। गढ़वाल मण्डल के 17 नलकूप अभी भी ग्राम पंचायतों के अधीनस्थ हैं।

जी हाँ।

अनुरक्षण/मरम्मत हेतु पंचायतों को धन उपलब्ध कराने के उपरान्त भी ग्राम पंचायतें नलकूपों के रख–रखाव/मरम्मत करने में असमर्थ हैं।

गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा मात्र 8 निर्मित नलकूपों के छुटपुट दोषों को ही दूर किया जा सका है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरिद्वार के सबलगढ़ (गैंडीखाता) में मतदाता सूची को बनाने और वन विभाग के प्रपत्रों तथा स्थलीय सत्यापन के आधार पर चयन की कार्यवाही

*5–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेश सं0 45/7–1–2006–93 (64)/2006, दिनांक 04 अगस्त, 2006 के अनुसार वन भूमि पर अवस्थित गुर्जर परिवारों

को जिला हरिद्वार के सबलगढ़ (गैंडीखाता) में पुनःस्थापित करने एवं राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

तथा उसमें लाभार्थियों के चयन का आधार वर्ष 2002 विधान सभा निर्वाचन की मतदाता सूची को माना गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार गुर्जरों की मांग अनुसार लाभार्थियों के चयन का आधार वर्ष 2006 की विधान सभा निर्वाचन की मतदाता सूची को बनाने और वन विभाग के प्रपत्रों तथा स्थलीय सत्यापन को लाभार्थी चयन को आधार बनाने की कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

जी हाँ, शासनादेश सं0 45/7–1–2006–93(64)/2006, दिनांक 04 अगस्त, 2006 के अनुसार लाभार्थियों के चयन हेतु "कट ऑफ डेट" वर्ष 2002 की विधान सभा की मतदाता सूची को माना गया है।

लाभार्थियों के चयन का आधार अब पुनः संशोधित कर वर्ष 2006 की विधान सभा निर्वाचन की मतदाता सूची को रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उत्तरांचल वन विकास निगम में निवर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों की जाँच

*6–श्री ओम गोपाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल वन विकास निगम में निवर्तमान सरकार के कार्यकाल में कितनी नियुक्तियाँ किन–किन पदों पर की गयी ?

क्या सरकार निर्धारित प्रक्रिया के बिना की गयी नियुक्तियों की जांच उच्च स्तर से कराकर नियुक्तियों में लिप्त लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

उत्तरांचल वन विकास निगम में निवर्तमान सरकार के कार्यकाल में 6 नियुक्तियां माली, अर्दली तथा चौकीदार के पदों पर की गयी।

मामले में जाँच की जा रही है।

जाँच पूर्ण होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

विधान सभा क्षेत्र लालढांग जिला हरिद्वार में टिहरी बाँध विस्थापित बस्ती पथरी में निर्माण कार्यों की जाँच

*7–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग जिला हरिद्वार में टिहरी बाँध विस्थापित बस्ती पथरी जंगल में गूल, नाली, सरकारी आवास व अन्य निर्माण कार्यों में पीली ईंट जैसी घटिया सामग्री तथा सीमेन्ट की कम मात्रा प्रयोग में लायी जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्यों की मानकों के अनुरूप उच्च स्तरीय जाँच कराकर पुनः निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत किये गये निर्माण कार्यों में विभागीय मानकों के अनुरूप की निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है।

प्रदेश के, आबादी क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों के कटान के अधिकार राजस्व विभाग को हस्तान्तरण पर विचार

*8–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के आबादी क्षेत्र की भूमि के वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान करने हेतु फारेस्ट एक्ट को समाप्त कर अनुमति प्रदान करने का पूरा अधिकार राजस्व विभाग को हस्तान्तरण करने पर विचार किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्तमान में उ0प्र0 ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (यथा अनुकूलित/उपान्तरित) द्वारा प्राविधानित व्यवस्था में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है।

सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती का औचित्य एवं तार्किक आधार

*9–श्री खजान दास–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या–473/IX/61(परि0)/2002/2006 दिनांक 02 जून, 2006 में की गयी सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती के उपयोग की व्यवस्थाओं का औचित्य एवं तार्किक आधार क्या है?

श्री बंशीधर भगत–

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–108 के परन्तुक के खण्ड (iii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में भारत सरकार के द्वारा जारी राजपत्र संख्या का0आ0–52 (अ) दिनांक 11 जनवरी, 2002 के द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं राज्य सभा के विरोधी पक्ष के नेता को यान के शीर्ष अग्र भाग पर फ्लैशर सहित लाल बत्ती लगाने के लिए अधिकृत किया गया है, जब यान देश में कहीं भी ड्यूटी पर हो।

इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–473/IX/61(परि0)/2002/2006 दिनांक 02 जून, 2006 के द्वारा भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड राज्य के नेता प्रतिपक्ष को भी उनके राजकीय वाहनों में लाल बत्ती टॉप पर लगाये जाने के लिए अधिकृत किया गया है।

राजकीय एवं निजी वाहनों पर पदनाम पट्टिका लगाने का प्राविधान एवं उल्लंघन पर कार्यवाही

*10–श्री खजान दास–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्राविधानों के अन्तर्गत राजकीय वाहनों तथा निजी वाहनों पर पदनाम पट्टिकायें लगाया जाना निषिद्ध है ?

यदि हाँ, तो इस प्राविधान का उल्लंघन करने वाले कितने वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही मार्च, 2007 से प्रश्न पूछे जाने की तिथि तक परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल द्वारा की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

जिला ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत काशीपुर में पेयजल समस्या के निस्तारण हेतु योजना

1–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर की नगरपालिका, काशीपुर की पेयजल समस्या के निस्तारण हेतु कोई वृहत योजना शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उसका प्रारूप एवं स्थिति क्या है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विकास निगम का देहरादून स्थित कैम्प कार्यालय बन्द कर नरेन्द्रनगर स्थानान्तरित करने की जानकारी

2–श्री ओम गोपाल–

क्या वन मंत्री के संज्ञान में है कि वर्ष 2001 में वन विकास निगम का निदेशालय, नरेन्द्रनगर में स्थापित किया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार निदेशालय का देहरादून स्थित कैम्प कार्यालय बन्द कर निगम कार्यालय को नरेन्द्रनगर में स्थानान्तरित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

प्रकरण विचाराधीन है।

निर्णय होने पर यथाशीघ्र

प्रश्न नहीं उठता है।

जिला हरिद्वार के लालढांग के विभिन्न ग्रामों में राजकीय नलकूप की स्थापना पर विचार

3–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लालढांग जिला हरिद्वार के ग्राम प्रतापपुर, दरगाहपुर, निरंजनपुर, पुरवाला, आदमपुर, सुल्तानपुर, कंकरखाता, खानपुर, निहन्दपुर सुठारी, भुवापुर, टांडा महतौली, बाडीटीप, भोगपुर,

मौ0 पुर कन्हारी, निसदरपुर, नसीरपुर कलां, पदार्था धनपुरा, फेरूपुर, चांदपुर, बहादरपुर जट, इक्कड, इक्कडखुर्द श्यामपुर सजनपुर, चमरिया, डालूपुरी, रसूलपुर, मिठीबेरी, पेलीपड़ाव आदि ग्रामों में सिंचाई की समस्याओं को देखते हुए राजकीय नलकूप की स्थापना कराये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

उक्त ग्रामों में से 8 ग्राम क्रमशः निरंजनपुर सुल्तानपुर, भोगपुर, फेरूपुर, चमरिया, रसूलपुर, मिठीबेरी एवं पीलीपड़ाव के नलकूपों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा 7 ग्रामों की योजना तैयार कर दी गयी है। शेष 13 ग्रामों के नलकूप स्थापना के सम्बन्ध में आवश्यक सर्वेक्षणोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत गनोला खत्ता, गाड़ का तौइया बस्ती को पेयजल सुविधा से जोड़ने की माँग

4–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के चौखुटिया विकास खण्ड अन्तर्गत गनोला खत्ता, गाड़ का तौइया बस्ती पेयजल सुविधा से लाभान्वित है ?

यदि नहीं, तो क्या उक्त बस्ती को पेयजल सुविधा से जोड़ा जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की पेयजल योजनाओं में स्थायी व पार्ट टाईम फिटर को मानदेय की धनराशि में बढ़ोत्तरी

5–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के जिलेवार कितनी पेयजल योजनाओं में स्थायी तथा पार्ट टाईम फिटर कार्यरत है एवं पार्ट टाईम फीटर को मानदेय के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है ?

क्या सरकार इन कर्मचारियों की धनराशि को बढ़ायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

प्रदेश की 5643 पेयजल योजनाओं में 412 स्थाई जूनियर फीटर/फीटर कार्यरत है तथा मात्र एक पार्ट टाईम फीटर जनपद देहरादून में कार्यरत है। पार्ट टाईम फीटर को रु0 500.00 की धनराशि प्रतिमाह मानदेय के रूप में दी जाती है।

क्र0 सं0	जनपद का का नाम	योजनाओं की संख्या	कार्यरत स्थाई फीटरों की संख्या	कार्यरत पार्ट टाईम फीटरों की संख्या
1.	देहरादून	278	93	01
2.	पौड़ी	752	77	–
3.	चमोली	507	21	–
4.	रूद्रप्रयाग	337	13	–
5.	टिहरी	707	49	–
6.	उत्तरकाशी	489	31	–
7.	हरिद्वार	26	07	–
8.	नैनीताल	304	49	–
9.	ऊधमसिंह नगर	54	08	–
10.	अल्मोड़ा	820	15	–
11.	बागेश्वर	305	10	–
12.	चम्पावत	350	11	–
13.	पिथौरागढ	714	28	–

जी नहीं। पार्ट टाईम फीटर से प्रतिदिन औसतन एक से दो घन्टे ही कार्य लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत द्वाराहाट और चौखुटिया शहरं में सीवर लाईन बिछाये जाने पर विचार

6–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत द्वाराहाट और चौखुटिया शहर में सीवर लाईन बिछाये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो स्थिति क्या है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकरण पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेंगा।

उपरोक्तानुसार।

उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के संचालन हेतु पी0टी0ए0 कर्मियों का मानदेय बढ़ाने पर विचार

7–श्री ओम गोपाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु प्रत्येक योजना में उसी गाँव का एक व्यक्ति प्रतिमाह मानदेय पर रखा गया है, जिसे पी0टी0ए0 कर्मचारी कहा जाता है ?

क्या पी0टी0ए0 कर्मियों को दिया जाने वाला भत्ता मात्र रु0 500 अथवा कतिपय अन्य योजनाओं पर रु0 600 प्रतिमाह दिया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या यह भत्ता आजीविका चलाने हेतु पर्याप्त है ?

क्या मंत्री जी मानवीय आधार पर पी0टी0ए0 कर्मियों को प्रतिमाह ढाई हजार रुपये (रु0 2500.00) दिये जाने पर विचार करेंगे तथा प्रत्येक तीसरे वर्ष रु0 500.00 की बढ़ोत्तरी किये जाने का प्रावधान करेंगे।

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ। आवश्यकतानुसार ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु उसी गाँव के एक व्यक्ति को मासिक मानदेय पर रखा गया है। औसतन प्रत्येक दो परियोजनाओं पर एक पी0टी0ए0 कर्मचारी रखा गया है।

माह जनवरी, 2007 से पी0टी0ए0 (अंशकालिक) कर्मियों को प्रतिमाह रु0 600.00 से 850.00 तक मानदेय दिया जा रहा है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिया जाने वाला मानदेय अंशकालिक कार्य के सापेक्ष कार्य की मात्रा को देखते हुए पर्याप्त है।

जनपद पौड़ी के वि0स0 क्षेत्र यमकेश्वर के दीऊली क्षेत्र में पेयजल समस्या का हिंवल नदी से पम्पिंग द्वारा निदान

8–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर की दीऊली क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या है ?

यदि हाँ, तो क्या जुलैडी में हिंवल नदी से पम्पिंग पेयजल योजना बनाने के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में ग्राम गोदी (बड़ी) से गुजरने वाली पावर ग्रिड लाइन के अन्तर्गत आने वाले नाप खेतों से वृक्षों के पातन का भुगतान

9–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी में ग्राम गोदी (बड़ी) से गुजरने वाली पावर ग्रिड लाइन के अन्तर्गत आने वाले नाम खेतों से वृक्षों का पातन किया गया है ?

यदि हाँ, तो किस–किस कृषक के नाप खेत से कितने–कितने वृक्षों का पातन किया गया और इसके लिए कितना–कितना मुआवजे का भुगतान किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

नाम खेतों से वृक्षों के पातन का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	कृषक का नाम	पातित वृक्षों की संख्या
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री मंगल सिंह चौधरी, ग्राम गोदी बड़ी	01
2.	श्री मोहन लाल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद, ग्राम गोदी बड़ी	03

3.	श्री शिव दत्त पुत्र श्री ईश्वरी दत्त, ग्राम गोदी बड़ी	19
4.	श्री पूरन सिंह पुत्र श्री खुशहाल सिंह, ग्राम गोदी बड़ी	02
5.	श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुरली सिंह, ग्राम गोदी बड़ी	02
6.	श्री प्रेमलाल द्विवेदी पुत्र श्री भरोसानन्द, अध्यक्ष शिवालय सिद्धबाबा मन्दिर फतेहपुर तल्ली	01
	योग–	28

उक्त वृक्षों के पातन व निस्तारण का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पौड़ी को आवंटित किया गया था, वन विकास निगम द्वारा वृक्षों के प्रकाष्ठ की निस्तारण की गयी मात्रा के सापेक्ष मुआवजे के भुगतान हेतु दिनांक 28–06–2007 को रु0 75213/– की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार

जनपद देहरादून से जखोल एवं चीवाँ (टिकोची) हेतु उत्तराखण्ड परिवहन बस सेवा का पुनः संचालन

10–श्री राजेश जुवांठा–

क्या परिवहन मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून से जखोल एवं देहरादून से चीवाँ (टिकोची) हेतु उत्तराखण्ड परिवहन की बस सेवा संचालित की जाती थी ?

क्या यह सत्य है कि विगत समय में बस सेवायें बन्द कर दी गयी है जिससे वहाँ की जनता को यातायात की सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है ?

क्या सरकार उक्त बस सेवाओं को पुनः संचालित हेतु कोई कदम उठा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

देहरादून से जखोल, देहरादून से चीवाँ (टिकोची) बस सेवायें विगत समय में चलायी गयी थी, लेकिन आय कम आने के कारण यह सेवाएं बन्द करनी पड़ी। देहरादून से जखोल एवं देहरादून से चीवाँ (टिकोची) की बस सेवायें वर्तमान में पुनः संचालित करना सम्भव नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के ''चौखुटिया पेयजल योजना'' हेतु द्वितीय चरण के लिए अवमुक्त धनराशि

11–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड अन्तर्गत ''चौखुटिया पेयजल योजना'' हेतु प्रथम चरण स्वीकृत धनराशि का उपयोग कार्य पूर्ण कर लिया है ?

यदि हाँ, तो क्या द्वितीय चरण कार्य हेतु भी धनराशि अवमुक्त करा दी गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

प्रथम चरण के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करके 12 ग्रामों को संतृप्त किया गया है।

जी नहीं।

द्वितीय चरण में 09 ग्रामों के कार्य सैक्टर सुधार नीति (स्वैप) के अन्तर्गत कराये जाने हैं। अतः ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन करके बैंक में खाता खुलवा कर, इसमें समुदाय के नकद अंशदान की धनराशि जमा किये जाने पर योजना पर धनराशि अवमुक्त की जा सकेंगी।

जनपद टिहरी में सार्वजनिक आवगमन के लिए प्रतापनगर से मदन नेगी, बी0 पुरम एवं बौराड़ी तक रोप–वे का निर्माण

12–श्री विजय सिंह (गुडडू पंवार)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी बाँध परियोजना निर्माण में सृजित जलाशय से उत्पन्न स्थिति के कारण सार्वजनिक आवगमन के लिए प्रतापनगर से मदन नेगी, मदन नेगी से बी0 पुरम व बी0 पुरम से बौराड़ी नई टिहरी तक रोप–वे का निर्माण कराया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

वर्तमान में रोप–वे निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बाँध परियोजना के स्वीकृत पुनर्वास कार्य योजना में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है तथा आवश्यक आवगमन की सुविधा उपलब्ध है।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अर्न्गत श्री यशपाल बेनाम, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री विजय सिंह पंवार, श्री खजान दास, श्री राजेश जुवाँठा, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री हरिदास, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री राजकुमार, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री अनिल नौटियाल, श्री गगन सिंह रजवार, श्री चन्दन राम दास एवं श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री मनोज तिवारी तथा श्री नारायण पाल जी की कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री गोपाल सिंह रावत, श्री विजय सिंह पंवार, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री राजकुमार, श्री यशपाल बेनाम तथा श्री गगन सिंह रजवार की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं।

जनपद उत्तरकाशी की इन्द्रावती नदी में आई बाढ़ व केलसू क्षेत्र में बादल फटने के कारण भू–स्खलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी के बाड़ागढ़ी क्षेत्र में इन्द्रावती नदी पर दिनांक 3–7–2007 पूर्वाह्न आई बाढ़ के कारण बाड़ागढ़ी क्षेत्र के काश्तकारों के सिंचित खेत फसल सहित बह गये हैं और भैलुड़ा निवासी एक महिला बीच टापू पर फंस गयी जिसे चार घण्टे बाद नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों द्वारा मुश्किल से निकाला जा सका। वर्ष 1998 में भी इस नदी पर भंयकर बाढ़ आई थी जिसमें काश्तकारों की सैकड़ों नाली जमीन बह गयी थी और भैलुड़ा गाँव को भारी खतरा पैदा हो गया था। बाड़ागढ़ी बाढ़ प्रभावित काश्तकारों द्वारा मुआवजे तथा बाढ़ सुरक्षा कार्यों की माँग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन के साथ–साथ क्रमिक अनशन भी किया गया था किन्तु सरकार द्वारा काश्तकारों की न्यायोचित माँगों की पूर्ण उपेक्षा की गई। दिनांक 25–26/6/2007 की मध्य रात्रि को अतिवृष्टि के कारण वरूणावत भूस्खलन मलवे से बाड़ाहाट भौखचौक क्षेत्र व ज्ञानसू पाडुली नाला क्षेत्र के 100 से अधिक परिवारों का भारी नुकसान हुआ है। राजस्व विभाग द्वारा लगभग 50 लाख रु0 की क्षति का आकलन किया गया तथा मलवे से एक व्यक्ति पिंगलदास की मौत हुई है। दिनांक 1–2/7/2007 की मध्य रात्रि को तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत ग्राम सभा सेकू के कफलों में बादल फटने के कारण भू–स्खलन से मोटरपुल, सड़क, नर्सरी, पेयजल योजना, क्रेशर व मिक्सचर प्लान्ट बहने से केलसू क्षेत्र के 7–8 गाँवों का सम्पर्क मुख्यालय से कट गया है। 3–7–2007 पूर्वाह्न को रनाड़ी–अस्तल गाँव के मध्य बादल फटने व अतिवृष्टि के कारण बाढ़ से लगभग 100 मीटर मोटर मार्ग तीन स्थानों से बह गया है तथा हरी सिंह नेगी का आवासीय मकान दब गया है। लालदास का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। पंचायत भवन से रमेश के मकान

तक 20 मीटर मार्ग पूर्ण क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुराना डुण्डा, धनारीगाड में भी बाढ़ आने से कई सम्पर्क मार्ग पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा काश्तकारों की सैकड़ों नाली जमीन बह गयी है। भटवाड़ी तहसील मुख्यालय के पास राजमार्ग 100 मीटर धंस रहा है। लाटा के पास राजमार्ग बाधित है, धनारीगाड़ में दबकर दो मजदूरों की मृत्यु हुई है। विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री दैवीय आपदा, भू-स्खलन, बाढ़, बादल फटने इत्यादि घटनाओं से प्रभावित हैं। प्रभावित जनता द्वारा सहायता बाढ़ राहत कार्यों की मांग की जा रही है। मैं उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर समूचे गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र, को दैवीय आपदाग्रस्त संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर राहत, पुनर्वास तथा सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 10 करोड़ रु0 का विशेष पैकेज तत्काल स्वीकृत कर प्रभावितों के साथ न्यायोचित कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के वि0स0 क्षेत्र प्रतापनगर के, टिहरी जलाशय बनने के फलस्वरूप, नागरिकों की सुविधा पानी, विद्युत, चिकित्सा, शिक्षा आदि की समुचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)-

महोदय, टिहरी बाँध परियोजना की अन्तिम सुरंग टी-2 बन्द होने के पश्चात विशाल जलाशय के अस्तित्व में आने के परिणामस्वरूप विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड प्रतापनगर और जाखणीधार की धारमण्डल, दुंगमन्दार पट्टियों में स्थित गाँवों की सम्पूर्ण नागरिक सुविधायें जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। देश को रोशनी देने वाला टिहरी बाँध प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र के समूचे भू-भाग को अन्धकारमय कर गया। समस्त नागरिक सुविधायें टिहरी शहर के साथ विशाल झील में समा गयी। प्रतापनगर क्षेत्र से मुख्यालय नई टिहरी आने के लिए लगभग 100 किमी0 की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। यात्री व मालभाड़े में अप्रत्याशित वृद्धि हो गयी जिस कारण लोग घरों को छोड़ पलायन को मजबूर हो गये हैं। मदन नेगी में टिहरी बाँध पैकेज में दस शय्याओं का अस्पताल, एक चिकित्सक, एक फार्मासिस्ट व एक स्वीपर/चौकीदार के पद सृजन कर खोला गया लेकिन अस्पताल में चिकित्सक नहीं है और इसके उच्चीकरण के लिए जनता द्वारा बार-बार माँग की जा रही है जो कि लम्बित है।

जनता के बार-बार आन्दोलनों के पश्चात भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मदन नेगी में भवन निर्मित होने के बाद भी संचालन नई टिहरी से किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के नाम पर महाविद्यालय अगरोड़ा धारमण्डल एवं लम्बगाँव में केवल एक प्राचार्य व एक संकाय के साथ खोले गये महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय न होने से क्षेत्र के छात्र-छात्राओं का भविष्य भी अन्धकारमय हो गया है। रौणदरमोली पट्टी के दिजुला घाटी में बिजली, पानी, सड़क इत्यादि सुविधाओं से लोग वंचित हैं, टिहरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जलाशय के बन जाने से प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा मांग की जा रही है। मैं इस अविलम्बनीय तात्कालिक व लोक महत्व की सूचना को नियम–300 में लेकर सरकार से नागरिक सुविधाओं की शीघ्र व्यवस्था कराये जाने की कार्यवाही की माँग करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा घोषित "एम्स" परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में केन्द्र की पूर्ववर्ती राजग सरकार द्वारा "एम्स" की घोषणा की गई थी, जिसका शिलान्यास तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया था, जिस पर लगभग एक करोड़ रुपये प्रारम्भिक तौर पर खर्च भी किये गये थे।

अब 2007 खत्म होने को है, अभी तक अति महत्वपूर्ण परियोजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है।

अतः मेरी प्रार्थना है मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की माँग करता हूँ।

गुप्तकाशी–नागजई मोटर मार्ग पर घुत्तु नामक स्थान के बार–बार भू–स्खलन से यातायात अवरूद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती आशा–

[मान्यवर, जनपद रूद्रप्रयाग के गुप्तकाशी–नागजई मोटर मार्ग में बार–बार भारी भू–स्खलन होता रहता है, जिससे यातायात हमेशा बाधित रहता है, तथा क्षेत्रवासियों एवं आने–जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही भविष्य में भारी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

वि0स0 क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत नया गाँव भुडपुर, सिंहनीवाला, शेरपुर, शेखोंवाला आदि गाँवों में रेशम कीट पालकों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजकुमार–

मान्यवर, सहसपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्षों से सैकड़ों रेशम कीट पालक शहतूत से रेशम निकालने व कीट पालने का काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गयी है, जिससे ये लोग जरूरी सुविधा से आज भी वंचित हैं। क्षेत्रीय जनता ने इस सम्बन्ध में पूर्व में भी शासन-प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई भी ठोस कार्यवाही न होने से स्थानीय जनता में भारी असंतोष व आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0ख0 एकेश्वर के अन्तर्गत मटियाना पुल से पिलखेरा मैणां, संगोड़ा होते हुए ईड़ाखाल तक मोटर के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यशपाल बेनाम-

महोदय, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत मटियाना पुल से पिलखेरा मैणां, संगोड़ा होते हुए ईड़ाखाल तक मोटर मार्ग जो कि विगत 7-8 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ तथा जिस पर कार्य प्रारम्भ हुआ। तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री जो कि क्षेत्रीय विधायक भी थे उनके द्वारा उद्घाटन भी किया गया, परन्तु आज तक उक्त मोटर मार्ग पर यातायात की सुविधा जनता को नहीं मिल पायी। यह मार्ग लगभग 6-7 किमी0 स्वीकृत है सड़क निर्माण की गति अत्यन्त ही दयनीय है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद यह पहला अवसर होगा जबकि इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी इस क्षेत्र की भोली-भाली जनता को मार्ग का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, वर्तमान स्थिति यह है कि लोगों में मोटर मार्ग के सम्बन्ध में अत्यन्त आक्रोश व्याप्त है तथा मोटर मार्ग के प्रति कभी भी आन्दोलन का रूप धारण कर सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं नियम-300 के अन्तर्गत सरकार से त्वरित कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0स0 क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत स्थित अस्कोट कस्तूरा मृग विहार हटाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गगन सिंह-

मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत स्थित अस्कोट कस्तूरा मृग विहार दर्शाया गया है। उससे सारी विकासात्मक गतिविधि पूर्ण रूपेण अवरूद्ध हो गयी हैं। उस क्षेत्र में कस्तूरी पक्षी नगण्य है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को सदन के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाय। जनहित को ध्यान में रखते हुए अस्कोट कस्तूरा मृग विहार की परिधि को पुनर्सीमांकन कर हटाया जाय।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं, जनहित के महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस विषय पर उचित कार्यवाही की माँग करता हूँ।

वर्ष, 2007 के प्रथम सत्र में प्रस्तुत नियम-300 की सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (प्रकाश पन्त)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2007 के प्रथम सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007

*पंचायती राज मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बिशन सिंह चुफाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-58 के अन्तर्गत पहली मौ0 शहजाद, श्री हरिदास, चौ0 यशवीर सिंह, हाजी तस्लीम अहमद, दूसरी श्री राजेश जुवॉठा, तीसरी श्री केदार सिंह रावत, श्री करन मेहरा, चौथी श्री बलबीर सिंह नेगी, पाँचवी श्री प्रेमानन्द महाजन एवं काजी निजामुद्दीन, छठी श्री मनोज तिवारी तथा सातवीं श्री नारायण पाल जी की कुल 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से पहली चौ0 यशवीर सिंह, मौ0 शहजाद, श्री हरिदास, हाजी तस्लीम अहमद, दूसरी श्री मनोज तिवारी तथा तीसरी काजी निजामुद्दीन, श्री प्रेमानन्द महाजन जी की सूचना को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार की गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, यह समस्या आज नहीं बल्कि बहुत पुरानी समस्या है। कांग्रेस के शासन काल में भी यह समस्या बार–बार उठायी गयी, उस पर कोई चर्चा कांग्रेस सरकार ने नहीं की है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह काश्तकारों के बिलों के ऊपर जो सरचार्ज लगाया जाता है उस सम्बन्ध में है। मान्यवर, आज बिजली की दर हार्स पावर 126 रु0 काश्तकारों से लिया जा रहा है और 20 रु0 बिलिंग के लिए जा रहे हैं। जबकि पूर्व में बिजली की दरें 08 अगस्त, 1994 से 07 जुलाई, 1996 तक 50 रु0 हार्स पावर, 08 अगस्त, 1996 से 06 जून, 2000 तक 40 हार्स पावर 07 जुलाई, 2000 से 06 जून, 2004 तक 55 रु0 हार्स पावर तथा 07 जुलाई, 2004 से 12 दिसम्बर, 2004 तक 105 रु0 हार्स पावर और 01 जनवरी, 2005 से जून, 2007 तक 126 रु0 पर हार्स पावर बिल लिये जाते रहे। मान्यवर, कोई इतनी महंगाई भी नहीं बढ़ी, जिसके कारण बिजली के रेट बढ़ गये हों। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये बिजली के रेट यहाँ पर इतने क्यों बढ़ाये जा रहे हैं, जबकि यहाँ प्रदेश में बिजली भी पैदा की जाती है ? मान्यवर, उत्तर प्रदेश में काश्तकारों से 65 रु0 प्रति हार्स पावर लिया जा रहा है, जबकि वहाँ पर बिजली का उत्पादन भी नहीं हो रहा है।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण यहाँ देना चाहता हूँ। मैं बिजली के दफ्तर में गया था, वहाँ पर मुझे एक काश्तकार मिला जो डाडली गाँव का रहने वाला था, इसका नाम साधु राम था, वह भी लाईन में खड़ा था। वह मेरे पास आया और उसने बताया कि उन पर 52610 रु0 का बिल आया है, जिस पर सरचार्ज लगाकर वह 141758 रु0 का बिल हो गया है। मान्यवर, ऐसे कई उदाहरण हैं। मान्यवर, छः–छः गुना बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं और इसके बाद उसकी रिकवरी की गयी। मान्यवर, काश्तकारों के घर पुलिस, तहसीलदार आदि जा रहे हैं। रिकवरी पर 10% रिकवरी चार्ज लगाया गया है अब यह चार्ज 14 हजार रु0 हो गया है। मान्यवर, कांग्रेस सरकार ने 126 रु0 का हार्स पावर का कनेक्शन दिया था, जिस पर 630 रु0 प्रतिमाह बिल आता है और उस बिल पर 20 रु0 लाइट का देना पड़ता है। मान्यवर, इस तरह से यह 650 रु0 प्रति माह बिजली का बिल आ रहा है। मान्यवर, काश्तकार द्वारा बिल अदा न करने की दशा में 1.25 प्रतिशत का सरचार्ज लिया जा रहा है और सरकार ब्याज को अगले महीने में उसके मूलधन में जोड़ दिया जाता है और उस मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज भी लिया जाता है। मान्यवर, यह सरकार गन्ने के किसानों को ब्याज नहीं दे रही है, जबकि उनका भुगतान एक साल से लटका पड़ा है। इससे काश्तकारों में रोष व्याप्त है वे कहते हैं हमसे तो बार–बार ब्याज लिया जा रहा है जबकि हमें ब्याज नहीं दिया जाता (गन्ने पर)। मान्यवर, यह विषय अविलम्बनीय है, तात्कालिक है इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि जो कार्य कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है, वह कार्य यह सरकार करें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस ज्वलन्त मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस मुद्दे पर हमने बार–बार 'वेल' में आकर नारे भी

लगाये हैं कि "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी।" मान्यवर, वास्तव में विद्युत के मुद्दे पर सरकार सोई हुई भी रही हो, वह किसान हितैषी सरकार नहीं रही है। मान्यवर, माननीय गन्ना मंत्री जी बहुत अच्छे–अच्छे भाषण देकर कह रहे हैं हम किसानों के हितैषी हैं। मान्यवर, गन्ना किसानों का पैसा एक साल में मिलता है और किसानों के बिजली के बिल पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है। मान्यवर, आज किसानों की आर0सी0 काटी जा रही है और उसे जेल में जाना पड़ता है। किसान का पैसा, पैसा न होकर ऐसा है जैसा मिट्टी या कागज हो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है।

आज किसान भूखमरी की कगार पर हैं, आत्महत्या की स्थिति में हैं। अन्य प्रदेशों में किसानों ने आत्महत्या की हैं, ऐसा न हो कि उत्तरांचल राज्य का नाम भी उसमें जुड़े। यहाँ की सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण आज किसान आत्महत्या की स्थिति में आ गया है। अगर समय रहते सरकार सजग नहीं हुई, सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो जनमानस में असंतोष की स्थिति पैदा हो जाएगी और किसान आत्महत्या करने लगेंगे। इसके लिए वह सरकार जिम्मेदार होगी, जो सत्ता में होगी। हमें इससे मतलब नहीं है कि सरकार में कांग्रेस है, बी0जे0पी0 है या कोई तीसरी पार्टी है। किसानों के हित में निर्णय होना चाहिए। वह गरीब है, मजलूम है, वह 24 घण्टे काम करता है लेकिन अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छा खाना नहीं खा सकता, अच्छी गाड़ी में नहीं घूम सकता। उसके बाद भी किसान का शोषण हो रहा है। अधिकारी कृषि का हो या गन्ने का, हर कोई किसान का शोषण करने पर आमदा है। आज पीठ से निर्णय आ जाना चाहिए कि सरचार्ज खत्म हो जाना चाहिए। पूरा बिल देने के लिए किसान तैयार हैं। लेकिन वहाँ पर कोई बिल लेने वाला नहीं है। किसानों की हालत बहुत खराब है। उनका 100 रुपये का बिल है तो उस पर सरचार्ज 250 रुपये लगा दिया है। अगर किसान अपने पैसे को डिपोजिट कराता है उसका पैसा कटता है उसने 5 साल में रिन्यूवल नहीं कराया तो हर महीने चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया जाता है। सरकार भी इसको समझ रही होगी कि इसका हल क्या है। लेकिन इसका हल सदन में निकलना चाहिए, यह मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरिदास जी, बहुत विस्तार से बात आ गयी है। अगर कोई अन्य बात हो तो कह दीजिए।

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी माँग यह है कि बिजली बनाने वाले हम हैं, उत्पादन करने वाले हम हैं। बिजली का उत्पादन हमारे यहाँ होता है लेकिन यू0पी0 में हमारे यहाँ से कम रेट पर बिजली मिल रही है। हमारे किसानों को वहाँ से दो गुने रेट पर बिजली दी जा रही है। अभी माननीय संदस्य ने कहा कि हार्स पावर बढ़ा दी है, ट्यूबवेल में मीटर लगा दिये गये हैं। 50 प्रतिशत में मीटर लग गये हैं। मेरा अनुरोध है कि जो मीटर लगाये जा रहे हैं, उनको रोका जाय। किसान फैक्ट्री नहीं चला रहा है। वह तो हमारे लिए, पूरे प्रदेश के लिए अनाज पैदा कर रहा है, गन्ना पैदा कर रहा है। हम समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं। क्या मायावती जी ने उत्तरांचल की बिजली खरीद ली है। यही बिजली पहले थी, यही बिजली आज है। पहले की व्यवस्था क्यों नहीं लागू की जा रही। यू0पी0 के पेपर वाले कह रहे हैं कि बिजली यू0पी की है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरिदास जी, माननीय मायावती जी यहाँ पर मौजूद नहीं है।

श्री हरिदास–

मान्यवर, पेपर वाले जो लिख रहे हैं, उसमें हमारी बेइज्जती है। हमारे यहाँ बिजली पैदा हो रही है। मेरा अनुरोध है कि किसानों के बिल जो तहसील को भेज दिये गये हैं, वह विद्युत विभाग को वापस कर दिये जाएं। सरचार्ज जो 10 परसेंट है, उसे समाप्त कर देना चाहिए। उनकी आर0सी0 मंगवा कर उनको समाप्त कर देना चाहिए।

*हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, वैसे तो सारी बातें आ गयी हैं। मेरा कहना है कि जहाँ पर मीटर लगा दिये हैं, वहाँ पर सरचार्ज भी लिया जा रहा है। यह डबल मार है। मैं तो यही बात कहूँ कि कम से कम उत्तरांचल में जहाँ किसान कम तादाद में हैं, कृषि भूमि भी कम तादाद में है, वहाँ पर बिजली का नाम मात्र का चार्ज होना चाहिए। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देनी चाहिए। मैं यही बात कहूँगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, माननीय नेता बसपा और अन्य विधायकगणों द्वारा एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, इसके सम्बन्ध में, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि गत समय में जब 06 माह में विद्युत देयक जमा करने की व्यवस्था नहीं थी तब सरचार्ज में छूट देते हुए कुछ समयावधि हेतु देयक जमा करने की सुविधा दी गई। इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 में समयावधि 15–04–2005 से 14 अगस्त, 2005 तक ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू एवं निजी नलकूप या पम्पसेट उपभोक्ताओं से लम्बित विद्युत देयकों की वसूली उनके विद्युत बिल संशोधन एवं विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करने की योजना उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा लम्बित विद्युत देयकों का पूर्ण भुगतान करने की दशा में लम्बित विद्युत अधिभार की राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी। वर्तमान में किसानों और कृषि उपभोक्ता संगठनों द्वारा विलम्ब भुगतान अधिभार में पूर्ण छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

मान्यवर, दिनांक 31 मार्च, 2007 तक निजी नलकूपों तथा पम्पसेट उपभोक्ताओं के विरूद्ध जो बकाया राशि है, वह गढ़वाल क्षेत्र में रु0 21.65 करोड़ तथा कुमायूँ क्षेत्र में 11.42 करोड़ रुपये है। इसके लिए कारपोरेशन द्वारा 19 जुलाई, 2006 को एक याचिका विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके माध्यम से निजी नलकूप एवं पम्पसेट उपभोक्ताओं के विरूद्ध लम्बित देय राशि का भुगतान प्राप्त होने की दशा में अधिभार में शत–प्रतिशत छूट प्रदान करना प्रस्तावित किया गया था। कारपोरेशन की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस याचिका पर निर्णय लेते हुए विद्युत नियामक आयोग ने अपने 11 सितम्बर, 2006 के पत्र से अवगत कराया है कि कारपोरेशन यह छूट स्वविवेक से प्रदान कर सकता है। परन्तु प्रदान की गई छूट की राशि टैरिफ के माध्यम से अनुमन्य नहीं की जायेगी एवं इसका भार ईमानदार उपभोक्ताओं पर नही डाला जायेगा।

मान्यवर, कारपोरेशन एवं वाणिज्यिक संगठन है और वह किसी भी मद में व्यय उसके विरूद्ध होने वाले राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए ही करने में सक्षम है। चूँकि नियामक आयोग ने प्रदान की जाने वाली छूट की वसूली टैरिफ के माध्यम से करने के लिए इन्कार कर दिया है और विद्युत टैरिफ निर्धारण एवं विद्युत व्यवसाय का विनियमन राज्य विद्युत नियामक आयोग के क्षेत्राधिकार में है अतः उनके सामने पुनः प्रस्ताव जाना चाहिये। माननीय सदस्यों द्वारा भी कई बातों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है और इस बारे में निर्धारण विद्युत नियामक आयोग ही कर सकता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार भी चाहती है कि किसानों की पूरी सहायता हो सके। लेकिन जब तक विद्युत नियामक आयोग की अनुमति इस पर नही मिल जाती है, तब तक अतिरिक्त सरचार्ज को माफ नहीं किया जा सकता है।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार बड़ी कि आयोग बड़ा ?

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश को तो सरकार चला रही है और हम तो ब्याज को माफ करने के लिए कह रहे हैं, मूल माफ करने के लिए थोड़े ही कह रहे हैं। बिजली का बिल तो किसान देने को तैयार है ही, लेकिन जो उन बिलों पर सरचार्ज 5–6 गुना अधिक आ गया है, हम उसे खत्म करने की माँग कर रहे हैं, क्योंकि वह पैसा तो बिजली विभाग का है ही नहीं। मान्यवर, जब ऐसे प्रकरणों पर किसानों को जेल में डाला जायेगा और दंडित किया जायेगा तो स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। कहाँ जायेंगे ये लोग ? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें जो नियामक आयोग है (व्यवधान) वही इस सम्बन्ध में निर्णय लेता है और उसने अनुशंसा की है कि इसको टैरिफ के साथ अनुमन्य नहीं किया जा सकता है। हम इस पर विचार करेंगे लेकिन नियमों के दायरें में।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे जिस कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(माननीय सदस्य, चौ0 यशवीर सिंह जी ने "वेल" में खड़े होकर कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, जब तक आयोग का निर्णय होगा तब तक तो सारे किसानों की रिकवरी हो जायेगी, तब तक तो वे जेल चले जायेंगे। आप आर0सी0 रूकवा दें।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौ0 यशवीर सिंह, श्री शहजाद, श्री प्रेमानन्द महाजन, हाजी तस्लीम अहमद तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ। (घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य, चौ0 यशवीर सिंह जी ने "वेल" में खड़े होकर कहा कि इसमें कोई निर्णय तो हुआ नहीं।)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे अग्राह्य कर चुका हूँ। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय पर सरकार बहुत गम्भीर है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसमें सरकार पुनर्विचार के लिए आयोग से अनुरोध कर रही है। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य, काजी निजामुद्दीन जी ने "वेल" में खड़े होकर कहा कि आर0सी0 की कार्यवाही तो रूकवा दें।)

श्री प्रकाश पन्त–

ठीक है। श्रीमन्, आर0सी0 रोक दी जायेगी।

("वेल" में मौजूद बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर जा कर बैठ गये।)

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में सुनने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह शिक्षा से जुडा हुआ महत्वपूर्ण विषय है, यह लोक महत्व का प्रश्न है। अशासकीय असहायिक स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों के बराबर कई वर्षों से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते आ रहे हैं कि इनको अनुदान सूची में शामिल किया जाये और इस सम्बन्ध में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गठित मंत्री–मण्डल की उप समिति की बैठक दिनांक 10–10–2006 में इन अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में शामिल किये जाने की सहमति प्रदान की गयी थी। परन्तु आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें विराम लग गया था। इन विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी और शिक्षक पठन–पाठन का कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। मान्यवर, इसके साथ–साथ ये बहुत ही सुदूर क्षेत्रों में ये स्कूल खुले हुए हैं, शिक्षक जो यहाँ पर पठन–पाठन का कार्य कर रहे हैं, वह पूरी तरह प्रशिक्षित भी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इन अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में शामिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ? जो बजट सदन में प्रस्तुत हुआ है उसमें इन स्कूलों के लिए प्राविधान रखा गया

है या नहीं रखा गया है। अगर इन विद्यालयों को अनुदान सूची में नहीं लिया गया तो विद्यालय में कार्यरत शिक्षण–शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। चूँकि शिक्षा हमारे विकास की प्रथम सीढ़ी होती है, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाये।

*शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी द्वारा अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता के सम्बन्ध में जिज्ञासा की है। मैं माननीय सदस्य को सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि अशासकीय मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनको अनुदान सूची में किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 9–10–2006 को पूर्ववर्ती सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी के संयोजकत्व में माननीय मंत्रिमण्डल की समिति की बैठक हुई जिसमें पूर्व से टोकन अनुदान में सम्मिलित 19 जूनियर हाई स्कूल व 02 हाई स्कूलों को पूर्ण अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया। मान्यवर, शासनादेश संख्या 70–XXIV–4/2007 दिनांक 30–03–2007 द्वारा 19 जूनियर हाई स्कूलों एवं 02 हाई स्कूलों को अनुदान सूची में सम्मिलित किया जा चुका है। यह भी निर्णय ले लिया है कि दिनांक 31–12–2001 तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों को पूर्ण अनुदान तथा दिनांक 01–01–2002 से 31–12–2002 तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों को टोकन अनुदान में इस शर्त के साथ लिया जायेगा कि यदि ये विद्यालय असेवित क्षेत्रों में अवस्थित हो अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 5 कि0मी0 तथा शहरी क्षेत्रों में 03 कि0मी0 की परिधि में अन्य विद्यालय स्थित न हो तथा इन विद्यालयों में संगत पद हेतु अधिनियम में निर्धारित अर्हता रखने वाले स्टाफ की तैनाती मानकानुसार तथा वैधानिक रूप से की गई हो। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि हम सारे विषय का परीक्षण करा रहे हैं और बजट की उपलब्धता पर इनको सम्मिलित करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 19 विद्यालयों का टोकन अनुदान में जिक्र किया है, जबकि आपने 2007 में इनको अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि कब तक उनको अनुदान सूची में सम्मिलित करने का निर्णय ले लेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसका परीक्षण करा रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि 2000 तक पूर्ण अनुदान के लिए और 2002 तक टोकन अनुदान के लिए निर्णय अभी लिया जायेगा। (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 19 विद्यालय हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी पूरा उत्तर दें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 19 विद्यालय टोकन अनुदान में लिये थे, जिनको टोकन के रूप में एक–एक लाख रुपये दिया जाता है, इससे मैं संतुष्ट हूँ लेकिन मान्यवर, 2001 तक जिन विद्यालयों को मान्यता मिली है उनको पूर्ण अनुदान और 2002 तक जिन विद्यालयों को मान्यता मिली है उनको टोकन मान्यता का निर्णय लिया गया है। एक तरफ आपने कहा कि निर्णय लिया गया है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इसका परीक्षण करवाया जा रहा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, परीक्षण इस चीज का करवाया जा रहा है कि जो इस अवधि के मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, वह शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में पाँच कि0मी0 की एरिया में और शहरी क्षेत्र में 3 कि0मी0 की एरिया में हैं कि नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, 2002 के जिन विद्यालयों को मान्यता मिली थी इस सम्बन्ध में आपसे आपके कक्ष में बात हुई थी।

श्री अध्यक्ष–

कक्ष में हुई बात को यहाँ पर मत कहें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि क्या सरकार 2007 तक जिन विद्यालयों की मान्यता, चाहे वह जूनियर हाई स्कूल हो, हाई स्कूल और इण्टर कॉलेज हों क्या उनको अनुदान सूची में सम्मिलित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद् की समिति बनेगी उसमें जो निर्णय होगा फिर परीक्षण की कार्यवाही के बाद हम तय करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री मनोज तिवारी और माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं, इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–58 के तहत कार्य स्थगन की सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं, आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, ग्राम पंचायत वरीराई विकास खण्ड गदरपुर जिला ऊधमसिंह नगर के ग्राम लगड़ा भोज में 60–65 गरीब मुस्लिम परिवार निवास करते हैं। उनके पास खेती की भूमि नहीं है तथा इन मुस्लिम परिवारों के यहाँ यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफनाने के लिए जगह नहीं है। इन परिवारों के लोगों ने इसी गाँव के चौ0 गजेन्द्र सिंह से एक नाली भूमि कब्रिस्तान के लिए दान में ली। श्री गजेन्द्र सिंह जी ने 17–07–2006 को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में स्वयं दान पत्र लिखकर दिया हैं उसके कुछ दिन इन मुस्लिम परिवारों के गाँव में किसी बालक की मृत्यु होने पर उस बालक के शव को दान की गई भूमि पर दफनाने के लिए मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार दफनाने का कार्य किया तो कुछ लोगों द्वारा पाँच–सात दिन बाद इसका विरोध किया और उनके द्वारा कहा गया कि गलत जगह पर कब्रिस्तान बना दिया गया हैं यह जगह अनुसूचित जनजाति की भी है, यह बुक्सा समाज के लोगों की है इस बात को लेकर वहाँ आपस में झगड़ा हो जाता है। वहाँ पर स्थानीय प्रशासन और तहसील प्रशासन वहाँ जाता है और उनके हस्तक्षेप के बाद मामला निपटता है। उसी बीच मुस्लिम समाज के कुछ लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको लेकर जिलाधिकारी के पास गया और जिलाधिकारी महोदय से कहा कि ये लोग कब्रिस्तान बनाने के लिए जमीन की माँग कर रहे हैं। इनकी माँगों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें।

मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला अधिकारी ने उप जिलाधिकारी व तहसीलदार को भूमि देने के लिए आदेश किये जाने के बाद भी आज तक कब्रिस्तान हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं करवायी गयी, जिसके फलस्वरूप वहाँ की जनता ने कई जगह कई बार धरना और प्रदर्शन किये। मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को कब्रिस्तान बनाने के लिए स्थानीय जनता द्वारा फाइल लेकर अनुरोध किया गया परन्तु उनकी बात नहीं सुनी गयी जिससे वे वापस आ गये। तत्पश्चात वहाँ की जनता आन्दोलन कर रही है। आज भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मान्यवर, जनता इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी से बार–बार मिल रही है, लेकिन इस पर प्रशासन भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। मान्यवर, इस क्षेत्र में 60–65 मुस्लिम परिवार के लोग निवास कर रहे हैं और अगर किसी की मौत होती है तो उन लोगों द्वारा मजबूरी में शवों को घरों में दफनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भूमि उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, गदरपुर से लगभग कुछ दूरी पर सरकार की काफी बंजर भूमि उपलब्ध है, लेकिन उस बंजर भूमि में वहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मानवता के नाते इन परिवारों को सरकार की बंजर भूमि उपलब्ध करायी जाय। मान्यवर, क्योंकि वहाँ की जनता काफी परेशान है, इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है कि सरकारी भूमि इन परिवार को कब्रिस्तान के उपयोग हेतु दी जाय।

*काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन जी ने इस सम्बन्ध में पूरी बात कह दी है, लेकिन मान्यवर, मेरा भी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, कि अगर चाहे कोई भी धर्म हो उसको इस पवित्र संस्कार के रीति–रिवाज से गुजरना ही पड़ता है। अतः सरकार इन परिवारों के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की कार्यवाही शीघ्र करें। चाहे सरकार अपने माध्यम से उस क्षेत्र में चकबन्दी करवाये या किसी रूप में भी इन परिवारों को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भूमि उपलब्ध कराएं। चूँकि मान्यवर, ये परिवार इतने धनी भी नहीं हैं कि वह पैसा लगाकर जमीन इस कार्य के लिए खरीद सकें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन और काजी मौ0 निजामुद्दीन द्वारा आज यह बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाया गया है। मान्यवर, यह ग्राम पंचायत–वरीराई विकास खण्ड, गदरपुर जिला ऊधमसिंह नगर के ग्राम लगड़भोज (मुकुन्दपुर) गाँव के गरीब मुस्लिम परिवारों के पास कब्रिस्तान की भूमि उपलब्ध नही हैं। इसी गाँव के चौधरी गजेन्द्र सिंह ने कब्रिस्तान के लिए भूमि दान में दी है। किन्तु उस भूमि का उपयोग मुस्लिम समुदाय को नहीं करने दिया जा रहा है। बाद में ज्ञात हुआ कि यह भूमि किसी अन्य व्यक्ति की है। जिला प्रशासन से कब्रिस्तान हेतु भूमि की माँग की गयी। किन्तु अभी तक कब्रिस्तान हेतु भूमि की व्यवस्था नहीं हो पायी है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम लंगड़ाभोज (वरीराई) मुकुन्दपुर तहसील गदरपुर के दो समुदाय बुक्सा जनजाति/मुस्लिम समुदाय के मध्य विवाद उत्पन्न होने के फलस्वरूप विवाद सुलझाने हेतु दोनों समुदायों के चार–चार व्यक्तियों तथा ग्राम के चार सम्भ्रान्त व्यक्तियों की उपस्थिति में थाना परिसर गदरपुर में बैठक की गयी। जिसमें उप जिलाधिकारी/सर्किल ऑफिसर, गदरपुर थाना गदरपुर, तहसील गदरपुर व क्षेत्रीय पटवारी की मौजूदगी में दोनों पक्षों को सुना गया, तथा ग्राम के सम्भ्रान्त व्यक्तियों की बात सुनकर यह निर्णय लिया गया कि जब तक श्रीमन्, इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक गदरपुर कब्रिस्तान में यह व्यवस्था रखी गयी है। तत्पश्चात कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष तथा ग्राम प्रधान वरीराई द्वारा पारित प्रस्ताव सं0–2 में खसरा नं0 111/1 रकबा 0.329 हेक्टेयर को उपयुक्त बताया गया। प्रस्तावित सम्पत्ति राजकीय वर्ग–5 (1) में दर्ज है। मान्यवर, प्रक्रिया गतिमान है और इस समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, जहाँ तक विवादों की बात है तो इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है। मान्यवर, वह जो जमीन है उसको चौधरी ने तहसील से नीलामी में खरीदी थी। क्योंकि वह जमीन किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकती है। परन्तु जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बन्दोबस्त हुआ उसमें कुछ लोगों की जमीन आगे–पीछे हो गयी किसी के नं0 कहीं और पड़ गये। मान्यवर, जो जमीन दान में दी गयी तो सभी जानते है कि पैसे लेकर दान पत्र लिख दिया जाता है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, खसरा नं0 111/1 रकबा 0.0329 जोकि वर्ग–5(1) में दर्ज है कि हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है और यह शीघ्र से शीघ्र हो जायेगा।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, कब तक हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

इससे कार्यवाही गतिमान है। माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन, काजी निजामुद्दीन एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं, इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, बजट तो हर साल प्रस्तुत होता है पहले हमारे मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने भी बजट पेश किया और आज यह जो बजट पेश किया दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है कभी हमें मौका मिलेगा बजट पेश करने का तो हम निश्चित रूप से अच्छा बजट पेश करेंगे। मान्यवर, बजट सरकार का आईना होता है जिससे सरकार जनता की समस्याओं के समाधान की कोशिश करती है लेकिन इस बजट में इसका कोई समाधान नहीं किया गया है फिर भी बजट में दो चार बातें बहुत अच्छी है जो सराहनीय है जैसे "गौरा देवी कन्या धन योजना" बजट में कोई नया कर नहीं प्रस्तावित करना, राजस्व घाटे के बजाय राजस्व सरप्लस बजट, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड रोगियों एवं उनके परिवारजनों की सुविधा हेतु किराये पर विश्राम गृह की व्यवस्था निश्चित रूप से यह जो कार्य है मान्यवर, जो अच्छे कार्य हैं उनकी सराहना तो करनी ही चाहिए। मान्यवर, जो घोषणाओं होती है उसे लागू करना और वह लागू हो जाय तो लगता है कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निर्बल वर्ग के लिए जो योजनाएँ है उनको कार्यान्वित करना और उन पर कार्य हो।

मान्यवर, मैं देख रहा हूँ कि लोग दर–दर की ठोकरें खाते रहते हैं, वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रही है, बीमारों को पैसा नहीं मिल रहा है, विधवाओं के लिए जो राशि अवमुक्त होती है वह भी नही है। मान्यवर, आबकारी मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत अच्छी नीति बनाई है। माननीय अध्यक्ष जी, दिन के 11:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक का समय है, यह समय उचित नहीं है, इसे रात्रि 10:00 बजे तक होना चाहिए। मान्यवर, मैं

इसलिए कह रहा हूँ कि जब रात्रि 8.00 बजे दुकाने बन्द हो जाती है तो ठेकेदार शराब को दुकान से दस कदम दूर दूसरी जगह रख देता है और तब 18 रुपये का पव्वा 22 रुपये में हो जाता है। मान्यवर, रही पुलिस की बात पहले हर थाना आबकारी ठेकेदार से 3500 रुपये लेता था और अब वह राशि बढ़कर 7000 हो गयी है। यह आबकारी मंत्री का कमाल है। मान्यवर, आहार योजना में कक्षा 6, 7, 8, के स्कूल बच्चों को आहार दिया जायेगा अच्छी बात है, लेकिन वहाँ के अध्यापक–अध्यापिकायें जो हैं पूरे दिन खाना बनाने में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि कल क्या सब्जी–दाल आयेगी, तो वे इसी में लगे रहते हैं और पढ़ाने का समय नहीं है। मान्यवर, इसके लिए अलग से बजट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, क्या डेढ़ रुपये में एक व्यक्ति या बच्चा खाना खा सकता है, यह खुद ही सरकार सोचे।

माननीय अध्यक्ष जी, विवेकाधीन कोष की बात है तो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी घोषणा की थी कि दो हजार से पाँच हजार के बीच जो राशि आवंटित की गई है वह दी जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, यह भी कर दिया कि अब डी0एम0 की रिपोर्ट आयेगी, अब डी0एम0, एस0डी0एम0 से, एस0डी0एम0 पटवारी से, पटवारी कानूनगो से रिपोर्ट लेगा तो अब पटवारी कानूनगो आदि को भी पैसा देना होगा इससे सरकार ने एक और भ्रष्टाचार बढा दिया। मान्यवर, पहले माननीय विधायक के पास प्रार्थना –पत्र दे देते थे तब मिल जाता था अब कई जगह जाना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, औद्योगिकरण में कोई स्पष्ट बात नहीं है, अगर प्रोत्साहन देना था, छोटे–छोटे उद्योग पहाड़ में लगाने थे तो उन्हें थोड़ी छूट दे देते, हर चीज में देते हैं उसमें भी दे देते, जिससे छोटे–छोटे उद्योग लग जाते। मान्यवर, पहले सरकार ने उपजाऊ उपयोगी भूमि उद्योगों को दी। मान्यवर, चार हजार हेक्टेयर भूमि दी जिसे 6 गुणा करें तो 24 हजार बीघा होगी और यदि प्रति हेक्टेयर दो कुन्तल गेहूँ अनाज पैदा होता है तो 48 हजार बोरी अनाज उत्तरांचल में और अधिक गेहूँ पैदा होता है, दूसरी फसलों की बात तो और है।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी माननीय सदस्य बैठे–बैठे बात न कहें।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, अच्छा होता कि सरकार न्यूनतम मजदूरी, जो मजदूर को मिलती है, उसको बढ़ाने की बात करती। मान्यवर, बजट में अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। दलितों के बारे में सरकार हित की बात करती है तो मैं समझाता हूँ कि ऐसी कोई बात इस बजट में नहीं की गई, हालांकि हमारे माननीय खण्डूड़ी जी मिलेट्री से आये हैं और उन्होंने रिटायर्ड मिलेट्री वालों के लिए भी कोई घोषणा नहीं की। मान्यवर, जो इस पत्रिका में उपलब्धि का बखान किया है वह एक बार नहीं 6–6 बार किया है।

मान्यवर, बजट भाषण में शुरू में की गयी उपलब्धि को 70 पेज का क्यों किया गया ? यदि ऐसा न करते तो सरकार की बचत होती, वैसे भी यह सरकार मितव्ययी है। मान्यवर, इस बजट भाषण की पुस्तक में पेज नम्बर 05 और 06 में एक ही बात लिखी गयी है। पेज 08 और 36 पर भी एक ही बात लिखी गयी है। पेज 10 और 26 पर भी एक ही बात लिखी गयी है। पेज 11 और 33 पर भी एक ही बात लिखी गयी है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि एक ही चीज बार-बार लिखने की जगह एक ही जगह लिखा जाता तो इसमें सरकार की बचत होती है और इससे जनता में एक अच्छा संदेश जाता। इस बजट भाषण को इतना बड़ा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

मान्यवर, कल यहाँ पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण रखा। मान्यवर, इसमें कुछ बातें मेरे समझ में आयी और कुछ बातें नहीं आयी। मान्यवर, पिछली सरकार का पहला बजट लगभग एक हजार पचास करोड़ अट्ठारह सौ का था, दूसरा लगभग सत्ताईस सौ करोड़ का था। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि यदि यह सरकार 4378 करोड़ रु0 का बजट ले आयी है तो यह बहुत अच्छी बात है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब केन्द्र में प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी का हो तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।.....(हंसी) मान्यवर, जो सही बात है, उसको सही कहना चाहिए।......(हंसी) मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि बजट जनता को गुमराह करने वाला है यह मैसेज जनता में चला जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि जनता में यह बजट गुमराह करने वाला है यह मैसेज कैसे चला जायेगा, जबकि इसकी प्रतियाँ हाऊस में सभी को वितरित की गयी हैं। मान्यवर, जनता में जिनका मैसेज जाना था वह चला गया और वह जीत गये हैं, जिनका मैसेज नहीं गया वह हार गये हैं।..........(तालियों की गड़गड़ाहट की ध्वनि) मान्यवर, मैं सही बात कह रहा हूँ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि यह बजट दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। मान्यवर, अन्त में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है :-

"दिलों से पहले अंधेरा निकालना होगा, फिर उसके बाद उजाला उबारना होगा।
जमीं में चाँद सितारे ढूढ़ने वालों, तुम्हें जमीं पर आसमां उतारना होगा।"

मान्यवर, दूसरी बात मै माननीय प्रकाश पन्त जी के लिए कहना चाहता हूँ, लेकिन वे इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं।

"चाहत की तमन्ना तो यहाँ हर एक को है,
लेकिन हर आँख का हर कोई तो काजल नही होता,
किरदार से होती है, यहाँ इन्सान की पहचान,
कोई नाम से हो प्रकाश तो उससे प्रकाश नहीं होता"।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, पिछले पाँच सालों में जब भी बजट आता था तो हर बजट में यह देखा जाता था कि अधिकतर बजट पिछले की कापी होती थी। मान्यवर, हर बार यह कहा जाता था कि बजट में लिखने के लिए शायद सरकार को कुछ मिलता नहीं तो पिछले बजट को उठा कर कापी अगले बजट में कर दी जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट कहीं भी पिछले बजट की कापी नहीं है। इस बजट में कुछ नयापन है, इस बजट में कुछ ताजापन है और इस बजट में कुछ अलहदगी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष का यह कथन कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, वह बिन्दु लाया नहीं गया, इसके बारे में ध्यान नहीं दिया गया, यह पुरानी सरकार की पुरानी बिन्दुओं को बार–बार लाने की आदत को प्रदर्शित करता है। उन्हीं बिन्दुओं को बार–बार लाते थे। हम हर बार यही कहते थे कि एक ही बजट बार–बार मत लाइये, बजट में कुछ तो नयापन लाइये। लेकिन पिछली सरकार कोई नई बात नहीं लाती थी।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार का यह बजट ऋण पर आधारित नहीं है। अपने संसाधनों पर आधारित है। पूर्व सरकार का यह तरीका था कि ऋण लाओं, खाओं–पिओं, मौज उड़ाओं, कर्जा प्रदेश की जनता उतारती रहेगी। मान्यवर, हजारों करोड़ रुपये का कर्जा पिछली सरकार ने छोड़ा। इस सरकार की इस बजट में ऋण के बोझ को कम करने की अलग–सी चमक दिखाई देती है। कोई भी नया कर न लगा कर सरकार ने जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला है। पूर्व सरकार अगर यह कहती थी कि कर नहीं लगाया है, तो हजारों करोड़ का कर्जा लाद देती थी। यह सरकार कर्ज लादने नहीं जा रही है। यह बजट कर्ज लादने नहीं जा रहा है। इससे प्रदेश की जनता अपने आप को कर्ज से दबा हुआ महसूस नहीं करेगी। इसके लिए हमारी सरकार का यह बजट बधाई का पात्र है। माननीय नेता प्रतिपक्ष का यह कहना है कि चार हजार करोड़ का आखिरी बजट पिछली सरकार ने रखा था, इस सरकार ने 4378 करोड़ का बजट लाकर कोई बड़ी बात नहीं की। दस प्रतिशत तो महंगाई से वैसे ही बढ़ जाता है, यह मात्र 13 प्रतिशत की वृद्धि है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष शायद इस बात को भूल गये कि चार हजार करोड़ का जो बजट था, उसका 40 प्रतिशत भाग कमीशनखोरी में और रिश्वतखोरी में गया। मात्र 2400 करोड़ रुपया ही धरातल पर लगा है। इस सरकार की वचनबद्धता है कि कमीशनखोरी नहीं होगी, रिश्वतखोरी नहीं होगी। अगर यह 4378 करोड़ रुपये का बजट सही धरातल पर उतरा तो मैं यह समझता हूँ कि शायद आने वाले साल में, जब यह पैसा धरातल पर उतरेगा तो हमारे प्रदेश की जनता को कुछ विकास होता हुआ दिखाई देगा। जो विकास होगा, वह मानकों के अनुरूप होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, सडकें ऐसी नहीं बनती हुई दिखाई देंगी कि ठेकेदार ड्रम उठाता भी नहीं था, अपना सामान उठाकर ले भी नहीं जाता था, और सड़क पीछे से

टूटना शुरू हो जाती थी। लेकिन आज हमारी सरकार ने सही मानकों और नीतियों के आधार पर जो वायदा किया है, जो हमारी सरकार की सोच है, दिशा है, उन्हीं मानकों के आधार पर अब कार्य होंगे तो पूरे उत्तराखण्ड की जनता देखेगी कि पिछली सरकार और इस सरकार में क्या फर्क है। मान्यवर, इस बजट में महिलाओं के समग्र विकास की बात कही गई हैं, जिसके लिए जैण्डर बजट दिया गया है, जिसमें बी0पी0एल0 परिवारों की कन्याओं की उच्च शिक्षा के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी, अब हम उठते हैं। अपराह्न 03:00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के द्वारा बी0पी0एल0 कन्याओं के लिए इस बजट में 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। बी0पी0एल0 परिवारों को रसोई गैस, ऐसे दूर–दराज के इलाकों में जहाँ परिवारों को रसोई गैस नहीं मिल पाती थी, वहाँ गैस पहुँचाने के लिए 8 करोड़ रुपये का इस बजट में प्राविधान किया गया है। भेषज संघों की प्राथमिक समितियों में भागीदारी 30 प्रतिशत सुनिश्चित करने का प्राविधान किया गया है। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए न्यूनेरल यूनिट खोलने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार मैं यह कह सकता हूँ कि सरकार ने अपने बजट के माध्यम से महिलाओं के समग्र विकास में सहभागिता निभाने के लिए प्रशंसनीय निर्णय लिया है। बजट के माध्यम से पुलिस–प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की व्यवस्था इस बजट में की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

मात्र पाँच मिनट आपके शेष हैं। आप कृपया सीमित करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सीमित कर रहा हूँ। नयी योजनाएं जो सरकार के द्वारा इस बजट में लायी गयी हैं उसमें नगरीय क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सार्वभौमिक रोजगार योजना लायी गयी है, राज्य के बी0पी0एल0 परिवारों के लिए दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना लायी गयी है, राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति के श्रमिकों हेतु जयानन्द

भारती श्रम बस्तियों के निर्माण की योजना लायी गयी है। मान्यवर, मैं पिछली सरकार के बारे में कहना नहीं भुलूँगा कि दो साल पहले काशीपुर में श्री श्याम पेपर मिल में एक हादसे में 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी और वहाँ माननीय मंत्री जी बेहड़ जी द्वारा वहाँ से टेलीफोन पर सम्पर्क करके प्रति मृतक के परिवार को डेढ़ लाख की सहायता स्वीकृत करायी गयी थी और आज दो साल बीत गये आज तक वे 10 परिवार डेढ़ लाख रु0 आर्थिक सहायता को ढूँढ रहे हैं। (व्यवधान) दो साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, और इसके विपरीत मैं कहना चाहता हूँ कि अभी–अभी हमारे काशीपुर क्षेत्र में एक गरीब परिवार के छप्पर में आग लग गयी और उसमें उनकी बेटी का शरीर 70 प्रतिशत जल गया। डाक्टरों की रिपोर्ट मिलने के बाद जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी दी गयी तो मान्यवर, चार घंटे के अन्दर एस0डी0एम0 50 हजार रुपये लेकर अस्पताल में पहुँच गया और उसके इलाज की व्यवस्था हो सकी।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, यह पैसा विवेकाधीन कोष से नहीं, आपदा कोष से निर्गत हुआ था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, पेयजल, सिंचाई, परिवहन, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन, चिकित्सा, समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण, सैनिक कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जैसे क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए समुचित बजट का प्राविधान किया है जिसको कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं है, जितना प्राविधान किया है जिसको कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं है, जितना प्राविधान इस बजट में है, अगर पूरा का पूरा बजट जिसकी हमें आशा है यह बजट धरातल पर आयेगा और अवश्य अपना रंग दिखायेगा। मैं आपका ध्यान ऐसे मुद्दों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जिनके प्रति जनता की आशायें हमारी सरकार से जुड़ी हुई हैं। यह अच्छा होता कि हमारी सरकार प्रदेश में नये जिलों का गठन अपने बजट प्राविधान में रखती। माननीय अध्यक्ष जी, गरीबी की रेखा के नीचे के मानकों में परिवर्तन किया जाना अति आवश्यक है, इस प्राविधान के साथ सवा तीन एकड़ भूमि के किसान अपनी जीविका और अपने परिवार की जीविका चलाने में असमर्थ हैं उनको भी गरीबी की रेखा से नीचे की मान्यता दी जानी चाहिए।

मान्यवर, पेंशन के प्रति 20 साल का लड़का होने पर प्रतिबन्ध है जिससे विकलांग और वृद्धावस्था की पेंशन नहीं मिलती, इसे हटाया जाना चाहिए। हमारे क्षेत्र में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

20–22 प्रतिशत लोगों को ही पेंशन मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, स्थाई निवास प्रमाण–पत्र जाति प्रमाण–पत्र का सरलीकरण किया जाना अति आवश्यक है, इसका सरलीकरण नहीं किया गया इससे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का भविष्य अंधकार में है। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली के बिलों की समस्या के बारे में कहना चाहता हूँ कि बिजली विभाग के पास बिजली बिलों को देने वाला कोई स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी से बिल नहीं दिये जाते हैं और मनमाने ढंग से बिल इतना थोप देते हैं कि हमारे गरीब किसान और गरीब लोगों को अपने बड़े–बड़े बिलों को लेकर विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं। मान्यवर, मानकों की प्रतिबद्धता पर भी विचार किया जाना चाहिए ऐसे विकास के कार्य जिनके ऊपर सरकार का धन लगता है उनके मानको की पूर्ति कैसे हो, इनकी प्रतिबद्धता कैसे हो, जो सड़कें बनती हैं उनकी दो–चार साल की जिम्मेदारी है या नहीं इसकी प्रतिबद्धता होना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में बसी जाट, सिक्ख जाति को पिछड़ा वर्ग घोषित किया जाना चाहिए इसके प्रति उत्तरांचल उच्च न्यायालय आदेश भी जारी कर चुका है। काशीपुर में एस्कॉर्ट फार्म में जो भूमिहीन बसे हुए थे आज तक उनके भूमि के पट्टे न दिये जाने के कारण मान्यवर, 100 से अधिक परिवार सडकों पर आ गये हैं, उनकी रोटी का सवाल है, वे बेघर हो गये हैं। इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, अवैध खनन की समस्या बनी हुई है वाहन की ओवर लोडिंग के कारण आज हमारी सड़कों की हालत बहुत खराब है इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, नदियों की जो खनन की सीमा है वह बढ़ाई जानी चाहिए, उसके आयतन को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। आयतन न बढ़ाये जाने के कारण इस वर्ष खनन का कार्य बहुत पहले बन्द हो गया जिसकी वजह से सड़कों का निर्माण कार्य चार माह से रूका हुआ है।

मान्यवर, बी0एड0 में प्रवेश हेतु विज्ञान एवं कला संकाय की भाँति कृषि स्नातकों को अनुमति मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री रणजीत सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 2007–08 के आय व्ययक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है और जैसी वाह–वाही लेने की कोशिश सरकार द्वारा की गई कि यह सरप्लस बजट है इसमें जो आकलन किया गया है, बजट प्राप्ति का, उसका एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

मान्यवर, पिछली बार 2006–07 में जो बजट आया था उसमें जो राजस्व प्राप्तियाँ दिखाई गई थी उसके सापेक्ष ज्यादा राजस्व प्राप्तियाँ हुई। पिछली बार लगभग 350 करोड़ सरप्लस राजस्व की प्राप्ति हुई, किन्तु इस बार राजस्व प्राप्तियाँ सम्भावित हैं, और

सम्भावित किन तथ्यों पर आधारित हैं, जैसे सरकार द्वारा आबकारी विभाग की कल्पना कर रखी है कि आबकारी से 421 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी इसके लिए नीति भी बना दी गई है उसके तहत बीयर कम्पनियों की फीस 16 लाख रुपये रखी गई है इस फीस के बारे में उन कम्पनियों ने कहा कि हम 16 लाख रुपये एक मुश्त नहीं दे पायेंगे। चार–चार लाख रुपये तिमाही तय कर लें। मान्यवर, बीयर का सीजन अब समाप्त हो गया है और तीन कम्पनियाँ राज्य से भाग गई है। उनका सरकार के पास पाँच हजार रुपये बंधक है और एफिडेविट है मान्यवर, सरकार एफिडेविट और बन्धक से सरकार कल्पना कर रही है कि हम राजस्व वसूल कर लेंगे तो यह मात्र कल्पना होगी। इस तरह से राजस्व की प्राप्ति केवल एक कल्पना मात्र होगी। सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस प्रकार परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई और इस तरह की परिस्थितियाँ किसने पैदा की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, बजट में औद्योगिक विकास का जिक्र भी किया गया है। हम सब जानते हैं कि विगत पाँच वर्षों में राज्य का अत्यधिक औद्योगिक विकास हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रावत जी, मात्र 10 मिनट का समय है। समय का ध्यान रखें।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, औद्योगिक विकास के लिए हमें औद्योगिक पैकेज भी मिला तथा राज्य सरकार के प्रयासों से 30 हजार करोड़ का निवेश हुआ उसके तहत बहुत सारे लोगों ने राज्य में उद्योग लगाये, उद्योगों के लिए जमीन खरीदी। कुछ उद्योग लगे और कुछ में उत्पादन भी शुरू हो गया। किन्तु आज उद्योगों के बारे में जो नजरियाँ है वह इस बजट में साफ दिख रहा है। बजट में उद्योग के बारे में जो बातें कही गई है वह मात्र दो लाइन में समेट दी हैं। इसमें लिखा है कि "औद्योगिक विकास त्वरित आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन का वाहक है। पर्वतीय परिवेश में वन, कृषि प्रसंस्करण, औषधि तथा संगधित पौधों आदि को संसाधन का आधार बनाकर लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।" लेकिन सरकार ने इसके लिए बजट का क्या प्राविधान किया है इसका जिक्र नहीं है। मान्यवर, सरकार के मंत्री दिन रात बयान दे रहे हैं कि भूमि का उपयोग चेंज नहीं होने देंगे। किन्तु जो समर्थवान लोग हैं जैसे रुद्रपुर में ओमैक्स कम्पनी है, जो आवास निर्माण के प्रोजेक्ट बनाती है और आवास बनाती है, उसको परमिशन दी गई है। लेकिन छोटे लोगों को परमिशन नहीं मिल रही है। इण्डस्ट्री के लिए जमीन मिल गई है लेकिन उनका उपयोग चेंज नहीं है।

मान्यवर, सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा लेकिन मान्यवर, क्या सरकार उद्योगों के विकास के लिए अभी तक ट्रान्सपोर्ट, वर्कलोडिंग आदि की व्यवस्था नहीं कर पायी है ? सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों का किस प्रकार से विकास किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सरकार ने इस

बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं किया है। मान्यवर, कैसे सरकार कहती है कि हम उद्योगों से प्रदेश का विकास करेंगे ? मान्यवर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैदानी क्षेत्रों में यदि उद्योग हेतु कोई सामग्री ट्रांसपोर्ट के जरिये भेजी जाती है तो बीस से पच्चीस टन तक लोडिंग हो सकती है, जबकि मान्यवर, वहीं लोडिंग पहाड़ी क्षेत्रों में मात्र सात से आठ टन तक हो सकती है, जबकि मान्यवर, किस प्रकार से सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है ? मान्यवर, मुख्यमंत्री जी भी हर रोज उद्योगों की बात अखबारों के माध्यम से कहते आ रहे हैं, केवल सरकार जनता को उद्योग स्थापन के प्रति गुमराह कर रही है, और इतना ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योगों को पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाने की बात कर रहे हैं। मान्यवर, आज इस बजट के माध्यम से देखें तो सरकार द्वारा कुछ भी प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। मान्यवर, मैं प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की बात करता हूँ तो इस बजट भाषण से ये लगता है कि इन बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार दिये जाने हेतु कोई प्राविधान नहीं किया गया।

मान्यवर, इसी प्रकार सरकार द्वारा पर्यटन से भी उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गयी है, किन्तु किस प्रकार से बढ़ावा दिया जायेगा इसका जिक्र बजट में नहीं है। जो हमारी ऊधमसिंह नगर में ओमैक्स जैसी कम्पनियाँ स्थापित है। उसमें भी इंजीनियर हमारे प्रदेश के नहीं है। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि वे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को मुद्देनजर रखते हुए सरकार को उद्योग के बजाय यहाँ शिक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी शिक्षाओं को बढ़ावा देना चाहिए जिससे हमारे प्रदेश के युवा एजुकेशन में आगे बढ़ सकें। आज हमारे प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा मिले तो कृषि में बढ़ोत्तरी होगी।

मान्यवर, प्रदेश में जो उद्योग लगाये गये हैं उनके बारे में सरकार बार-बार कह रही है कि हम इससे यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार देगे। लेकिन अभी तक रोजगार की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मान्यवर, वन भूमि और कृषि भूमि को बचाने के लिए जंगली सुअरों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय नहीं किये गये हैं। मान्यवर, इससे प्रदेश की कई हे0 फसल बरबाद हो जाती है। इस बजट में इसके लिए भी प्राविधान करना चाहिए था। मान्यवर, उद्योग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि उद्योग लगाने के बेहतर यह होगा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में छात्र-छात्राओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलीटैक्निक तथा आई0टी0आई0 के संस्थान में ट्रेडों की व्यवस्था की जाय। इसके लिए इन संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। मान्यवर, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि इन संस्थानों में जो यहाँ पर उद्योग लगाये जा रहे हैं, उनके सम्बन्ध में ट्रेडों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जिससे कि हमारे छात्र इन कम्पनियों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पा सकें।

मान्यवर, जो छोटे कर्मचारी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक ठीक नहीं होती है वह अपनी परेशानी के लिए 100-200 रु0 इकट्ठा करके महीनों में एक प्लाट खरीदता है अपनी परेशानी दूर करने के लिए, अपनी लड़की की शादी के लिए लेकिन

यह जो भू–अध्यादेश अधिनियम आया है कि ढाई सौ गज की जमीन खरीद पायेगा। इससे उन लोगों को परेशानी हो गयी है जो जीवन भर कमाकर एक प्लाट खरीदतें है और सोचते है कि जब कभी परेशानी आयेगी या लड़की की शादी के लिए, तब वह जमीन काम आयेगी। अब वह 300 गज का प्लाट नहीं खरीद पायेंगे।

मान्यवर, यह जो पर्वतीय विकास के लिए सड़कों का नया जी0ओ0 आया है कि अगर किसी सड़क के कार्य पर 50% से कम खर्च हुआ है उस पर आगे स्वीकृति नहीं दी जायेगी तो मान्यवर, शायद ये सरकार या हमारे मुख्यमंत्री जी, पर्वतीय क्षेत्रों से वाकिफ नहीं हैं कि कितने पापाड़ बेलने पड़ते हैं एक सड़क के निर्माण के लिए। कभी पटवारी के पास, एस0डी0एम0 के पास, संयुक्त सचिव के पास और उसके बाद भू–अधिनियम, वन अधिनियम भारत सरकार के पास तक फाईल जाती है और इन सब कामों में बहुत समय बीत जाता है और वहीं मैदानी क्षेत्रों में तब तक सड़क का कार्य पूरा हो जाता है। बहुत सी परेशानियों के बाद जा कर पर्वतीय क्षेत्र की एक सड़क बनती है, तो मान्यवर, हमारी माँग है कि सरकार एक दस्तावेज तैयार करें और देखे कि कितनी सड़के इन पाँच सालों में मैदानी क्षेत्र में बनी और कितनी सडके पर्वतीय क्षेत्र में बनी जिनका कार्य 50: से कम हुआ है। मान्यवर, राजनैतिक दृष्टि से उनकी स्वीकृति समाप्त कर सकते हैं, अभी जो स्वीकृतियाँ जारी करेंगे वे अगले पाँच साल तक बनी रहेंगी और अगले पाँच साल बाद वह भी निरस्त होगी। इससे काम चलने वाला नहीं है। इससे न आपका भला होगा और हमारा। मान्यवर, इसलिए मेरा अनुरोध है कि पर्वतीय विकास के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस बजट से हमें घोर निराशा हुई है।

*श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट बहुत ज्यादा लोकहितकारी है। हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। इसमें समाज के गरीब, शोषित, असहाय व समाज की मुख्यधारा से अलग–थलग पड़े हुए, जो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, उनके लिए इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे गरीबों के लिए इन्दिरा आवास योजना थी। उस योजना में बहुत से गरीब छूट जाते है क्योंकि उनकी पकड़ प्रधान तक नहीं होती, उनकी पकड़ ब्लाक स्तर तक नहीं होती और न ही उनकी कहीं जान–पहचान होती है। जिस कारण उन लोगों को इन्दिरा आवास नहीं मिल पाता है और कुछ लोगों को हमने प्रैक्टिकली देखा है, इन्दिरा आवास का लाभ लेकर 2–3 मकान बने हैं और जिसको सहायता मिलनी चाहिए थी वह उससे वंचित है, लेकिन अब पं0 दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना के द्वारा मुझे पूरा विश्वास है कि गरीब व्यक्ति अपना आशियाना बना सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्राविधान सरकार द्वारा रखा गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस समय महिलाओं के लिए विशेषकर मातृशक्ति को सम्मानित करते हुए महिलाओं के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार महिलाओं के लिए जैण्डर बजट लाई है, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में मेन रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र की अपेक्षा हमारा क्षेत्र पिछड़ा है। बालिकाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नहीं था लेकिन इस बार गौरा देवी कन्या धन योजना के तहत सरकार ने रु0 20 करोड़ का बजट में प्राविधान रखा है, मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूँगा।

मान्यवर, इसी प्रकार पहाड़ों में जो ईंधन और चारे की मुख्य समस्या थी, जंगलों को बचाने के लिए सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, इसके लिए सरकार ने भरसक कोशिश की है और वनों को बचाने के लिए दुर्गम क्षेत्र में गैस के कनेक्शन की उपलब्धता के लिए सरकार ने बजट का प्राविधान रखा है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूँगा। मान्यवर, आज तक समाज कल्याण विभाग में पिछली सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों ने मौज मस्ती ली है, लेकिन पहली बार यहाँ पर विकलांगों, वृद्धों, अनुसूचित जाति की कन्याओं के लिए जो असहाय लोग हैं उनके लिए अलग से बजट का प्राविधान है। मान्यवर, हमारे साथी कह रहे थे कि पिछली सरकार ने इतनी सड़कों की स्वीकृति दिलाई है, लेकिन स्वीकृति दिलाने और उसको मूर्त रूप देने में बहुत अन्तर है। वन विभाग के एक्ट में सरलीकरण किया है, उसके लिए सरकार में लचीलापन अपनाया है। (व्यवधान) मान्यवर, इसमें बहुत बढ़िया प्राविधान इस सरकार का है।

मान्यवर, मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से सरकार से माँग करूँगा कि बजट में उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों के लिए किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है, मैं कहूँगा कि स्व0 इन्द्रमणी बडोनी जी के सहयोग से, संघर्ष से राज्य का स्वरूप मिला है और वह तमाम आन्दोलनकारी जो आज भी सरकार से माँग करते आ रहे हैं, उनके हितार्थ उनको सम्मानित किया जाए। मान्यवर, इसमें अलग से स्व0 इन्द्रमणी बडोनी जी के नाम से कोई योजना बनायी जाय, ऐसी मैं आपके माध्यम से अपेक्षा रखता हूँ कि यह योजना स्वीकृत हो। मान्यवर, हमारा क्षेत्र बहुत ही विकट है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ इसमें नरेन्द्र नगर ब्लाक के अन्तर्गत दोगी पट्टी गाँव आता है। यहाँ के लोग 18 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क पर आते हैं। इन्हें यह दूरी तय करने में छः से सात घंटे लगते हैं। मान्यवर, ये लोग अपनी दैनिक दिनचर्या कैसे व्यतीत करते होंगे इसका अंदाजा शायद ही आप लगा पायेंगे। मान्यवर, आजकल यहाँ पर उल्टी-दस्त की बीमारी लगी हुई है, जिसे "हैजा" कहा जाता है। मान्यवर, सी0एस0ओ0 टिहरी को मैं 09 बार कह चुका हूँ, लेकिन वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के माध्यम से भी अवगत कराने के बावजूद भी वहाँ पर सिर्फ एक ही दिन मेडिकल टीम भेजी गयी, वह भी मात्र औपचारिकता निभाने के लिए। मान्यवर, यह टीम इस गाँव में गयी, और वापिस आ गयी। मेरा इस पीठ से अनुरोध है कि मेडिकल टीम को यहाँ पर कम से कम 10-15 दिन तक जब तक कि इन लोगों का इलाज पूरा नहीं हो जाता है, तब तक अस्थाई रूप से रहने के लिए आदेश दिया जाय।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ यह बहुत ही अहम विषय है, यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, आज कई स्कूलों की स्थिति यह है कि इनमें ताले लटके हुए हैं, यह स्थिति पिछली सरकार के जमाने से है। यह गलतियाँ पिछली सरकार की हैं। हमें इन गलतियों को दूर करना होगा। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में शिक्षक राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त हैं, पढाई से उनका कोई लेना–देना नहीं है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा क्षेत्र में पट्टी दोगी के इण्टर कॉलेज में 16 दिन से भूख हड़ताल चली आ रही थी। इस पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जो हड़ताल कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया जायेगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के आदेश पर वहाँ गया, तो उन्होंने स्कूल में ताला लगा दिया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, यह अति लोकमहत्व का विषय है। पहाड़ों की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गयी है। शिक्षक बड़ी–बड़ी बातें करते हैं। ये ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, ब्लाक स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। मान्यवर, यहाँ तक कि ये विधायक को भी कुछ नहीं समझते हैं।

*श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने वर्ष 2007–2008 के बजट पर मुझे चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं ह्रदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का भलीभाँति अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात् मैं निश्चित् रूप से कह सकता हूँ कि वर्तमान में सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक एवं दूरगामी परिणाम लाने वाला बजट साबित होगा। मान्यवर, जिस प्रकार सरकार द्वारा अपने पहले ही बजट में समाज के सभी वर्गों को स्पष्ट करते हुए विकास रूपी एवं प्रदेश के लिए आत्मनिर्भरता लाने वाला बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं सरकार की जितनी प्रशंसा करूँ वह कम ही कम है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष उन सभी बिन्दुओं पर चर्चा कर रहा हूँ, जो कि अत्यंत आवश्यक हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती सरकार के समय में पिछले साल तक हम समाचार पत्रों में पढ़ा करते थे कि हमारी सरकार चार हजार करोड़ रुपये का बजट केंन्द्र से वार्षिक योजनाओं में लायी। इसका बहुत बड़ा–बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता था और कहा जाता था कि केन्द्र से सम्बन्धों के कारण चार हजार करोड़ रुपये इस प्रदेश को मिले हैं। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने यह साबित करके दिखा दिया है कि यह एक सफल सरकार है, इस प्रदेश की जनता को 4378 करोड रुपये का बजट इस वर्ष की वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से मिला है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शहजाद–

मान्यवर, यह कम बढ़ा है।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, अगले साल और बढ़ा देंगे। (व्यवधान) मान्यवर, मैं सरकार की इसके लिए भी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार इस प्रदेश को ऋणग्रस्त छोड़ गयी थी और जनता की बहुत बड़ी आशा और अपेक्षा इस सरकार से थी। मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को, आदरणीय खण्डूड़ी जी को जिन्होंने इस प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया है कि ऋणग्रस्त प्रदेश में वर्ष 2007–08 का जो बजट पेश किया गया है, उसमें जनता के ऊपर कोई कर नहीं लगाया गया है। इसके लिए भी यह सरकार बधाई के पात्र है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के द्वारा पुलिस प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण की गठन किया जाना भी सरकार की दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है। सरकार के इस कदम से जहाँ एक ओर पुलिस प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, वहीं प्रदेश की पुलिस की बिगड़ती छवि में गुणोत्तर सुधार आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूँगा कि हम पहली बार सदन में बोल रहे हैं। इसलिए जो नये माननीय सदस्य हैं, उनको थोड़ा ज्यादा समय दिया जाय।

मान्यवर, प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिए उल्लेखनीय पहल न करने के कारण व पूर्ववर्ती एन0डी0ए0 की केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत एम्स तथा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के निर्माण में उपेक्षात्मक दृष्टिकोण रखने के कारण आज भी प्रदेश की जनता को असाध्य रोगों के उपचार के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। जहाँ पर प्रदेश के गरीब रोगियों के परिजनों को विश्राम एवं आवास के लिए बड़ी पीड़ादायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। मैं प्रदेश सरकार और मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री खण्डूडी जी का आभारी हूँ, जिन्होंने इस प्रदेश की जनता की इस पीड़ा को समझा। प्रदेश की जनता को वहाँ पर जो परेशानी उठानी पड़ती थी, उसके समाधान के लिए आदरणीय खण्डूड़ी जी द्वारा दिल्ली में विश्राम गृह की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित कीजिए।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने समय देने के लिए अनुरोध कर रखा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने को सीमित करें।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण राशि को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है और जो सहायता राशि 3.75 लाख रुपये थी, उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित करें।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, हमारे प्रदेश के गरीब लोग जो बी0पी0एल0 श्रेणी में आते हैं लेकिन उनके पास भूमि नहीं थी तो उनके मकान नहीं बन पाते थे......।

श्री अध्यक्ष–

शैलेन्द्र जी, आप समाप्त करें। कृपया आसन ग्रहण करें।

माननीय किशोर उपाध्याय जी, आप अपने विचार रखें।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वर्ष 2007–08 के आय–व्यय पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, इस बजट में जिस तरह से सेना में होता है कि काम तो सिपाही करता है और नाम जनरल का होता है, वैसा ही काम माननीय खण्डूड़ी जी ने वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में किया है। सरकार आज इस बजट को लेकर अपनी ही पीठ थपथपा रही है लेकिन सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि पिछली सरकार ने जो राजस्व प्राप्तियां बढ़ाई, अपने राजस्व को बढ़ाया, राजस्व व्यय को कम किया और सरप्लस को भी बढ़ाया इसका सारा श्रेय पिछली सरकार को जाता है।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, आप यह तो बता दें कि कौन सिपाही है और कौन जनरल है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं वही बताने जा रहा हूँ। श्रीमन्, पिछली सरकार ने जो राजस्व बढ़ाया वह 3682 करोड 60 लाख था और जो राजस्व प्राप्तियाँ थी, वह 6843 करोड़ 33 लाख, जो राजस्व व्यय कम हुआ वह 6585 करोड़ 28 लाख रुपया था और सरप्लस 358 करोड़ रुपया था। तो इस प्रकार से इस सरकार ने पिछली सरकार के कामों को, जो मजबूत स्थिति वित्त की पिछली सरकार ने की थी उसी को अपना काम बताकर अपनी ही पीठ थपथपा दी। 3 महीने में ऐसा कौन सा काम कर दिया सरकार ने कि राजस्व बढ़ गया?

श्री अध्यक्ष–

माननीय उपाध्याय जी, आपको 10 मिनट का समय दिया गया है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जैसा आपका आदेश, मैं अपनी बात को 10 मिनट में खत्म कर लूँगा। मान्यवर, सरकार आज अपनी पीठ थपथपा रही है, ठीक है आप थपथपायें, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो आपको मजबूत नींव दी थी, जो काम कांग्रेस के सिपाहियों ने किया था उनके लिए तो कम से कम एक लाइन आपने कहनी चाहिए थी कि आपने हमें मजबूत स्थिति दी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ट्रेजरी बेंच के सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि वे इस टेंडेसी को छोडे। मान्यवर, मैं साइलेंस फीगर में बताना चाहता हूँ कि इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, पूर्व सैनिकों के लिए कुछ नहीं है और जिनकी वजह से यह राज्य मिला है राज्य आन्दोलनकारियों के लिए कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से इस सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई एजेण्डा नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि भई आप अपना विजन और एजेण्डा तैयार क्यों नहीं कर रहे हैं ?

मान्यवर, इसके अलावा यहाँ पर पर्यटन की काफी बातें हो रही थी तो पर्यटन के क्षेत्र में भी कुछ नहीं, औद्योगिक विकास के लिए कुछ नहीं, ऊर्जा के लिए कुछ नहीं। तो मान्यवर, यह सरकार प्रदेश को क्या दिशा देना चाहती है, इस दस्तावेज में इसका कोई समावेश नहीं है। पिछली बार जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी 4 हजार करोड़ रुपये का बजट लाये थे तो इन्होंने उसकी भी आलोचना की। आज इन्होंने 378 करोड़ क्या बढ़ा लिया अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। मान्यवर, पिछली बार आप आलोचना ही करते रहे। कम्प्यूटर में हार्डवेयर और साफ्ट्वेयर के लिए 17 करोड़ का बजट रखा गया है। पिछली सरकार ने हर विद्यालय तक, हर कॉलेज तक कम्प्यूटर पहुँचाने का काम पूरा कर दिया था। मान्यवर, कोई योजना नहीं है। राज्य अपना राजस्व कैसे बढ़ायेगा, इसकी कोई योजना नहीं है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कहीं कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा जो मुद्दा बनाया इस सरकार ने और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरकार ने जबरदस्ती कर्ज ले लिया है। हम ऋण कम करेंगे और अपने बजट में अनुमान कर रहे हैं कि हम 1696 करोड़ का ऋण लेंगे। इसके अलावा सारा का सारा श्रेय पिछली सरकार को जाता है। रोप–वे हम बनाएंगे, सड़क, पुल हम बनाएंगे पिछली बजट को आप देखें तो उसमें सब मिलेगा। (व्यवधान)

वित्तीय प्रबन्धन का कहीं कोई जिक्र इस बजट में नहीं है। (व्यवधान) वित्तीय प्रबन्धन किस तरह से करेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। सबसे बड़ा कुठाराघात इस सरकार ने किया जो आपके विकास की मूलभूत इकाई है जिला योजना, उसका जो बजट प्रस्तावित था उसे आपने घटा दिया। आप किस विकास की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा आयाम प्राप्त कर लिया है। महिलाओं के लिए जो पहले से व्यवस्था

थी, उसे आपने अलग कर दिया। यह कौन सी बात है। पेयजल के क्षेत्र में आप कोई नई योजना बताएं। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अभी माननीय रणजीत रावत जी ने कहा कि हमें अपने राज्य को मानव संसाधान के क्षेत्र में विकसित करना चाहिए। वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय के लिए आप विधेयक नहीं लाये। मान्यवर, आपदा के क्षेत्र में 50 हजार क्या होता है। पिछली सरकार के समय एक लाख रुपये दिये जाते थे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, टिहरी बाँध का कोई जिक्र नहीं आया है जहाँ के लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। यह बजट दिशाहीन है। राज्य के हित में इसमें कोई बात ही नहीं की गयी है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी सलाह जनरल साहब को दूँगा कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है जब जनता पूछेगी सड़क पर। सरकार पर मुसीबत यहीं से आयेगी।

वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है।

तेरी बरबादियों के मशविरे हैं, आसमानों में।

इसलिए मैं एक नेक सलाह देना चाहता हूँ।।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात यही पर समाप्त करता हूँ।

श्री अरविन्द पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। (शोर) माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट पर कई माननीय सदस्यों ने, नेता प्रतिपक्ष ने अपने–अपने भाषणों में अलग–अलग तरीके से कहा। इसमें अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इतना अच्छा बजट बनाया है कि इसमें विपक्ष में बोलने को कुछ है ही नही। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग इस पर बोल रहे हैं और वह इस विषय में उलझे हैं कि किसके पास कितने फोन कम आते हैं किसके पास महिलाओं के ज्यादा फोन आते हैं। (व्यवधान) यह तो बजट से हटकर ध्यान लगा रहे है, अगर वे बजट पर ध्यान लगायेंगे तो कहीं न कहीं दिल से धन्यवाद देंगे। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यह जो बजेट बनाया है इसे जनता के पक्ष में बनाया है।

मैं गन्ने पर भी बोलूँगा, सरकार ने पहले ही 80 प्रतिशत का भुगतान दे दिया है। विषय तो बहुत हैं लेकिन समय कम है इसलिए मैं पहले आबकारी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि इससे पहले की सरकार थी। एफ0एल0टू0 की व्यवस्था हमारे यहाँ लागू है जो हमारे यहाँ एक मात्र फैक्ट्री है वह चार हजार पेटी प्रति वर्ष बना रही थी।

हमारी सरकार ने 100 दिन के अन्दर उसको पहली प्राथमिकता दी और उसकी कैपेसिटी एक लाख पेटी प्रति वर्ष हो गई है, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा सी0एल0टू0 है इसमें पहली सरकार कहीं न कहीं उद्योगपतियों से मिली थी लेकिन हमारे सरकार ने इसको 33–33 प्रतिशत सभी क्षेत्रों को सहकारी एवं प्राईवेट क्षेत्रों को दे दिया। इससे सहकारिता को जीवनदान मिला है। इसके अतिरिक्त 16 प्रतिशत सी0एल0टू0 की सप्लाई को भी सहकारी क्षेत्र को दिया गया यह कदम भी सराहनीय है। मान्यवर, सहकारिता को नया जीवन दान मिला है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग आठ हजार पाँच सौ नौजवानों को 100 दिनों के अन्दर नियुक्तियाँ दी है। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ में प्रक्रिया गतिमान है। शीघ्र ही और नियुक्तियाँ की जायेंगी।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, किन जिलों में शिक्षकों को नियुक्तियाँ की गई हैं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, तीन जिलों में नियुक्तियाँ की गई हैं। वे जिले हैं पौड़ी, रूद्रप्रयाग और चमोली।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, आपको अवसर मिलेगा तब जवाब दीजिएगा।

श्री अरविन्द पाण्डेय–

मान्यवर, 100 दिन में इतनी बड़ी उपलब्धि यह तो बहुत ही गर्व की बात है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, लाल बत्ती की बंदरबाट करने वाली सरकार इतनी शीघ्रता से ऐसे कार्य कभी नहीं कर सकती है। मान्यवर, स्थानान्तरण नीति के बारे में कहना चाहूँगा। प्रदेश के अन्दर हमारी सरकार ने स्थानान्तरण नीति बहुत ही स्पष्ट बनाई है सरकार ने इसमें लाभ हानि की चिन्ता किए बगैर और जो चाटुकारिता से स्थानान्तरण करवा लेते हैं, अब इस सरकार में वे लोग स्थानान्तरण नहीं करवा सकते हैं। इससे आज जो लोग चाटुकारिता नहीं करते हैं या जिनकी ऊँची पहचान नहीं है उनका भी, जो स्थानान्तरण नीति बनी है उसके अन्तर्गत नम्बर आयेगा तो उनका स्थानान्तरण अवश्य किया जायेगा। अब जो सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला सरकारी कर्मचारी है वह भी स्थानान्तरण का हकदार है। उसकी भी आशा जगी है कि वह पहाड़ों की गुफाओं से निकलकर मैदान में आ सकता है। इसी के साथ मैं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप भी अध्यक्ष पीठ पर विराजमान रहे हैं इसलिए जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

सच कड़वा होता है।

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, 2007–08 के बजट भाषण को पढ़कर मैं यह फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कैसे बधाई दूँ, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी हैं, फिर भी मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि उन्होने एक दिशाहीन, निराशावादी और लक्ष्य से भटका हुआ और लक्ष्यहीन बजट को बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि एक असंतुलित बजट को उन्होंने बड़े ही संतुलित ढंग से सदन में प्रस्तुत किया। माननीय अध्यक्ष जी, बजट भाषण में वित्तीय मामलों को उन्होंने चन्द पन्नों में समेटने की कोशिश की है। शेष भाषण पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ रहे हों। मान्यवर, पूरे प्रदेश की जनता बहुत ही उत्सुकता के साथ और एक उम्मीद के साथ चाहे वह नौजवान बेरोजगार हों, श्रमिक मजदूर हों, व्यवसायी हों बुद्धिजीवी हों, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज तथा मातृशक्ति इस पल की प्रतीक्षा करती है कि उनके लिए तथा राज्य के सर्वागीण विकास एवं चहुँमुखी विकास के लिए क्या नीति निर्धारित होगी ?

मान्यवर, उन्हें इस बजट से बड़ी आशा की थी। पूर्व में हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के साथ ही दलित वर्ग के लोगों के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजना संचालित कर हर वर्ग के लोगों को सुविधाएं प्रदान की थी। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य के सर्वागीण एवं चहुँमुखी विकास के लिए हर सरकार की क्या नीति होगी। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। मान्यवर, मुझे दुःख है कि जिस प्रकार राज्य के वित्तीय मामलों को ढुलमुल एवं कैजुअल एप्रोच के साथ चन्द पृष्ठों में समेट दिया गया है उससे यह सही मायनों में बजट भाषण न होकर विभागों की प्रगति का उल्लेख करती रिपोर्ट प्रतीत होती है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब हमारी सरकार थी तो प्रदेश का विकास धरातल पर दिखायी दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, जो विकास दिखायी दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी ने भारत सरकार के वित्त मंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में और उत्तराखण्ड में लगातार पाँच बार बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने राज्य बनने के बाद से

तराई, भावर, पहाड़, मैदान का एक साथ विकास किया। पूर्व केन्द्रीय वित्त एवं योजना मंत्री द्वारा जब इस नवोदित प्रदेश के विकास हेतु पिछली पाँच वर्षीय योजनाऐं तैयार की गयी तो जहाँ उनकी आँखों में उद्योग विहीन, अल्प संसाधनों से युक्त एवं खराब ढांचागत सुविधाओं से ग्रस्त इस राज्य को प्रगति के पथ पर शामिल करने का सपना था। वहीं उन्हें मालूम था कि इस कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अधिक से अधिक आर्थिक संसाधनों को जुटाना होगा। उन्होंने बुनियादी एवं मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए सड़क, यातायात, शिक्षा, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण किया।

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बजट भाषण में यह कतई स्पष्ट नहीं है कि सरकार के क्या लक्ष्य हैं। सरकार उन्हें कैसे प्राप्त करेंगी, उनकी क्या योजनाएं हैं। मान्यवर, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में बजट का आकार पाँच वर्षों में इस प्रकार रहा है, वित्तीय वर्ष 2002–2003 में रु0 1534.13 करोड़, वित्तीय वर्ष 2003–2004 में रु0 1607.75 करोड़, वित्तीय वर्ष 2004–2005 में रु0 1865.37 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2005–2006 में रु0 2700.00 करोड़ था। इस सरकार द्वारा जो बजट भाषण बनाया गया उसमें सरकार का विकास के प्रति कोई लक्ष्य नजर नहीं आ रहा है और सरकार की विकास के लिए क्या नीति होगी, जिससे कि विकास धरातल पर दिखाई दे।

मान्यवर, वर्ष 2006–07 में योजना का आकार 4000 करोड़ था और यह लगातार बढ रहा था और ये सरकार तीन महीने की उपलब्धि गिना रही है। सौ दिन की उपलब्धि गिना रही है। मान्यवर, ये तो 100 दिन चले अढ़ाई कोस, ये उपलब्धि है इस सरकार की। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा योजना आकार 2007–2008 में रु0 4378 करोड़ का रखा है। मान्यवर, अगर वर्ष 2002–2003 के बजट आकार रु0 1534.13 करोड़ को आधार माने तो 2003–04 में 5 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष 2004–05 में 16 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष 2005–06 में 44 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 2006–2007 में 48 प्रतिशत वृद्धि हुई थी जोकि वर्ष 2007–08 में घटकर 9 प्रतिशत रह गई है। जबकि वर्ष 2006–07 के आंकड़े के वृद्धि प्रतिशत को आधार माने तो इस वर्ष इसको 6000 करोड़ रु0 होना चाहिए था। मान्यवर, यह भारतीय जनता पाटी की अदूरदर्शी सोच के कारण एवं प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में विकासोन्मुख सोच के अभाव में बजट आकार गुणात्मक वृद्धि नहीं हो पाई है और छः हजार करोड़ के बजट आकार के बजाय मात्र रु0 4378 करोड़ तक ही सीमित रह गया जोकि अविकसित एवं नवसृजित प्रदेश के विकास के लिए अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसके कारण नई योजनाओं का बनाना मुश्किल और पुरानी योजनाओं को समय पर पूरा करना भी सम्भव नहीं होगा। इस बजट को देखने के बाद एक ऐसी माँ की तस्वीर बनती है जो अपने नवजात शिशु के दूध में राशनिंग कर रही हो।

मान्यवर, इस अविकसित प्रदेश के लिए जहाँ हमें आगे जाना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी, मंजिल दर मंजिल, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए हम पीछे जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस प्रदेश के लिए, और इस प्रदेश की जनता के लिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजस्व सरप्लस का बजट प्रस्तुत करने वाला यह बजट भाषण जनता की आँखों में आंकड़ों की पट्टी बाँधने का प्रयास कर रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि पिछली सरकार ने राजस्व के जो स्रोत पाँच वर्षों से सृजित किये थे, वे आज इनका मजबूत आधार है। वर्तमान बजट भाषण में राजस्व प्राप्ति के नये स्रोतों के सन्दर्भ में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। मेरा मानना है कि वर्तमान बजट आकार को छोटा करके विकास कार्यों को बाधित करने के बजाय सरकार को राजस्व प्राप्ति के नये स्रोतों को तलाश करने की आवश्यकता थी। मान्यवर, मैं बड़े दु:ख के साथ कह रहा हूँ कि इस बजट में आम आदमी के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, हमारे नौजवान भाईयों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ भी तो नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जब यह सरकार बनी थी तो मुख्य मुद्दा महंगाई था। आज महंगाई चमर सीमा में है मान्यवर, माननीय किशोर जी बैठे हैं और अब किशोर ही बेरोजगार किशाोर का दर्द जान सकते हैं, किशोर ही किशोर की बात समझ सकते हैं। मान्यवर, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी और आज इसको हँसी में लिया जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मान्यवर, सरकार को यहाँ लाने में नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आज पहाड़ का नौजवान पलायन कर रहा है। इन्होंने कहा था कि छोटे उद्योग लगायेंगे और नौजवानों के हाथों में रोजगार देंगे, बेरोजगारों का पहाड़ों से पलायन रोकेंगे, महंगाई को धरातल पर ले आयेंगे।

वन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, इस सरकार के बनने के बाद हम मैसेज देंगे कि केन्द्र में हमारी सरकार आ जायेगी तो महंगाई कम करेंगे।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज रोजगार नीति नहीं बनी है, बेरोजगारों के लिए कोई नीति नहीं बनी है और बेरोजगारों की अनदेखी की जा रही है। मान्यवर, हमने सिडकुल के माध्यम से ऊधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार में उद्योग लगाये थे और कहा था कि उसमें 70 प्रतिशत बेरोजगारों को रोजगार दिया जायेगा इस सरकार में बेरोजगार नौजवानों की उपेक्षा हो रही है। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ कि हमने 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की थी और सैकड़ों की संख्या में हाई स्कूल आदि का उच्चीकरण किया था। आज इस सरकार ने, शिक्षा विभाग का इस बजट में उल्लेख नहीं किया कि कितने डिग्री कॉलेज, इण्टर कॉलेज खोले जायेंगे, हाई स्कूल खोले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, पिछली सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित कर हमने उद्योगपतियों को यहाँ लाने का काम किया था, अब कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कितनी फैक्ट्रियाँ बन्द हो गई हैं। हमने स्वस्थ्य वातावरण बनाया था, उद्योगी वातावरण बनाया था। लेकिन आज उद्योगपति पलायन कर रहे हैं, डर और भय का वातावरण बना है, इस शान्त क्षेत्र में अशान्ति कर दी है और उद्योगपति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मान्यवर, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि नौजवान आज कुण्ठित है, निराशा से जूझ रहा है। युवा बेरोजगारों को उद्यमिता विकास हेतु कोई प्राविधान नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि कितने उद्योग वर्ष 2007–08 में लगायेंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, युवाओं के विकास के लिए क्या योजना बनाई है इसका कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, इस उत्तराखण्ड राज्य को हमारी मंशा बंगलौर, हैदराबाद और चेन्नई के समकक्ष करने की थी। इसके लिए हमने वर्ष 2006–2007 में 40 करोड़ रुपये का प्राविधान किया था, लेकिन इस सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ भी प्राविधान नहीं किया। मान्यवर, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी बहु का भाई हिन्दुस्तान, दिल्ली में आई0आई0टी0 कर रहा है, इस समय वह कम्पनी की ओर से आयरलैण्ड गया हुआ है। अभी उसका फोन मेरे पास आया है और जब उसने पूछा कि इस सरकार ने बजट में आई0आई0टी0 के क्षेत्र में क्या प्राविधान किया है मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी जवाब नहीं था। शायद इस सरकार के पास भी कोई जवाब नहीं है। मान्यवर, बेरोजगारों के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं उस क्षेत्र से चुनकर आता हूँ जहाँ पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, मैं कई बार क्षेत्र में रोया हूँ।...... (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, घड़ियाली आँसू रोये होंगे।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, घड़ियाली आँसू नहीं रोया हूँ। मैंने क्षेत्र की जनता के दर्द को महसूस किया है, उसमें हम सहभागी बने हैं। उसी का परिणाम है कि मैं ग्यारह हजार वोटों से जीतकर आया हूँ। मान्यवर, हमने उनको परिवार की तरह माना है। मान्यवर, इस बजट

के पृष्ठ संख्या–28 में लिखा है कि "भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी0एम0आर0वाई0) अत्यन्त सफलतापूर्वक प्रदेश में संचालित हो रही है।" (व्यवधान) मान्यवर, आप ये समझदारों को पढ़ाइये, हम बेवकूफों को न पढ़ाइये।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल हमने नहीं किया है।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, हमारी सरकार ने नये उद्योगों की स्थापना हेतु, वित्त पोषण हेतु राज्य में उत्तरांचल रोजगार योजना प्लस 2005 के नाम से योजना प्रारम्भ की थी, लेकिन इसका जिक्र आपके बजट भाषण में कहीं पर भी नहीं है। मान्यवर, आपके बजट भाषण के पृष्ठ–16 में उल्लिखित है कि "कार्यों को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों एवं अतिरिक्त कार्य–क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी। अतः श्रेणीवद्ध करके प्राथमिकता पर 50 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हुए कार्यों को प्रथमतः पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।" मान्यवर, इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय हरक सिंह रावत जी ने भी उल्लेख किया है। मान्यवर, पहाड़ और मैदान के बारे में माननीय पंत जी भलीभाँति अवगत हैं कि पहाड़ों में सड़क बनाना आसान नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत नेट प्रजेंट वेल्यू की है, वन विभाग द्वारा अनुमति मिलने पर पेड़ों की कटाई के बाद सड़क बनती है। मान्यवर, इस प्रदेश के सभी विधायकों के साथ, आम जनता के साथ जो स्वीकृत मार्ग हैं। उनकी अनदेखी होती है तो यह उस क्षेत्र की जनता के साथ ज्यादती और अन्याय होगा। अतः मैं चाहता हूँ जितनी भी योजनाएं हमारी सरकार ने स्वीकृत की थी उसमें शासनादेश हुआ है, उसमें कार्य प्रारम्भ होना चाहिए।

(सदन में विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण......... व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया भाषण समाप्त करें, चूँकि सदन में विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, जिस कारण आपका भाषण लिखा नहीं जा रहा है।.........

(व्यवधान) (04:20 बजे से 04:24 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण सदन की कार्यवाही रुकी रही।)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, जो हमारा प्रदेश है, यह कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर कई क्षेत्र ऐसे हैं, जो असिंचित हैं। छोटी जोत के काश्तकार हैं, लघु सिंचाई के कृषक हैं, उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करने तथा उनको आर्थिक रूप से सम्पन्न करने के लिए हमारी सरकार ने सिंचाई गूलों के निर्माण के लिए पैसा दिया था। हौज बनाने के लिए हाईड्रम योजनाओं के लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया था। मान्यवर, पिछले वित्तीय वर्ष 2006–07 में हमारी सरकार ने 544 करोड़ रुपये का प्रावधान सिंचाई गूलों के लिए, हौजों के लिए और हाईड्रम के लिए किया था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय यशपाल जी, कृपया समाप्त करें।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं समाप्त ही कर रहा हूँ। मान्यवर, जहाँ हमारी सरकार ने पिछली बार 544 करोड़ रुपये का प्रावधान सिंचाई के लिए किया था, वहीं इस सरकार ने मात्र 9 करोड़ का प्रावधान किया है और मान्यवर, 2006–07 में पेयजल के लिए हमारी सरकार ने 2500 हैण्ड पम्प का प्रावधान किया था और इस सरकार ने मात्र 407 हैण्ड पम्पों का प्रावधान किया है। मान्यवर, कहाँ 2500 हैण्ड पम्प और कहाँ 407 हैण्ड पम्प, एक विधान सभा के लिए मुश्किल से 6 या 7 हैण्ड पम्प भी नहीं हो पायेंगे। मान्यवर, इस बजट में पूरे प्रदेश के लिए मात्र 5 नलकूपों की व्यवस्था की गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि पहाड़ों के नलकूप लगाने के लिए क्या योजना सरकार ने बनाई है ? क्या पहाड़ों में नलकूप नहीं लगने चाहिए ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या पहाड़ों के किसानों को नलकूपों की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए ? पहाड़ों में भी नलकूप लगाये जाने चाहिए। मान्यवर, पहले लोग कहा करते थे कि पहाड़ों पर नलकूप नहीं लग पाते लेकिन मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में बेतालघाट में नलकूप लगा है और हमारे इंजीनियरों ने इसे सिद्ध किया है जैसे महाभारत में अर्जुन ने गांडीव से पानी की धारा निकाली थी, उसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में भी बेतालघाट में आज नलकूप लगा है। इस बजट में 5 नलकूपों की बात की गई है तो वह नलकूप कहाँ लगेंगे, क्या इसकी कोई योजना बनाई गई है ? क्या स्थानों को चिहिन्त किया गया है ? मान्यवर, नलकूप ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए, क्या यह किसानों के साथ ज्यादती नहीं है ?

मान्यवर, माननीय शहजाद जी हों या माननीय हरिदास जी हों, इन्होंने हमेशा ही किसानों की बात को यहाँ पर उठाया है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं माननीय यशपाल जी से कहना चाहूँगा कि वे नेता प्रतिपक्ष बनने की रिहर्सल न करें। क्योंकि रावत जी यह पद नहीं छोड़ने वाले।

(व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं किसी पद की दौड़ में नहीं हूँ, मैं तो यहीं पर रहना चाहता हूँ, मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सिपाही हूँ।

मान्यवर, इस बजट में सहकारिता, पंचायती राज, आपदा प्रबन्धन, चाय विकास और फिल्म विकास जैसे विभागों का कोई उल्लेख नहीं किया है, पंचायती राज और सहकारिता के क्षेत्र में जो दिशा दी जानी चाहिए थी, वह नहीं दी जा रही है। इसी प्रकार से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान और ट्राईबल सब प्लान के लिए पिछली सरकार ने स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में 800 करोड़ रुपये तथा ट्राईबल सब प्लान में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और वह उससे पिछले बजट की तुलना में 133 प्रतिशत ज्यादा था।

लेकिन इस बजट भाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि इन प्लानों में कितने बजट का प्रावधान किया गया है और कितने प्रतिशत की वृद्धि इसमें पिछले बजट की तुलना में की गई है। मान्यवर, भारत सरकार की जो वित्त पोषित योजनायें हैं, उनका भी उल्लेख इस बजट में नहीं है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यह एक उपलब्धि बताना भूल गये कि इनकी सरकार ने समाज कल्याण विभाग में ही 39 लालबत्तियां बांट दी थी।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, हमने तो हिम्मत की थी और बनाया था लेकिन आप तो यह भी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। मान्यवर, पर्यटन प्रबन्ध कार्यक्रम के लिए नये कॉलेज, संस्थानों का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विषय है, आज हमारे उत्तराखण्ड के अन्दर क्षय रोग के लिए एक ही सबसे बड़ा हास्पिटल है, भवाली टी0बी0 सैनीटोरियम। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी यहाँ पर नहीं है, मैं इस ओर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस अस्पताल की हालत आज बहुत खराब हो गई है और क्षय रोग बढ़ता ही चला जा रहा है। मान्यवर, हम वहाँ पर गये थे और वहाँ पर हमारे साथी श्री खड़क सिंह बोहरा जी भी थे, जो कि सत्ता पक्ष के सदस्य हैं। मान्यवर, वहाँ के कर्मचारियों ने आन्दोलन किया और सत्ता पक्ष के विधायक को जो उनकी माँगे हैं, न्यायोचित माँगे हैं उनके लिए सत्ता पक्ष के लोकप्रिय विधायक श्री खड़क सिंह बोहरा जी को कर्मचारियों के अनशन पर बैठना पड़ा। (व्यवधान) मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा संस्थान, ऐसा सैनीटोरियम मान्यवर, मैं गम्भीरता से कह रहा हूँ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व0 श्री जवाहर लाल नेहरू जी की धर्मपत्नी का उपचार भी इस अस्पताल में हुआ था।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री शहजाद जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, बस मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। यह बजट दिशाहीन, लक्ष्यहीन, निराशावादी है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ आपका कि इस दिशाहीन बजट पर बोलने पर मुझे अवसर दिया है। शिक्षा नीति की चर्चा काफी दिनों से प्रदेश में हो रही है। लेकिन जो ट्रान्सफर नीति है कि शिक्षकों को ट्रान्सफर कैसे हो, हरिद्वार जनपद की खाली सीटों को कैसे भरा जाये इसकी प्लानिंग शिक्षा विभाग में हो रही है। लेकिन यदि पूरे प्रदेश की बात की जाये तो जो लोग देहात में पढ़ते हैं वे वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं कर पाते जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए। मिड–डे–मील योजना शिक्षा के स्तर को पूरी तरह तहस–नहस

कर रही है। इस पर आपके संरक्षण की आवश्यकता है। कोई ऐसा प्रस्ताव विधान सभा से जाना चाहिए जिससे मिड–डे–मील योजना को नकदी में परिवर्तित कर दिया जाये। एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जिसका रिजल्ट अच्छा रहा हो। इस योजना के कारण हर गाँव में पार्टी बाजी शुरू हो गयी है।

माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर नहीं गया है कि इस तरह कैसे बच्चों के शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा। (व्यवधान) हम पहले भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं जब वहाँ आएंगे तो बताएंगे कि कैसे काम होता है। घोटाले यहाँ भी होंगे, वहाँ भी होंगे इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पिछले विधान सभा सत्र में भी यह मुद्दा आया था एक मुद्दा फिर यहाँ लाया जा रहा है। पिछली बार माननीय अरविन्द पाण्डे जी, माननीय चीमा जी हमारे साथ "वेल" में थे, लेकिन इस बार इनकी मजबूरी है, ये "वेल" में नहीं आ सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर हमारे साथ होना चाहिए। आज भू–अध्यादेश की जो स्थिति है उससे जनता परेशान है। हर किसान सोच रहा है कि उसकी जमीन पर उसका हक रहेगा या नहीं। मान्यवर, आज प्रदेश में औद्योगिकीरण हुआ है उससे कहीं न कहीं जमीन बिकी है। किसान की जमीन है, किसानों को उसका हक मिलना चाहिए कि वह अपनी जमीन को अपनी सुविधानुसार बेचे, यह कहीं कोई कानून नहीं बनता। भू–अध्यादेश में पहले पाँच सौ मीटर था फिर ढाई सौ मीटर कर दिया गया। इससे प्रदेश का भला होगा, नुकसान ही होगा। अगर अन्तरात्मा की आवाज पर जो तीन जिले प्लेन के है इनके विधायकों को इससे छूट दी जाये तो इससे निश्चित रूप से मसला दूसरा ही निकलेगा, पार्टी एक तरफ रह जायेगी। मंत्री श्री बंशीधर भगत जी, अपनी अन्तरात्मा से पूछ लें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इनकी जो मजबूरी है, मगर आप तो वैसे के वैसे ही हैं।

श्री शहजाद–

मान्यवर, भू–अध्यादेश का विरोध होना चाहिए। पिछली सरकार में मैं बेरोजगारी पर बोल रहा था, उसके बाद सदन चला और सरकार बनी लेकिन प्रश्न ज्यों का त्यों अपनी जगह बना है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ पर इन्डस्ट्री वाले हावी हैं। यह सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नहीं कर रही है। इन उद्योगों में रोजगार मिल भी रहा है तो 80 रुपये और 100 रुपये की दिहाड़ी पर डेलीवेज पर मिल रहा है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रदेश का बेरोजगार युवा है उसको परमानेन्ट रोजगार मिले, डेलीवेज को हम रोजगार नहीं मानते हैं।

यह बजट दिशाहीन है, इसमें अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए कोई योजना नहीं है, दलितों और मुसलमानों के बच्चों के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार में वर्षों पुराना ऐतिहासिक मजार है उसको तोड करके

रातों–रात वहाँ पर मूर्ति रख दी जाती है। इस सरकार में गुण्डागर्दी हो रही है, पूरे प्रदेश में भय का वातावरण है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं गन्ने के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, यहाँ पर गन्ना मंत्री जी भी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हम मिलें चलायेंगे, उत्तर प्रदेश में 20 मई तक मिलें चली और यहाँ 20 अप्रैल तक मिलें चली, इससे किसानों का गन्ना खराब हुआ है और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है, इसमें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी पाँचवी समस्या सड़क की है, हरिद्वार में औद्योगिकीकरण हुआ है वहाँ पर प्रतिदिन दो या तीन एक्सीडेन्ट रोड पर होते हैं और आज भी एक एक्सीडेन्ट हुआ है, जब लोगों ने आपत्ति की तो पुलिस ने उनके ऊपर अभी करीब 1:00 बजे लाठीचार्ज किया है। मान्यवर, वहाँ पर औद्योगिकीरण हुआ है तो सड़कों का भी चौड़ीकरण होना चाहिए, जो बाईपास रोड है वह बननी चाहिए। मान्यवर, इस बजट में हरिद्वार के सड़कों की व्यवस्था नहीं रखी गयी है। यह बजट दिशाहीन है। मान्यवर, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही घोषणा की थी कि कोई भी सड़क दुर्घटना होगी तो 50 हजार की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जायेगी लेकिन एक भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, यह बड़े ही दुःख का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी जाँच करवा लें। घोषणाओं से काम नहीं चलता, धरातल पर काम होना चाहिए तभी जनता समझेगी कि सरकार ने काम किया है।

मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट, प्लान योजना के अन्तर्गत दलितों के जो गाँव हैं उन गाँवों के विकास के लिए केन्द्र से धन मिलता है लेकिन कहीं भी हरिद्वार के अन्दर जो इस तरफ के गाँव हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है। मान्यवर, भेद–भाव पूर्ण तरीके से इस योजना के अन्तर्गत कार्य किये जा रहे हैं। किसी गाँव के अन्दर यदि सड़क जा रही है तो बाहर तक तो सड़क के लिए पैसा खर्च कर दिया जाता है लेकिन उस गाँव के अन्दर जो सड़क गई है उसका समुचित विकास नहीं किया गया है। बहुत दुर्भाग्य पूर्ण घटना है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का सम्पूर्ण पैसा यदि विकास में खर्च हो जाता तो शायद आज मुझे यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पर मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जिला योजना की अभी हाल में बैठक हुई थी वहाँ 9 विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष उपस्थित थे। जिला योजना की बैठक में सड़कों के लिए पैसे का कोई प्राविधान नहीं किया गया था, जिस कारण कई माननीय सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया।

बंशीधर भगत–

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी के बहिष्कार की आदत है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मनमर्जी से जिला योजना का पैसा आवंटित कर दिया गया।

मान्यवर, पिरान कलियर पूरे विश्व में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है वहाँ पर काफी बड़ा मेला लगता है जो एक माह तक चलता है। उसके लिए बजट में प्रविधान किया जाना चाहिए। किन्तु सरकार द्वारा इस मेले के लिए एक ढेला नहीं दिया गया। मैं चाहूँगा कि पिरान कलियर मेले पर सरकार धन दें जैसा कुम्भ मेले के लिए सरकार द्वारा बजट में प्राविधान किया जाता है। वहाँ पर मूलभूत सुविधायें भी उपलब्ध कराई जाएं।

मान्यवर, आज अफसरशाही बहुत ही हावी है। हम यह बात पिछली सरकार में कहते थे कि सरकार पर नौकरशाही हावी है किन्तु मैं आज दावे के साथ और ईमानदारी से कह सकता हूँ कि आज अफसरशाही में 100 प्रतिशत इजाफा हुआ है। सदन चल रहा है किन्तु अधिकारी गैलरी में भी नजर नहीं आते हैं। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जनपद ऊधमसिंह नगर में और जनपद हरिद्वार में खनन, रेता, बजरी का कार्य बड़ी जोरों पर चल रहा है और इनसे सरकार द्वारा 25 हजार रुपया दण्ड के रूप में लिया जाता रहा है जिससे खनन, रेता, बजरी के चोरी आये दिन होती रहती है। मान्यवर, सरकार इस हेतु भी कोई प्रयास नहीं कर रही है। प्रायः यह भी देखने में आया है कि जो लोग ऐसे समय में चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं उनके ट्रैक्टरों के टायर जलाये या काटे जाते हैं, जबकि उनकी ट्रैक्टरों की रसीद पहले से ले रखी होती है। मान्यवर, सरकार इस पर कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पा रही है, इससे इन लोगों में निराशा होती है।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि खनन, रेता, बजरी की चोरी होती है। मान्यवर, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी समय का निर्धारण है। यह समयावधि प्रातः आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक की है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, पुलिस विभाग की भी कोई नीति निर्धारित नहीं और न ही विभाग में स्थानान्तरण नीति स्पष्ट बनाई गई है। मान्यवर, पुलिस विभाग में जो अधिकारी जिस जिले में तैनात रहते हैं, वह वहीं जिले में सालों तक सेवा करते रहते हैं, यदि उनका स्थानान्तरण भी किया जाता है तो वे 4–5 महीने में पुनः वहीं पूर्व स्थान में आ जाते हैं। मान्यवर, जैसा कि हरिद्वार और देहरादून जिले में अधिकारी 20–22 सालों से सेवा दे रहे हैं। स्थानान्तरण नीति स्पष्ट न होने के कारण एक कर्मचारी कई वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत है। मान्यवर, सरकार द्वारा एक ऐसी स्थानान्तरण नीति बनाई जानी चाहिए जिससे अधिकारी और कर्मचारी कम से कम 5–6 साल तक एक ही स्थान पर अपनी सेवा कर सके, इससे इनकी कार्यप्रणाली में में सुधार आयेगा। मान्यवर, इसके बाद इनका स्थानान्तरण होना चाहिए। इससे अन्य कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। मान्यवर, इस बजट भाषण में दलित वर्ग के लोगों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, इनके लिए इसमें कोई विशेष प्राविधान भी नहीं किये गये हैं। इसलिए यह बजट दलित विरोधी है। अतः मैं अपने को माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ जोड़ते हुए इस बजट भाषण का विरोध करता हूँ।

*श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नेता सदन द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें राजस्व घाटे के बजाय राजस्व सरप्लस बजट पहली बार प्रस्तुत किया है इस प्रदेश में। मान्यवर, यह जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें कोई नये कर का प्राविधान नहीं रखा गया है जिससे आम आदमी राहत महसूस कर रहा है और आम जन–जीवन प्रसन्न है। मान्यवर, इस प्रदेश की जनता को जो अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आये। उसी के अनुरूप में कार्य हो रहा है। प्रदेश की जनता राहत महसूस कर रही है और उसे लग रहा है कि इस प्रदेश में जनता के हितों की रक्षा करने वाली सरकार आयी है। यह बजट आम जनजीवन के अनुरूप में लाया गया है। इसके कई ऐसे प्रस्ताव आए हैं जो इस प्रदेश की जनता के लिए राहत महसूस करने वाले हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह पहली बार हुआ है कि उत्तराखण्ड के जो रोगी बाहर के प्रदेशों में खासकर दिल्ली में अपना इलाज कराने जाते हैं और उन्हें वहाँ रहने की जगह नहीं मिल पाती है, हमारी सरकार ने विशेष रूप से दिल्ली में रोगियों एवं उनके परिवारजनों की सुविधा के लिए विश्राम–गृह की व्यवस्था की है। जिससे उत्तराखण्ड की जनता ने राहत की सांस ली है। यह एक सराहनीय कार्य है। मान्यवर, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उद्योगों के नाम पर इस प्रदेश की जमीन को कौड़ियों के भाव उद्योगपतियों को दे दी गयी और जिन्होंने यहाँ पर उद्योग नहीं स्थापित किये और यहाँ के बेरोजगारों नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया। निश्चित रूप से इस सरकार ने इस दिशा में एक नई पहल की है और जो बेरोजगारों को रोजगार की चिन्ता थी। हमारी सरकार के आने से उनकी चिन्ता दूर हो गयी है उनको रोजगार प्राप्त होंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के उद्योगापतियों को बुलाकर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएं। उन उद्योगों में जिनमें मानदेय के नाम पर मात्र 1500 रु0 या 1000 रु0 दिये जाते थे। यह एक सराहनीय कदम है।

मान्यवर, जो यह कहा जा रहा है कि जिला योजना के बजट में कमी कर दी गयी है, मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला योजना के परिव्ययों को तय कर दिया है पहले यह नवम्बर, दिसम्बर में तय किया जाता था। आज जो जिले के हमारे प्रभारी मंत्री है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि समय पर कार्य प्रारम्भ किया जाए और योजनाओं को संचालित किया जाए। मान्यवर, हमें उम्मीद है कि समय पर जिला योजना का बजट सभी जिलों में अवमुक्त किया जायेगा। जिससे समय पर विकास की योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जा सके। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बहुत बड़ी–बड़ी बातें कही गयी कि हम गरीबों के हितैषी हैं मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा जो दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र के बी0पी0एल के लोग हैं उनको गैस कनेक्शन दिए जाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जो पहल की है वह सराहनीय है। मान्यवर, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया है, हमारे बेरोजगार साथियों को और अच्छे कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और उसके साथ अनुदान राशि 3 लाख 75 हजार से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण कदम माननीय खण्डूड़ी जी की सरकार ने उठाया है। पिछली सरकार के द्वारा जो विद्यालय खोले गये थे उनमें अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई थी, एक विद्यालय से उठाकर दूसरे विद्यालय में अध्यापकों को रखा गया था, सम्बद्ध किया गया था और केवल अनुकम्पा शब्द का प्रयोग किया जाता था, उसके द्वारा जो असमानता पूरे प्रदेश में आई थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया है और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को और अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि वे 8 हजार अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, बेरोजगारों के हितों की रक्षा करने जा रही है, मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, कई ऐसे लोग जो बी0पी0एल कार्ड धारक थे वे इन्दिरा आवास के अन्तर्गत नहीं आ पा रहे थे, आज भी यह स्थिति है कि एक क्षेत्र में एक या दो आवास आवंटित हो पाते थे, मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ दीन दयाल ग्रामीण आवास योजना के लिये इससे हमारे अन्य छूटे हुए जो बी0पी0एल0 श्रेणी में आते हैं उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे प्रदेश में एक प्रदूषण फैला दिया था, ध्वनि प्रदूषण फैला दिया था, तीन–चार सौ लालबत्ती बाँटकर ध्वनि प्रदूषण फैला दिया था। मान्यवर, हमारी सरकार का जो सपना है कि सरकार इस प्रदेश में जनता के हितों की रक्षा करेगी, आम जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करेगी। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो उधर बैठे हुए साथी हैं, वे बड़ी–बड़ी बात सड़क विद्युतिकरण, शिक्षा, उद्योग, कुटीर ज्योति की करते हैं तो मैंने देखा कि कुटीर ज्योति में बी0पी0एल0 कार्ड धारक के साथ क्या किया गया, उनको बल्ब उपलब्ध कराये गये और उसके पीछे 5–10 हजार का बिल भेज दिया गया तो इस प्रकार का धोखा अब जनता को नहीं मिलेगा इसका भरोसा दिलाते हैं। मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बजट भाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री केदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, पूरे प्रदेश के नौजवानों, किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों के साथ ही साथ मुझे भी इस बजट से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है बहुत घोर निराशा हुई है और मैं भी अपने आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपने अन्य सम्मानित साथियों और नेता बसपा की बात से सम्बद्ध करते हुए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बजट में सब कुछ निराशाजनक है, समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। मान्यवर, उनके लिए योजनाएं नहीं रखी गयी हैं और पूरे प्रदेश के भौगोलिक परिवेश को देखते हुए क्षेत्रीय असंतुलन की सम्भावनाओं को इसमें बल मिलेगा।

यहाँ पर काफी विस्तार से बातें आ चुकी हैं। मैं चन्द ही बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ पर बार–बार कर्जे की बात कही गयी कि पिछली सरकार ने हमारे प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए कर्जा एक आवश्यक अंग है। चाहे वह प्रदेश की सरकार हो या इन्डस्ट्री हो, संस्था हो या चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हो। कर्जा विकास का एक अनिवार्य अंग है। आज चाहे वह एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या विश्व बैंक, ये कर्जा देकर विभिन्न देशों और प्रदेशों की सरकार को विकास और अवस्थापना मदों में इनवेस्टमेंट के लिए मदद करते हैं। आज पूरे विश्व के अन्दर अमेरिका सबसे विकसित राष्ट्र है और वह भी सबसे ज्यादा कर्ज में डुबा हुआ है। मान्यवर, कर्ज लेकर ही हम विकास की योजनाओं को, अपने अवस्थापना के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं। मान्यवर, इस सरकार के द्वारा ऐसा काई भी प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है किस तरह से हम अपने अवस्थापना मदों को और विकास के कार्यों को आगे बढ़ायेंगे। मान्यवर, इस तरह से जो ग्राम्य विकास की योजनाएं हैं, जितनी भी विकास की योजनाएं हैं इस सम्बन्ध में मैं पहले भी आपके माध्यम से निवेदन कर चुका हूँ कि पूरे प्रदेश के अन्दर ग्राम्य विकास के लिए आपसी सहमति से चकबन्दी की बात होनी चाहिए। ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हैं चाहे वह पशुपालन की हो, सिंचाई की हो, चारा उत्पादन की हो, सब्जी उत्पादन की हो, कुक्कट पालन की हो, मत्स्य पालन की आदि जितनी भी योजनाएं हैं, तब तक वास्तविक रूप में धरातल पर नहीं उतर सकती हैं जब तक कि आपसी सहमति से चकबन्दी को अभियान के रूप में हम इन्हें न ले लें।

मान्यवर, ग्राम्य विकास योजनाएं धरातल पर उतर सकें इसके लिए सरकार को इस बजट में प्राविधान करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया हैं, ऐसी न ही इस सरकार की सोच दिखाई दे रही है। मान्यवर, सहकारिता के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में पिछली सरकार ने, पण्डित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने किसानों के लिए किसान ऋण की जो योजना सहकारी सहभागिता चलायी थी, उस योजना से किसानों को करीब चार प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी मिलती थी। मान्यवर, इस योजना के लिए आज भी केन्द्र सरकार की ओर से दो प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने जो सहकारी सहभागिता योजना है उसको आगे बढ़ाने या इसके विकल्प के लिए कोई नई योजना नहीं रखी है और न ही इस ओर बजट में कोई इशारा ही किया है। मान्यवर, समाज कल्याण के बारे में कहना चाहता हूँ इस क्षेत्र में जो विभिन्न योजनाएं हैं। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर समाज के गरीबों के लिए जो बी0पी0एल0 श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, उनके परिवारों के लिए, जन श्री योजना थी और हमारी सरकार ने उनके लिए नारायण सुरक्षा कवच योजना प्रारम्भ की थी उसमें मान्यवर, उसके परिवार के लिए, पत्नी के लिए दुर्घटना होने की स्थिति में, मृत्यु होने पर अथवा अपंगता होने पर 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गयी थी, उसको भी आगे बढ़ाने की कोई योजना सरकार के इस बजट में परिलक्षित नहीं हो रही है।

मान्यवर, इसी तरह से पर्यटक स्थलों के विकास के लिए मैंने कल भी माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था लेकिन स्पष्ट रूप से सूचना नहीं आ पायी कि पर्यटक स्थलों के चिन्हीकरण के लिए उनका प्रचार–प्रसार करने लिए सरकार की कौन सी योजना है ? मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में जो मुख्य बात थी वह यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने की थी। पर्यटन के रूप में जो पारम्परिक पर्यटक स्थल हैं, उन पर्यटक स्थलों को प्रचारित–प्रसारित करने की बात है, इसके लिए भी इस बजट में किसी प्रकार का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। जबकि नये पर्यटक स्थलों को विकसित करके, उनका प्रचार–प्रसार करके भारत सरकार के पर्यटन निदेशालय को, पर्यटन विभाग को यह सुझाव दे सकते हैं। नई ग्रिड योजना पर बताया जाना चाहिए। विदेशों से जो पर्यटक भारत में आना चाहते हैं, उनको कश्मीर, गोवा सर्किट, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान का जो सर्किट है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। उत्तराखण्ड की ओर उनको आकर्षित करने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तराखण्ड की ओर इनको आने के लिए आकर्षित करना चाहिए। जब यहाँ पर पारम्परिक तीर्थाटन नहीं चलता, नवम्बर–दिसम्बर से मार्च तक विदेशी पर्यटक भारतवर्ष में आते हैं और मार्च के अन्त तक रहते हैं। इस अवधि में यहाँ के पर्यटक स्थलों को प्रचारित–प्रसारित करना चाहिए। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय में, उनके लिट्रेचर में यहाँ के पर्यटक स्थलों का उल्लेख करना चाहिए। जब यहाँ पर पारम्परिक पर्यटन नहीं चलता है, तब उनको आकर्षित किया जा सकता है। इससे यहाँ के बेरोजगार नवयुवकों को विभिन्न प्रकार के रोजगार मिलेंगे और इससे हम विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। लेकिन मुझे खेद है कि इस सरकार द्वारा इस ओर भी बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इस प्रकार से मान्यवर, जो बजट वर्तमान सरकार द्वारा पेश किया गया है, वह घोर निराशा वाला है। प्रदेश के बेरोजगारों को, महिलाओं को, किसानों को, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बजट से घोर निराशा हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़कोट और पुरोला के विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए व्यवस्था की है। सरकार को यह भी जानकारी नहीं है कि किस क्षेत्र में किस जाति और किस वर्ग के लोग निवास करते हैं। चकराता और कालसी में अनुसूचित जनजाति और बड़कोट और पुरोला में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए व्यवस्था की जानी चहिए थी। यह भी सरकार की सूचनाओं में कमी को प्रदर्शित करता है। इसलिए यह बजट घोर निराशा वाला है।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, यह मेरा सौभाग्य है। निश्चित रूप से किसी सरकार द्वारा किसी संस्था द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, उस पर सभी लोगों की निगाहें लगी होती हैं। सभी वर्गों की निगाहें लगी होती

हैं। सभी वर्गों में ऐसे लोग हैं, जिनको आबकारी नीति, स्थानान्तरण नीति से कोई मतलब नहीं है, उनको मूलभूत आवश्यकताओं पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य से मतलब होता है। मैं इसलिए इस बजट का समर्थन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सरकार को समर्थन दे रहा हूँ। मैं इसको दिल से स्वीकार कर रहा हूँ। जो बजट यहाँ पर पेश किया गया है, उसमें तमाम जनमानस को ध्यान में रखा गया है।

जहाँ तक आबकारी नीति और शिक्षा नीति का सवाल है, मान्यवर, माननीय आबकारी मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि विपक्ष 100 प्रतिशत में से 90 प्रतिशत बातों का विरोध करता है और सत्ता पक्ष इसका स्वागत करने की बात करता है। आबकारी नीति का मैं समर्थन करता हूँ, इसमें सारी चीजें निश्चित रूप से सही कही गयी है। मान्यवर, मैं आबकारी मंत्री से सिर्फ इतना अनुरोध करूँगा कि वे इसकी समय सीमा को बढ़ाने का प्रयास करें। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है कि बजट का सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है।

शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूँगा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के भी शिक्षा मंत्री जी को परास्त किया है और कांग्रेस के शिक्षा मंत्री जी को भी परास्त किया है। मान्यवर, जिस प्रकार से इस बार माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पौड़ी में विशिष्ट बी0टी0सी0 के द्वारा रिक्त स्टाफ की भर्ती की है, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। दूसरी बात पर्यटन के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए पूरे प्रयास करेगी। नये-नये स्थलों को चुनाव इसमें किया जायेगा और जो बजट इसके लिए दिया गया है उसका पूरा उपयोग सही तरीके से होगा। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इनके बारे में विधायकों से भी राय ली जाय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सभी विधायकगण अपने-अपने क्षेत्रों में ज्यादा रहें। मैं उनकी बात का भी समर्थन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि विकास के लिए सभी विधायकों की राय भी ली जाय। इससे विधायकों को भी तवज्जो मिलेगी और विकास कार्यों में गति आयेगी।

मान्यवर, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि हर मण्डल मुख्यालय में सी0टी0 स्कैन की सुविधा दी जानी चाहिए। ताकि ग्रामीण व्यक्ति भी अपना इलाज मण्डल मुख्यालय पर ही करा सकें। इसी प्रकार से रोपवे लगाने के लिए भी विधायकों की संस्तुति ली जानी चाहिए। अन्त में, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि जो पैसा जिस मद में दिया गया है, वहाँ पर निश्चित रूप से उसका पूरा सदुपयोग होगा।

श्री हरिदास-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जो यह बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है यह बहुत ही दिशाहीन है। इसमें कोई भी जनहित का प्रावधान नहीं किया गया है। मान्यवर, हमारा प्रदेश एक विषम भौगोलिक स्थिति वाला प्रदेश है, इसके लिए बहुत सोच विचार

कर ही बजट लाना चाहिए था। मान्यवर, इस बजट को बनाने से पहले यह सोचा जाना चाहिए था कि दूर पहाड़ में जो बहन है उसका भाई रोजगार के लिए आज हरिद्वार या दिल्ली, नोएडा में चला गया है। उनके लिए कोई विशेष योजना इस बजट में दिखाई नहीं देती है। मान्यवर, हमारी योजना सब के लिए होनी चाहिए। सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बजट बनाने से पहले यह सोचना चाहिए था कि जो हमारे पहाड़ों में पलायन हो रहा है, उसे कैसे रोका जाय। मान्यवर, छोटी–छोटी फैक्ट्री और छोटे प्लांट लगाकर उन बेरोजगार लोगों के पलायन को रोकना चाहिए उन्हें यहीं पर काम देना चाहिए। लेकिन ऐसा इस सरकार ने नहीं किया।

मान्यवर, जो हमारे पहाड़ों में पानी के जो स्रोत हैं, उनका पानी किसी बिसलरी से कम नहीं होता है। अगर हम उस पानी से बिसलरी बनाने का प्लांट वहीं पर लगा दें तो मान्यवर, इसमें 20 पैसा भी लागत नहीं आयेगी। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि हमारी ही नदियों और स्रोतों का पानी दिल्ली और नोएडा पहुँचने तक विषैला हो जाता है और फिर वहाँ पर उस पानी की बिसलरी बनाई जाती है। यदि हम पहाड़ों पर जहाँ पर पानी का स्रोत है वहीं पर बिसलरी के छोटे–छोटे प्लान्ट लगा दें तो इससे वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ से जो पलायन हो रहा है वह नहीं होगा। मान्यवर, इसी तरफ से ज्यादा से ज्यादा प्लान्ट लगाये जाने चाहिए और यदि यह प्लान्ट लग गये तो जो आज बिसलरी हमें 12–13 रुपये में मिल रही है, वह मुश्किल से 3, 4 रुपये में हमें मिल जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और माननीय अध्यक्ष जी, जैसे स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान चाहे सरकार पहले की रही हो या आज की हो पिछली बार 700 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था। 70 करोड़ का प्राविधान एस0टी0 के लिए था। इस पैसे की बन्दरबाँट की गयी, इस पैसे से बड़ी–बड़ी सड़कें आदि बना दी गयी जबकि वह पैसा दलितों के उत्थान में लगना चाहिए था। पिछली सरकार ने और इस सरकार ने भी इसका सदुपयोग नहीं किया। इस सरकार ने इस बजट में कहीं इसका उल्लेख नहीं किया कि विकलांगों के लिए हम क्या–क्या सुविधाएं देंगे। अगर हम 20–25 हजार रुपये अपंग लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति दे दें तो इससे उस विकलांग लड़की की शादी हो जायेगी। हमें अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को मकान की सुविधा देनी चाहिए, शौचालय की सुविधा देनी चाहिए। विकलांगों के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है। आज जो असली बी0पी0एल0 धारक हैं उनके लिए भी आवास की सुविधा नहीं है। 2003 में जो फार्म भरे गये थे आज तक वह सूची लागू नहीं हो पायी है अगर वह सूची लागू हो जाती तो जिनके पास मकान नहीं हैं उन लोगों को भी मकान की सुविधा मिलती। बी0पी0एल0 के बारे में सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा।

पेयजल का बहुत संकट है। हमारे यहाँ लगभग 70 प्रतिशत हैण्डपम्प खराब हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट स्थानीय प्रधान को दी जाती थी और उनका भी इसमें कोई अच्छा योगदान नहीं रहा। आज वे सारे के सारे ठप पड़े हुए हैं। हम यहाँ बैठकर योजना बनाते

हैं कि सबको पानी मिल रहा होगा लेकिन सबको पानी नहीं मिल पा रहा है। आज बेरोजगारों की बहुत बड़ी समस्या है। पिछली सरकार ने कहा था कि हम लोग दो लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कोई प्राविधान ही नहीं रखा। अनूसूचित जाति के जो रिक्त पड़े पद हैं, उनका ध्यान न तो पिछली सरकार ने रखा न ही वर्तमान सरकार उसका ध्यान रख रही है। जनता सोच रही है कि ऐसी कौन सी सरकार आयेगी जो बैकलॉग भरेगी। राज्य योजना जो पहले से चली आ रही है और अब भी चल रही है राज्य सरकार यदि इसमें सही तरीके से काम करे तो विधायकों से 3–3 करोड़ के प्रस्ताव सड़क आदि के लेने चाहिए। (व्यवधान) बिजली के सम्बन्ध में। बिजली की स्थिति यह है कि हमारे यहाँ विधान सभा में ही बिजली 5–6 मिनट तक नहीं रही तो दूर–दूराज के लोगों का क्या हाल होगा। हमारे यहाँ बिजली आती है, लेकिन बीच–बीच में व्यवस्था खराब हो जाती है। अगर सरकार व्यवस्था बनाये क्योंकि हमारा प्रदेश विद्युत प्रदेश है, हम खुद अपनी बिजली तैयार करते हैं इसलिए हमें 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। मान्यवर, अब 15 घण्टे बिजली गाँवों में दी जा रही है।

कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप्प हो गई है। यहाँ के ऑफिसों की हालत यह है कि 11:00 बजे तक कोई भी अफसर ऑफिस में नहीं मिलता है। हम पूछते हैं कि एस0डी0एम0 या तहसीलदार साहब बैठे हैं तो कहते हैं कि साहब पूजा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चले जायें तो वहाँ पर 10 बजे सीट पर अधिकारी पहुँच जाता है। अगर नहीं आयेगा तो सस्पेन्ड हो जायेगा। मान्यवर, पूजा तो सभी करते हैं, माननीय मंत्री जी बैठे हैं वह हरिद्वार के हैं, इसका तो सभी को समर्थन करना चाहिए कि पूजा 7:00 बजे तक हो जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, सिडकुल की बात कर रहा हूँ हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में उद्योग लगे हैं, इसमें पूर्व सरकार ने भी कहा था और इस सरकार ने भी आश्वासन दिया कि इन उद्योगों में 70 प्रतिशत यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जायेगा। मान्यवर, आज सारा सिडकुल ठेकेदारी प्रथा पर चल रहा है। मान्यवर, सरकार का जब प्रथम सदन चला था तो प्रकाश पन्त जी ने जवाब दिया था कि कुछ कमियाँ हैं, अभी तक उन कमियों में सुधार नहीं आया। मान्यवर, इन उद्योगों में उच्च पदों पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोग बैठे हैं इन पदों पर उत्तराखण्ड का कोई नहीं है। आप किसी फैक्ट्री में जायें तो देखेंगे कि जी0एम0 बाहर का व्यक्ति है। मान्यवर, सरकार को इसे भी गम्भीरता से लेना होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिला योजना की बात कर रहा हूँ हमारे जिले को सबसे कम 27 करोड़ रुपये मिला, जबकि अन्य जिलों को 70–70 करोड़ जिला योजना में मिला है। जब जिला योजना में पैसा ज्यादा मिलेगा तो जिले का विकास होगा। इस सम्बन्ध में हमने मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात की उस समय हमारे शिक्षा मंत्री जी और बंशीधर भगत जी भी थे। मान्यवर, जिला योजना का प्रस्ताव इन्होंनें पास कर लिया। दैवी आपदा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ इसको सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए इसमें विधायकों के प्रस्तावों पर पैसा दिया जाना चाहिए। मान्यवर, पर्यटन के सम्बन्ध में कहना

चाहता हूँ जैसे कि पहले माननीय मंत्री जी ने सहयोग किया था उन्होंने सभी विधायकों से कहा कि आप प्रस्ताव बना कर दीजिए। मान्यवर, इसी तरह से इस सरकार को भी सभी सदस्यों से प्रस्ताव माँगने चाहिए।

मैं, मुख्यमंत्री राहत कोष के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। मान्यवर, मुख्यमंत्री राहत कोष में आज विधायकों का कोई हिसाब किताब नहीं है। विधायकों से जनता जुड़ी रहती है उसे बड़ी आशा रहती है अपने जनप्रतिनिधियों से। वे चाहती है कि हमारा विधायक हमारी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री तक जाए और कुछ आर्थिक मदद मुख्यमंत्री राहत कोष से उसे मिले। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले किन्तु दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने हमारी बात को सिरे से खारिज कर दिया। मान्यवर, हम भी जनप्रतिनिधि हैं लोगों की हमसे बहुत अपेक्षाएं रहती हैं। हम मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ उनकी आर्थिक मदद करवा देते तो उन्हें सन्तोष होता। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, जिस तरीके यह सरकार 100 दिन में बजट लाई है वही पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र 35 दिन में बजट सदन में प्रस्तुत कर दिया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य इस बात का जिक्र तो कर रहे हैं किन्तु पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसानों का 3 करोड रुपया बकाया है उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूँ। यह बजट दिशाहीन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस बजट को पलटकर दुबारा सदन में लाएं। इसमें विकास की कोई योजना नहीं है।

श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह बजट बिल्कुल दिशाहीन है। मैं इसकी घोर निन्दा करता हूँ। सदन में इस बात को बजट प्रस्तुत करते समय कहा गया कि पूर्व की सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डूबा दिया है। मैं सदन के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई नया काम आरम्भ किया जाता है चाहे कोई व्यक्ति नया घर बनाये या कोई व्यापारी व्यापार आरम्भ करता है तो कर्ज से ही शुरू करता है। तो इसी प्रकार से जब उत्तराखण्ड राज्य का गठन हुआ तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नये संसाधन जुटाने के लिए कर्ज लिया जाना आवश्यक था। कर्ज की बात को बार–बार दोहराना और पूर्व की सरकार की निन्दा करना ठीक नहीं है।

मान्यवर, नये जनपदों के सृजन, नगरपालिकाओं के सृजन और विकासखण्डों के सृजन के लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है। क्योंकि जब उत्तराखण्ड राज्य अस्तित्व में आया तो लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी कि अब सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा और क्षेत्र के विकास के लिए नये जनपदों का सृजन किया जायेगा। नये विकास खण्डों का सृजन और नई नगरपालिकाओं का सृजन किया जायेगा जिससे लोगों की समस्यायें कम होगी लेकिन इस बजट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया गया है जैसे रानीखेत को जिला बनाने की माँग 1955 में चली आ रही है। इसके लिए 1987 में राजस्व परिषद् की वेंकटरमण समिति ने रानीखेत को जिला बनाने की संस्तुति की थी और आठवें वित्त आयोग ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी थी लेकिन अनुपालन नहीं हो पाया। मान्यवर, 1876 में रानीखेत को तहसील का दर्जा प्राप्त हो गया था जिसमें आज पाँच तहसीलें बन चुकी हैं यह इस बात को साबित करता है कि कितनी बड़ी समस्या से ग्रसित है। मान्यवर, अल्मोड़ा जिले की आधी आबादी रानीखेत मण्डल में है। रानीखेत में 6 ब्लाक, एक कैन्टोनमेंट क्षेत्र और नगरपालिका है। जनता की माँग है कि रानीखेत को जिला बनाया जाए जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट उनके लिए बहुत ही निराशा लेकर आया है।

मान्यवर, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ माननीय सदस्य जो उत्तराखण्ड क्रान्ति दल से हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि बुआ सिंह का स्वागत क्यों किया गया, जो मुजफ्फरनगर कांड के लिए दोषी हैं। मान्यवर, राज्य की स्थायी राजधानी को बनाये जाने के लिए कोई भी प्राविधान इस बजट भाषण में नहीं किया गया है और न ही पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को पर्वतीय क्षेत्र में ही विकास स्थापित करने का और न ही कोई सुविधा देने के लिए कोई प्रयास किया है। मान्यवर, इसी प्रकार सरकार ने जो विधायक निधि में जो धनराशि है उसमें भी अभी तक बन्दर बाट रही है इसलिए इस विधायक निधि से भी कोई विकास नहीं हो रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ भौगोलिक स्थिति कठिन और क्षेत्रफल बड़ा है, के लिए विधायक निधि पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस निधि को भी बढ़ाया जाय।

मान्यवर, आज हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, बिजली, जमीन से लोगों को कोई सुविधाओं का लाभ नहीं हो रहा है और इस बजट भाषण में भी सरकार ने इसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया। मान्यवर, अभी कुछ माननीय सदस्य बाहर की लॉबी में बैठे हुए थे तो कोई कह रहा था कि मुझे अपने विधान सभा क्षेत्र में भ्रमण करने में मात्र तीन घन्टे लगते हैं और कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैं पूरे दिन भर में अपने विधान सभा क्षेत्र का भ्रमण कर लेता हूँ, लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्र के विधायक अपने विधान सभा क्षेत्र में भ्रमण एक दिन में पूरा कर लें। चूँकि मान्यवर, पहाड़ की भौगोलिक स्थिति अलग है। मान्यवर, हम दस–पन्द्रह और एक महीने में भी अपने विधान सभा क्षेत्र में भ्रमण

नहीं कर पाते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो विधायक निधि है उसके लिए भी पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि तभी हमारे पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो पायेगा और इस विसंगति को भी सरकार ने दूर करना चाहिए।

मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश में हेमवती नन्दन बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होनें उस समय यह बात कही थी कि पर्वतीय क्षेत्र में विकास के लिए वहाँ की विषम भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए विकास हेतु अलग से प्राविधान करना चाहिए। मान्यवर, सरकार द्वारा बी0पी0एल0 परिवार के लिए गैस में सब्सिडी देने के लिए आठ करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। जो बहुत कम है। इस सम्बन्ध में, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे बी0पी0एल0 परिवार को एक दिन की रोजी–रोटी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सरकार से अनुरोध है कि इस गैस की कीमत और कम की जाय। सब्सिडी सभी नागरिकों को दी जाय। मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमारे हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने एक बात और कही थी कि पर्वतीय अंचलों में बिजली की खपत बहुत कम होती है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में बिजली कटौती नहीं करनी चाहिए पर्वतीय अंचल के लोग अपने विकास की कीमत पर वनों को बचा रहे हैं। मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य श्री रणजीत रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के बजाय छात्रों के शिक्षा में अधिक ध्यान देना चाहिए और आई0आई0टी0 और पॉलीटेक्निक जैसी संस्थान पर्वतीय क्षेत्र में भी खोला जाय। जिससे पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों को भी व्यवसायिक एवं रोजगार परक शिक्षा मिल सके और यह छात्र दूसरे प्रदेशों और देशों में जाकर हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। हमारे छात्रों में जो प्रतिभा है उसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए। मान्यवर, जो दुर्गम क्षेत्र में पानी की कमी को झेल रहे हैं। हमारे क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पानी सूख चुका है जिनके लिए जल संवर्धन नीति बनाई है। इस बजट में इसके लिए कुछ नहीं रखा गया है। चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों के रोपड़ एवं विकास के लिए मान्यवर, इस बजट में केवल दो करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है जोकि इसके लिए बहुत कम पैसा है ऐसा मेरा मानना है।

इस बजट भाषण में एक दूसरी चीज जो आवश्यक है शिक्षा के क्षेत्र की बात अभी आ रही थी कि नये स्कूल खोले जा रहे है, अध्यापकों की भर्ती की जा रही है, इन सारी चीजों के साथ–साथ जिसको बार–बार ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कई बार निचले सदन से भेजा जाता रहा है। मैं यहाँ पर मैदान या पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर संगत, असंगत की बात करना चाहता हूँ कि एक स्कूल जो हल्द्वानी में बन रहा है जहाँ पर ईंट भी है, पानी भी है, सारी सुविधाएं हैं और वहीं एक स्कूल दूरस्थ क्षेत्र में बन रहा है जहाँ पर ढुलान होना है। पाँच कि0मी0 पैदल सर पर सामान लेकर जाना है, लदान भी होना है जो विद्यालय पहाड़ के दूर क्षेत्र में स्थित है उसको भी उतना पैसा दिया जा रहा है और जो सुगम क्षेत्र में स्थित है उसको

भी उतना ही पैसा दिया जा रहा है। बराबर धन दिया जा रहा है जिससे विसंगति पैदा हो गयी है इसमें इसका कोई प्राविधान होना चाहिए। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। यह केवल शिक्षा विभाग में ही है अन्य विभागों में क्यों नहीं ?

मान्यवर, जब यह पर्वतीय राज्य बना था तो यह सोचकर बना था कि लखनऊ में बैठकर योजना बनाने वाले अधिकारियों को यहाँ की भौगोलिक स्थिति का पता न होने के कारण गलत प्लानिंग करते थे। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ की जनता द्वारा नये राज्य की कल्पना की गयी कि नया राज्य बनने से यहाँ परिस्थितियों को ध्यान में रखा जायेगा। लेकिन मान्यवर, सात साल राज्य को बने हो गए, अभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यहाँ भी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे अजीब स्थिति पैदा हो गयी है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन विषयों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसके लिए बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए। अभी माननीय मंत्री जी ट्रांसफर की बात कर रहे थे। मान्यवर, कहीं पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं लेकिन उसके साथ-साथ लोकहित की बात को भी देखना चाहिए। मान्यवर, ये जो सतत् शिक्षा का कार्यक्रम है हमारे जनपद में सारे स्कूल खाली हो गये हैं क्योंकि वहाँ पर अन्य जगहों से अध्यापकों को सम्बद्ध किया गया था। हमारे माध्यमिक के लेखा अनुभाग में ताला पड़ गया है क्योंकि वहाँ भी अध्यापकों को दूसरी जगह से सम्बद्ध किया गया था। राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय की भी यही हालत है। मान्यवर, सतत् शिक्षा का मतलब ही है निरन्तर शिक्षा। अब इसमें कठिनाई आ रही है। मान्यवर, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

मान्यवर, बजट में नगरपालिकाएं, नये जनपदों के, विकास खण्डों के सृजन की बात की जानी चाहिए। मैं एक उदाहरण अपने क्षेत्र का देना चाहता हूँ मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूँ कि विकास खण्ड के सृजन के मामले में एक अठ्गुली और जो कलार क्षेत्र है उसकी ऐसी भौगोलिक स्थिति है जिसमें आधा क्षेत्र विकास खण्ड ताड़ीखेत में है और आधा क्षेत्र विकास खण्ड द्वाराहाट में है और जो विकास खण्ड ताड़ीखेत में है उसकी विधायक कॉन्स्टीट्युन्सी सोमेश्वर हो गया है और द्वाराहाट में जो क्षेत्र है उसका विधायक क्षेत्र रानीखेत हो गया है, तो इस विषम परिस्थिति से वह क्षेत्र सफर कर रहा है और वह लोग काफी लम्बे समय से अलग विकास खण्ड की माँग कर रहे हैं, अठ्गुली के लोग। कभी भी विस्फोटक की स्थिति हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, रानीखेत को लगभग 55 वर्षों से लगातार जनपद बनाने की माँग कर रहे हैं। रानीखेत को जिला बनाने की जो हमारी माँग है और हमारे क्षेत्र के लोगों की माँग है, इसको पूरा किया जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इन क्षेत्रों को

जनपद के रूप में परिवर्तित किये जाने का प्राविधान होना चाहिए था। मान्यवर, अन्त में पुनः बजट की घोर निन्दा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री प्रवण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट भाषण की प्रतियाँ माननीय सदस्यों को प्राप्त हुई हैं, उसमें कुछ लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। मान्यवर, आपसे अनुशंसा करूँगा जिससे कि जिनको बजट भाषण की प्रति नहीं मिली है उनको भी मिल जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसके बारे में मालूम करूँगा।

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट भाषण पेश किया है वह बजट सत्य से परे है, उसकी औपचारिकता दिखाई नहीं दे रही है। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में बहुत सी कमियाँ हैं और इस बजट में विशेषतौर पर किसानों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, व्यापारियों की, महिलाओं की उपेक्षा की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत बजट भाषण के पेज संख्या–42 पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 68.97 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो कुल 4368 करोड़ बजट का 1.6 प्रतिशत है, आबादी के हिसाब से बहुत कम है। इस बजट में छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, महिलाओं की विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं बढ़ाई गई है। मान्यवर, बी0पी0एल0 परिवारों की अनुसूचित जाति की लड़की के साथ ही सामान्य जाति की लड़की को 25 हजार रुपया दिये जाने के लिए गौरा देवी योजना चलाई गई है, योजना अच्छी है, लेकिन इसका स्वरूप जितना होना चाहिए था उतना नहीं दिया गया है। इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि सामान्य जाति के निर्धन परिवार की लड़कियों को भी धन मिले लेकिन अनुसूचित जाति की सभी लड़कियों को 25 हजार रुपये का प्राविधान होना चाहिए। मान्यवर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 की कोचिंग की व्यवस्था की बात की है, लेकिन इस बजट में कहीं भी मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य शिक्षा की कोचिंग की बात नहीं की गई है।

मान्यवर, बजट भाषण के पेज संख्या–47–48 में प्रदेश की जनता को तेल, चावल, गेहूँ आदि दिलवाने की बात कही गई है, किसानों को उपज का सही मूल्य दिलवाने की बात कही गई है। मान्यवर, लेकिन बजट में कहीं भी धन का प्राविधान नहीं किया गया है और न ही वर्ष 2002 के सर्वे के अनुसार गरीबों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात कही गयी है। मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ इस क्षेत्र में सरकार द्वारा खाद्यान्न बढ़ाने की बात पर बल दिया गया है, लेकिन मात्र बल देने से खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढ़ पायेगा। मान्यवर, जब तक किसान को सब्सिडी का प्राविधान नहीं किया जायेगा तब तक खाद्यान्न कहीं से नहीं बढ़ सकता है। इस बजट में किसानों को मात्र स्वप्न दिखाया गया है।

मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ सिडकुल रोशनाबाद, पंतनगर, सितारगंज में पिछली सरकार ने काफी फैक्ट्रियों का निर्माण कराया था, लेकिन इस बार इस बजट में कहीं भी यह बात देखने को नहीं मिली है, इससे ऐसा लगता है कि पूँजीपति अब प्रदेश की ओर रूख नहीं करेंगे। मान्यवर, मेरे क्षेत्र भगवानपुर के रायपुर क्वाना को पिछली सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र बनाया है। यहाँ पर न सड़क की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था और न ही बिजली की व्यवस्था है। यदि यही व्यवस्था रहेगी तो उद्योग यहाँ क्यों आयेंगे ? मान्यवर, इसी विधान सभा के पिछले सत्र में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार दिलाने के लिए नियम–58 के अन्तर्गत हमारे दल के नेता ने एक प्रश्न उठाया था और उसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और कहा था "जो बात यहाँ पर माननीय सदस्य द्वारा उठायी जा रही है, वह सत्य है।" मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान भी बार–बार अखबारों में पढ़ने को मिलते है। मान्यवर, मैं अभी 100 दिन की पुस्तक को पढ़ रहा था, जिसे मैंने अपने दल के माननीय सदस्य श्री हरिदास जी से लिया है। इस पुस्तक में भी इस बात का जिक्र है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो औद्योगिक क्षेत्र की इकाईयाँ यहाँ पर स्थापित है इनमें प्रदेश के मात्र 10 प्रतिशत युवकों को ही रोजगार मिला है। मान्यवर, जहाँ पर 70 प्रतिशत प्रदेश के युवक रोजगार पर रखे जा रहे हैं, वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा पर रखे जा रहे हैं। यहाँ पर इनका शोषण किया जा रहा है। इनको मात्र 1800 या 2000 रु0 प्रतिमाह दिया जा रहा है। स्थाई रूप से इन्हें फैक्ट्रियों में नौकरी नहीं दी जा रही है।

मान्यवर, उद्यान के बारे में कहना चाहता हूँ, इस बजट के पृष्ठ संख्या–54 में लिखा है "काश्तकारों के उद्यानों की जंगली जानवरों आदि से सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है।" मान्यवर, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि खाली दो लाईन बजट भाषण में रखने से कोई फायदा नहीं है। जब तक इसके लिए बजट का प्राविधान नहीं होगा तो इसकी सुरक्षा कैसी होगी ? मान्यवर, फलों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। फलों की उत्पादकता बढ़ाने की बात बजट में कही गयी है। मान्यवर, जब आप फलों की उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ? जब तक मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं है। मान्यवर, जब किसानों के फलों का मूल्य नहीं मिलेगा तो वह फल क्यों उगायेंगे ? मान्यवर, मार्केटिंग की व्यवस्था भी इसमें की जानी चाहिए थी।

डेरी विकास के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि 30 प्रतिशत महिलाओं को समिति में रखने की बात तो कर दी है, मैं कहना चाहता हूँ कि उन समितियों को बनाने का औचित्य क्या होगा, उनको बनाने का क्या कारण है ? जब वहाँ दूध उपलब्ध नहीं होगा, तब वह समिति क्या करेगी ? इसका प्राविधान भी इस बजट में नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मत्स्य विभाग के बारे में पेज नम्बर–56 में हैचरी बनाने की बात कही गयी है। इसमें रुड़की के पनियाला के बारे में बताया गया है। मान्यवर, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, 5 साल पहले इसका उद्‌घाटन किया गया था, पिछली सरकार के बजट में भी हैचरी के लिए प्राविधान किया गया था। नये बजट में भी इसके लिए प्राविधान किया गया है। पिछले 5 साल में जिस हैचरी का निर्माण नहीं हो पाया, मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए उसी हैचरी हेतु फिर बजट का प्राविधान किया गया है। यह भी एक धोखा है।

माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण विकास के बारे में पेज नम्बर–59 में एक आवासीय योजना बनाने का प्राविधान है। लेकिन उसके लिए मात्र 32.50 करोड़ रुपये रखे गये हैं, जो कि बहुत ही कम है। आज इन्दिरा आवासों की स्थिति देख लीजिए। पूरे प्रदेश में क्या मात्र 25 हजार में इन्दिरा आवास बन सकते हैं? 25 हजार रुपये में तो इसके लिए ईंट भी नहीं आ पाती है। सीमेंट और लोहा क्या आएगा। यदि इस योजना को चलाना है तो इसमें 50 हजार रुपये का प्राविधान किया जाना चाहिए। इसके लिए भी बजट बढ़ाना होगा। राजस्व के बारे में बताना चाहता हूँ। भू–अधिनियम काला कानून है। मैदानी क्षेत्र के लिए व्यवहारिक नहीं है। मैं मानता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में ढाई सौ गज में मकान में बन सकते हैं लेकिन मैदानी क्षेत्र में मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी ढाई सौ वर्ग मीटर बने मकान में नहीं रह सकता है। इसलिए इस प्राविधान को लागू नहीं करना चाहिए। यह व्यवहारिक नहीं है। मैं इसकी भी घोर निन्दा करता हूँ।

मान्यवर, शहरी विकास के बारे कहना चाहता हूँ। एशियन विकास बैंक से शहरों के विकास लिए 2000 करोड़ की योजना तैयार की गयी है। 31 शहरों में इसको लागू करने का प्राविधान किया गया है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे कुछ गाँव हैं, जिन्होंने शहरों का रूप धारण कर लिया है। जहाँ उद्योग स्थापित हो गये हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनका भी विकास किया जाना चाहिए। मान्यवर, परिवहन विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ। बजट में कहा गया है कि मुजफ्फरनगर से रुडकी तक रेल लाईन बनायी जाएगी। मान्यवर, जब हमारी यह सरकार बनी भी नहीं थी, तब माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने इसकी घोषणा कर दी थी। इसलिए यह भी सत्य से परे है। मान्यवर, पेयजल के बारे में कहना चाहता हूँ, कितना अनोखा बजट है, कितना प्यारा बजट है। कोई अनपढ़ व्यक्ति भी इसे पढ़ेगा तो उसे दुःख होगा। पूरे उत्तराखण्ड में 407 हैण्डपम्प लगाने का प्राविधान इस बजट में सरकार द्वारा किया गया है। जहाँ पानी की दिक्कत है। मात्र 1422 हैण्डपम्प ठीक करने का प्राविधान इस बजट में किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि 2240 हैण्डपम्प केवल हरिद्वार में खराब पड़े हैं और केवल 1422 हैण्डपम्पों को ठीक कराने की व्यवस्था पूरे बजट में की गयी है। कितना अच्छा बजट है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप में बजट बढ़ाने का प्राविधान किया जाना चाहिए था। पेयजल हमारी मूलभूत आवश्यकता है इसलिए पेयजल में बजट बढ़ाया जाना चाहिए। मान्यवर, इसके पेज नम्बर–24 में सिंचाई के बारे में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितना बजट इसमें प्राविधानित है। सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर यह स्पष्ट न किया जाना निंदनीय है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मुझे आपने 10 मिनट का समय दिया था, अभी मेरे 4 मिनट बाकी हैं, मैं उसमें अपनी बात को समाप्त कर लूँगा। मान्यवर, सरकार के माननीय सिंचाई मंत्री, श्री कण्डारी जी जब रुड़की आये थे तो उन्होंने वहाँ पर घोषणा की थी कि रुड़की से इकबालपुर और चुड़ियाला तक एक बहुत बड़ी नहर बनाई जायेगी और इस खबर को बड़े–बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पर छापा गया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी नहर का निर्माण किया जायेगा और इसका इस बजट में कहीं पर कोई प्राविधान नहीं किया गया है। सिंचाई विभाग के बजट में इसका प्राविधान ही नही है, यह बहुत ही निंदनीय विषय है कि आप बाहर तो घोषणायें करते हैं लेकिन जब इसे बजट में आना चाहिए, जहाँ से पैसा रिलीज होना है, वह वहाँ पर उसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं इसकी भी निन्दा करता हूँ।

मान्यवर, सहकारिता के क्षेत्र में पिछली सरकार ने कुछ अच्छी योजनायें बनाई थी। मान्यवर, सरकारें तो आती जाती रहती हैं लेकिन जो योजनायें अच्छी होती हैं और जनहित में होती हैं, उनको चलने देना चाहिए और जो खराब योजनायें हैं उन्हें रोक देना चाहिए। पिछली सरकार ने 5 प्रतिशत की दर से सहकारिता के माध्यम से किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की थी, लेकिन आज इसका कोई प्रावधान नहीं है। मैं अनुरोध करूँगा कि इसका प्रावधान यह सरकार भी करे। मान्यवर, यह जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बहुत सुन्दर है और पढने पर भी बहुत अति सुन्दर है, लेकिन जब धरातल पर इस बजट का इस साल क्रियान्वयन होगा तो मान्यवर, तब जनता आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। मैं इस बजट की घोर निन्दा करता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि यह बजट इस प्रदेश की जनता के हित में नहीं है।

*श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2007–08 के बजट के पक्ष में बोलने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया मैं उसके लिए आपको अन्तर्मन से धन्यवाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देता हूँ। मान्यवर, यह वर्ष 2007–08 को हमारी सरकार का बजट एक कर रहित बजट है जो जनता को काफी राहत दिलाने वाला है और पहली बार राजस्व घाटे में बजाय राजस्व सरप्लस का बजट देकर माननीय भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी की सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को ही दर्शाया है।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, इसी क्रम में प्रस्तुत 2007–08 के बजट में राजकोषीय घाटा 1460.21 करोड़ ही रह गया है तथा घरेलू उत्पाद का 4.47 प्रतिशत है और यह निर्धारित मानक 4.54 प्रतिशत की सीमा में है। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए "गौरा देवी कन्या धन योजना" के लिए 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, पिछली सरकार के समय में यह योजना सिर्फ अनुसूचित जाति की कन्याओं के लिए थी लेकिन इस बार हमारी सरकार ने इस योजना को सभी वर्ग, धर्म और जातियों की कन्याओं के लिए कर दिया है और सभी को इस योजना का लाभ देने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसी के साथ एक सुझाव भी देना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने जो कन्या विद्या धन के रूप में 25000 रुपये देने की बात कर रखी थी और उसको बचत पत्र के रूप में दिया गया था, मेरा अनुरोध है कि इसे एफ0डी0 या नकद रूप में दिया जाना चाहिए। क्योंकि इससे उनको तत्काल राहत मिलेगी और उन्हें इस पैसे के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मान्यवर, 5 साल बाद पैसा दिया जाना चाहिए, न्यायोचित नहीं है। महिलाओं की सहायता करने और जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के लिए रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर महिलाओं को सम्मान दिया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मान्यवर, जैसे दिल्ली में ऑल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट या अन्य अस्पतालों में जब यहाँ के गम्भीर रोगियों को ले जाते थे तो पार्कों में उनको रहना पड़ता था अब ऐसे रोगियों के लिए सरकार ने विश्राम गृह की व्यवस्था की है। यह एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्‌देश्य से प्रत्येक जनपद में एक आयुष ग्राम की स्थापना की जायेगी। हमारी सरकार प्रदेश को आयुष प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना में ऋण की सीमा 15 लाख से बढ़कर 20 लाख तक राज्य सहायता 3.75 लाख से बढाकर 5 लाख करके सरकार ने बेरोजगार नवयुवकों एवं उद्यमियों के लिए अच्छे अवसर प्रदान किये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यटक स्थलों पर सुगमता से पहुँचने के रज्जू मार्ग बनाने की योजना है। इसमें मेरा अनुरोध है कि उत्तराखण्ड का काशी कहे जाने वाले बागेश्वर में भी नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वत को रज्जू मार्ग से जोड़ा जाये। जल स्रोतों, चाल, खाल एवं नौलों के रखरखाव हेतु स्वैप के माध्यम से योजनाओं का संचालन तथा

ग्रामीण पेयजल के महत्व को देखते हुए 185.45 करोड़ का प्रावधान कर 2589 तोकों को पेयजल से संतृप्त किया जाना एक अच्छा प्रयास है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

सार्वभौम योजना को प्रथम बार नगरीय क्षेत्रों में शुरू करने के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। गंगा, यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु योजना रखी गयी, यह बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि गंगा एवं यमुना की पवित्रता को बनाये रखना सरकार की प्रतिबद्धता है। कम से कम जो हमारे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं जैसे हरिद्वार तो यहाँ नदियों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जायेगा। साथ ही मेरा अनुरोध है कि बागेश्वर में प्रसिद्ध सरयू एवं गोमती को भी इसमें शामिल किया जाये। प्रदेश के स्थानीय उत्पादों, वस्तुओं, हस्तशिल्प के विक्रय हेतु सोबन सिंह जीना ग्रामीण विपणन केन्द्र की स्थापना की जा रही है जो एक अच्छा प्रयास है। बागेश्वर में भी नाशपाती का काफी उत्पादन होता है। मेरा अनुरोध है कि बागेश्वर जनपद के नाशपाती कास्तकारों को भी इस विपणन केन्द्र का लाभ मिलना चाहिए।

दुर्घटनाओं में पाँच हजार, दस हजार, बीस हजार की तुरन्त सहायता दिया जाना एक अच्छा कदम है। इसके लिए सरकार बधाई के पात्र है। मान्यवर, एक सुझाव है मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ट्रक द्वारा दो व्यक्तियों को रौंद दिया गया। इसमें बाद में यह कहा गया कि यह दुर्घटना क्षेत्र में नहीं आता है तो ऐसे लोगों को भी तत्काल सहायता देना चाहिए। मुझे बताया गया कि जब गाड़ी पलट जायेगी तभी यह पैसा दिया जायेगा। तो मान्यवर, ऐसे लोगों को भी पैसा दिया जाना चाहिए जिनकी किसी सड़क दुर्घटना में तत्काल मृत्यु हुई हो। अनुसूचित जाति, जनजाति के बारे में हमारे विपक्ष के माननीय साथियों ने काफी आलोचना की। सरकार द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में अनुसूचित जाति के लिए 800 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है और डेढ़ हजार करोड़ का प्राविधान जनजाति के लिए है, मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, पिछली सरकार में वर्ष 2003–2004 में 65 करोड़ रुपये, 2004–2005 में 125 करोड़ तथा पिछले वर्ष 2006–2007 में 470 करोड़ रुपये लैप्स हुआ। इससे पिछली सरकार ने दिखा दिया कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण हेतु कितनी कटिबद्ध है। हमारी सरकार ने कम्पोनेन्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास किया है, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इनके कल्याण की योजना बनाई जाये। मान्यवर, अनुसूचित जाति और जनजाति के पदों को बैकलॉग के माध्यम से भरे जाने चाहिए।

मान्यवर, ग्रामीण और ब्लाक स्तर पर खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने 35 मिनी स्टेडियम बनाने जा रही है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, पिछली सकरार ने खेलकूद के क्षेत्र में किसी भी खिलाड़ी को प्रोत्साहन नहीं दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में एक व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पर गया तो उसे मात्र 25 हजार रुपया दिया गया। मेरे क्षेत्र बागेश्वर से नेशनल और इन्टरनेशनल खिलाडी गये हैं उसको भी कोई अलग से आर्थिक सहायता नहीं दी गई,

सौभाग्य से वह मेरी बेटी है। बागेश्वर से ही एक व्यक्ति हंगरी से गोल्ड मैडल लाया, मगर पिछली सरकार ने उसको भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। मान्यवर, हमारी सरकार इसमें सतत् प्रयास कर रही है, इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ कि एलोपैथिक के पद भरे जा रहे हैं और बागेश्वर को जिला अस्पताल का दर्जा दिया गया है और बजट में इन पदों का सृजन रखा गया है। मैं बागेश्वर जनपद की जनता की ओर से सरकार का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारी सरकार सुदूरवर्ती विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश में 4956 विशिष्ट बी0टी0सी0 एवं 4117 एल0टी0 ग्रेड के पदों पर नियुक्ति कर रही है। हमारी सरकार का 100 दिन का लेखा–जोखा आया है, उन्होंने 10 हजार पद एक महीने में भरने का काम किया हैं। हमारी सरकार ने लोक कल्याणकारी बजट बनाया है, इस बजट में युवा और महिलायें एक आशा की किरण देख रही हैं। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री मनोज तिवारी–

मननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस बजट को घोर निराशावादी और दिशाहीन बजट कहा। इसके साथ–साथ युवाओं और सारे वर्गों की अपेक्षायें इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस सरकार का जो पहला बजट प्रस्तुत हुआ इसको लेकर थी, आज युवा वर्ग इससे हताश है। मैं इस बजट की सदन में निन्दा करता हूँ और नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सभी साथियों के साथ अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अल्मोड़ा का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष अग्रणी स्थान रहा है, एक समय में यह कमिश्नरी भी रही है। मान्यवर, चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या प्रशासनिक क्षेत्र में इस नगर का विशेष महत्व रहा है। मान्यवर, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हों या अन्य कोई उपलब्धियाँ हों हर तरफ अल्मोड़ा नगर का विशेष महत्व है। वहाँ पर विवेकानन्द जी ने विश्राम किया था और अध्ययन कर ज्ञान अर्जित किया था। अल्मोड़ा जिला शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान रखता है। वहाँ पर शिक्षा का बहुत प्रचलन है किन्तु इस बजट मे शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया है। मान्यवर, जिन विद्यालयों के मानक पूर्ण है उनके उच्चीकरण के लिए कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है।

इसके साथ ही स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें भी हमारे अल्मोड़ा जिले के अन्दर चाहे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हों, या चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हों, उसके उच्चीकरण के लिए वहाँ के लोगों द्वारा कई वर्षों से मांग की जा रही है किन्तु उसके लिए भी इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में, जो हमारे राज्य के नौजवानों के लिए रोजगार का बहुत ही अच्छा अवसर है, उस पर सरकार को बहुत ही अधिक ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हमारे यहाँ देशी और विदेशी पर्यटक काफी अधिक संख्या में आते हैं किन्तु उनको मूलभूत जरूरी सुविधायें भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। पर्यटकों को यात्रा के दौरान समस्या आती हैं जिस कारण उतनी संख्या में पर्यटक नहीं आ पाते हैं।

मान्यवर, अल्मोड़ा में जिला कारागार की जो जेल है, उसके लिए वहाँ की जनता की माँग है कि उसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए। मान्यवर, जो जिला कारागार है वहाँ पर स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान देश को आजाद कराने के लिए और इस देश के विकास के लिए जिन महान विभूतियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया वे इस कारागार में बन्द रहे हैं। यह बहुत ही ऐतिहासिक जेल है। मैं सदन के माध्यम से माँग करता हूँ कि जिला कारागार अल्मोड़ा को एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप मे विकसित किया जाए जिससे पर्यटक जब यहाँ पर आये तो उनमें जिला कारागार को देखने की एक उत्सुकता हो। इसके साथ ही चितई मन्दिर, जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है लोग उस मन्दिर में पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, उसके विस्तारीकरण के लिए वहाँ पर आस–पास की जो वन भूमि है उसको अधिग्रहीत करके उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। यह स्थान पर्यटन और मनोरंजन की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर स्थान है इस बजट में इसका भी जिक्र नहीं किया गया है। इसके साथ ही रज्जू मार्ग (रोपवे) की बात भी सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कसारदेवी, स्याही देवी और वानर देवी में रज्जू मार्ग बनाने के लिए बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए।

मान्यवर, अल्मोड़ा जिला खेल के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। अल्मोड़ा ने देश को राष्ट्रीय धावक भी दिये हैं। बैडमिंटन के क्षेत्र में यहाँ के खिलाड़ियों ने अल्मोड़ा का नाम रोशन किया है। मान्यवर, हेमवती नन्दन बहुगुणा जो स्टेडियम वहाँ पर है उसको विशाल रूप देने की आवश्यकता है। उसके लिए बजट में प्राविधान होना चाहिए साथ ही वहाँ पर मिनी स्टेडियमों का भी निर्माण किया जाए जिससे खेल प्रतिभाएं राज्य का और देश का नाम रोशन कर सकें।

मान्यवर, हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग रोजगार न मिल पाने के कारण दूसरे प्रदेशों में पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। बजट में रोजगार सृजन के लिए भी प्राविधान होना चाहिए। बेरोजगारों के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने जिन योजनाओं की घोषणाएं की थी और जिन योजनाओं के लिए धन स्वीकृत हो पाया या नहीं किन्तु शासनादेश हो गया था। उसका भी इस बजट में जिक्र नहीं है। इसके साथ ही जैसा कि कई माननीय सदस्यों द्वारा पेयजल की समस्या को यहाँ पर उठाया गया। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर और ज्वलंत समस्या इस प्रदेश की है। हमारे विशेषज्ञ भी चिन्तित हैं कि हम कैसे जल संरक्षण और संवर्धन करें। इसके लिए भी इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। कुल 407 हैण्डपम्प लगाने की बात कही गई है, यह तो दो विधान सभाओं के लिए भी कम है।

मान्यवर, मैं सड़क के बारे में बताना चाहता हूँ कि सड़क निर्माण में भारत सरकार से हो, चाहे राज्य सरकार के माध्यम से हो, रूकी हुई सड़कों के कार्य को शुरू करवाने के लिए सरकार ने अपने इस बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं किया है। मान्यवर, आज पर्वतीय क्षेत्र में जो अधिकतर सड़कें हैं वे वन विभाग के अन्तर्गत आती हैं और पेड़ों को भी सुरक्षित रखना है और हमारे प्रदेश में जंगल कैसे बचें रहें इस पर विचार करना है। मान्यवर, पहाड़ों में शव दाह विद्युत गृह केन्द्र खोला जाना चाहिए जिसका जिक्र इस

बजट भाषण में नहीं किया गया। इसी प्रकार मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा यह जो बजट भाषण तैयार किया गया उसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी कोई नई व्यवस्था नहीं की है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में आय के स्रोत की ओर भी सरकार ने इस बजट भाषण मे स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। मान्यवर, मैं अपने जनपद अल्मोड़ा की बात कहना चाहता हूँ, जो मेरा विधान सभा क्षेत्र भी है, वहाँ पर टम्टा मुहल्ला है जहाँ लोहे की सामग्री, ताम्र की सामग्री बनायी जाती है लेकिन उस सामग्री को कैसे बाहर क्षेत्र में भेजा जाय जिससे इनकी नक्कासी का भी देश और प्रदेश में प्रचार–प्रसार हो। इस बारे में भी सरकार ने कोई जिक्र नहीं किया है। मान्यवर, उनके समान की खरीदारी की व्यवस्था का भी कोई जिक्र इस बजट भाषण में नहीं किया गया है।

मान्यवर, इस बजट भाषण में समाज कल्याण विभाग में हमारे प्रदेश की विधवा, गरीब परिवारों के लड़कियों की शादी के लिए भी कोई लाभकारी योजना नहीं रखी गयी है जिससे इस बजट को देख कर निराशा हाथ लगी। मान्यवर, इसी प्रकार आबकारी नीति में भी दुकान खोले जाने हेतु जो शुल्क रखा गया है वह ढाई हजार रुपये से बढ़ाकर साढ़े सात हजार रुपया कर दिया है। एक ओर सरकार कहती है कि हमें अबकारी नीति से लाभ होगा। मान्यवर, यहाँ पर सरकार द्वारा एफ0एल0–टू के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमायूँ मण्डल विकास निगम तथा उपसुल की व्यवस्था समाप्त कर दी है जिससे इन निगमों को भारी नुकसान हो रहा है। मान्यवर, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को आय के रूप में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि मान्यवर, ये निगम अपने अच्छे वैली और विहंगम दृश्य टी0आर0सी0 स्थापित स्थानों में कर पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। मान्यवर, इस बजट भाषण में हमारे प्रदेश सरकार ने जिला योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि भी कम कर दी है। इसमें मैं अपने अल्मोड़ा जनपद की बात कहना चाहता हूँ, वहाँ पर मात्र 29 करोड़ रुपये की धनराशि कर दी है। मान्यवर, तराई क्षेत्र की खेती कृषि आधारित है इसलिए वहाँ पर 24 घन्टे बिजली की व्यवस्था सरकार द्वारा करनी चाहिए थी। जिसका इस बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

इसी प्रकार मान्यवर, सहकारिता के क्षेत्र में आन्दोलन किया जाता रहा है इसमें कुमाऊँ मण्डल और गढ़वाल मण्डल के लोगों ने बढ़–चढ़ कर भागीदारी की है। मान्यवर, हमें इस पर भी सब्सिडी का प्राविधान करना चाहिए। उद्यान विभाग में भी इस बजट भाषण में कोई नई बात नहीं कहीं गयी जबकि प्रदेश में फल–फूल और बेमौसमी सब्जी पैदा होती है इसलिए इस विभाग के लिए सरकार ने कोई नया प्राविधान नहीं किया है। इसके साथ ही मैं अपनी सारी बातों को अपने साथियों के सम्बद्ध करता हूँ और यह जो बजट है वह घोर निराशावादी एवं युवाओं को हतोत्साहित करने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम-53 के अन्तर्गत श्री हरभजन सिंह चीमा, श्रीमती विजय बडथ्वाल, श्री शैलेन्द्र सिंह रावत, श्री गणेश जोशी, श्री हरिदास, श्री करन मेहरा, श्री केदार सिंह रावत, श्री चन्दन राम दास, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री मनोज तिवारी तथा नारायण पाल की कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के एस्कॉर्ट फार्म से उजाड़े गये, बेघर हुए परिवारों के सम्बन्ध में श्री हरभजन सिंह चीमा की सूचना को वक्तव्य के लिए तथा जिला उत्तरकाशी की तहसील बड़कोट के नकोड़ा गाँव में भीषण अग्निकांड से 11 परिवारों की आवासीय सम्पत्ति नष्ट होने के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह रावत की सूचना केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ तथा जनपद अल्मोड़ा के ग्राम पंचायत पिंगल के अन्तर्गत ग्राम गिठानी विकास खण्ड मैसियाछाना, अल्मोड़ा में अनुसूचित जाति के 15 परिवारों की भूमि कटान के सम्बन्ध में श्री मनोज तिवारी की सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। शेष सूचनाएँ अस्वीकार की गई।

प्रदेश के चिकित्सा विभाग द्वारा फार्मेसिस्टों के पदों को समाप्त करने की कोशिश के कारण फार्मेसिस्टों में उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में श्री मनोज तिवारी स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, फार्मासिस्ट संवर्ग के पदों के पुनर्गठन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के क्रम में चिकित्सा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 1–5–2007 द्वारा महानिदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से उपरोक्तानुसार वांछित सूचनायें शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में महानिदेशक द्वारा अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध करा दी गयी हैं। जिस पर पुनः कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। पर्वतीय क्षेत्र से सुदूर जनपदों के अन्तर्गत स्थित गाँव जो जनपद मुख्यालय से बहुत दूरी पर स्थित है तथा जहाँ पर चिकित्सा सुविधा का अभाव है ऐसे उपकेन्द्रों को चिन्हित कर चिकित्सा उपचार प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–59 / XXVIII(5)–2005–229 / 2004 टी0सी0, दिनांक 01 अगस्त, 2005 द्वारा परिवार कल्याण उपकेन्द्रों हेतु फार्मासिस्ट के 346 पद एवं शासनादेश संख्या–250 / XXVIII–4–2006–229 / 2004 टी0सी0 दिनांक 4 अप्रैल, 2006 द्वारा राज्य के सुदूर असेवित क्षेत्रों के जनसामान्य को प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु फार्मासिस्ट के 93 पद तथा शासनादेश संख्या–214 / XXVIII–(3)–2005–229 / 2004 दिनांक 1 मार्च, 2005 द्वारा राज्य के सीमान्त जनपदों चमोली, पिथौरागढ व उत्तरकाशी में स्थापित उपकेन्द्रों हेतु फार्मासिस्ट के 50 पद एवं शासनदेश संख्या–17 / XXVIII–(4)–2005–229 / 2004 टी0सी0 दिनांक 16 मई, 2005 द्वारा उत्तराखण्ड के जनपदों–पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढवाल, रूद्रप्रयाग, चम्पावत तथा बागेश्वर

में स्थापित उपकेन्द्रों हेतु फार्मासिस्ट के 50 पद अर्थात् फार्मासिस्ट के कुल 539 पर सृजित किये गये हैं। प्रदेश में फार्मासिस्ट के पदों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के उर्दू अनुवादक/सह कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति उर्दू अनुवादक/ सह वरिष्ठ लिपिक के पद पर किये जाने के सम्बन्ध में हाजी तस्लीम अहमद, स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1994 में प्रत्येक विभाग के विकास खण्ड स्तर से लेकर मुख्यालय तक के कार्यालयों में उर्दू अनुवादक/सह कनिष्ठ लिपिक के एक–एक पद पर नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया था। उत्तर प्रदेश के शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 1995 में यह निर्णय लिया गया था कि यदि विभाग में कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त है तो प्रश्नगत नियुक्ति ऐसे पद को आस्थगित करते हुए की जायेगी। यदि कनिष्ठ लिपिक की कोई रिक्ति विद्यमान न हो तो भी नियुक्ति तुरन्त किसी अधिसंख्य (सुपरन्यूमरेरी) पद के प्रति की जायेगी। उर्दू अनुवादक/सह कनिष्ठ लिपिक, लिपिक वर्गीय संवर्ग में सम्मिलित नहीं किये गये। उर्दू अनुवादक/सह कनिष्ठ लिपिक के पदोन्नति के लिए राज्य गठन से पूर्व कोई शासनादेश या नियम नहीं बनाये गये थे। अब नियम–53 के माध्यम से माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना से उत्तर प्रदेश में कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 21 फरवरी, 2007 जिसमें 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर समस्त उर्दू अनुवादक/सह कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति उर्दू अनुवादक/सह वरिष्ठ लिपिक वेतन रु0 4000–6000 में किये जाने की सूचना दी गयी है, उल्लिखित शासनादेश अभी उत्तराखण्ड शासन के संज्ञान में नहीं है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्राविधानों के अनुसार राज्य गठन के उपरान्त उत्तरवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में निर्गत किये गये शासनादेश नवगठित उत्तराखण्ड राज्य में लागू नहीं होते है। सूचना में संदर्भित कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश का शासनादेश दिनांक 21 फरवरी, 2007 प्राप्त करके उसका अध्ययन एवं परीक्षणोपरान्त राज्य की परिस्थितियों के दृष्टिगत यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते है कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 18 बजकर 26 मिनट पर बुधवार, दिनांक 5 जुलाई, 2007 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनांक : 4 जुलाई, 2007

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 6 विधान सभा/42–25–4–2009–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।